सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवदेन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार

http://www.cag.gov.in

विषय सूची

प्राक्कथन		(iii)
कार्यपालिक सारांश		(v)
अध्याय I		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2013-14 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	2
1.3	राज्य के संसाधन	12
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	16
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	25
1.6	लोक लेखा प्राप्तियाँ	26
1.7	संसाधनों का उपयोग	27
1.8	व्यय की गुणवत्ता	35
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	43
1.10	परिसम्पत्तियां और देयताएं	51
1.11	राजकोषीय असंतुलन	59
1.12	ऋण प्रबन्धन	64
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	66
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	69
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	70
2.3	वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	71
2.4	बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण	95
2.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	96
2.6	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	102
2.7	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	104
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	108
अध्याय III		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	109
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	110
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	111
3.4	विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	111
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि	112
3.6	निजी निक्षेप खाते	113
3.7	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन	115
3.8	पुस्तक समायोजन	116
3.9	प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान	116
3.10	उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष	116
3.11	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	119

	परिशिष्ट	
परिशिष्ट 1.1	राज्य का प्रोफाइल	121
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब वित्त लेखे का प्रारूप	122 123
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें	124
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2013-14 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	126
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	129
परिशिष्ट 1.6	वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	131
परिशिष्ट 1.7	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र	133
परिशिष्ट 1.8	वर्ष 2013-14 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	135
परिशिष्ट 1.9	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	136
परिशिष्ट 1.10	संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	137
परिशिष्ट 1.11	भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का जून 2014 तक पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा	138
परिशिष्ट 1.12	भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	139
परिशिष्ट 1.13 अ	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2014)	140
परिशिष्ट 1.13 ब	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2014)- निष्पादनाधीन परियोजनायें	145
परिशिष्ट 1.13 स	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति(31 मार्च 2014)- आयोजनाधीन/प्रक्रियाधीन परियोजनायें	149
परिशिष्ट 1.14	वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजना के अन्तर्गत व्यय नहीं किया गया	152
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	155
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था	156
परिशिष्ट 2.3	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्व हुये	159
परिशिष्ट 2.4	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)	160
परिशिष्ट 2.5	31 मार्च 2014 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों का अभ्यर्पण	162
परिशिष्ट 2.6	₹ 1 करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र	164
परिशिष्ट 2.7	₹ 5 करोड़ से अधिक तथा बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक के एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण	165
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण का विवरण	172
परिशिष्ट 2.9	व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम त्रिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक था)	173
परिशिष्ट 2.10	निर्धारित शीर्षो के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र	179
परिशिष्ट 2.11	प्रावधान के विरूद्व व्यय नहीं	181
परिशिष्ट 2.12	वर्ष 2013-14 तक बकाया विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	185
परिशिष्ट 3.1	31 जुलाई 2014 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	188
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये, के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र	189
परिशिष्ट 3.3	स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्र	192
परिशिष्ट 3.4	विभागीय उपक्रमों (वाणिज्यिक एवं अर्द्व-वाणिज्यिक) में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण पत्र	193
परिशिष्ट 3.5	दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2014 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)	194
परिशिष्ट 3.6	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	195
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2009-14 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का विवरण	196
परिशिष्ट 3.8	निजी निक्षेप खातों में दर्शाये गये ऋणात्मक शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	197
परिशिष्ट 3.9	मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष	198
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	199
परिशिष्ट 4.2	संक्षिप्त एवं परिवर्णी शब्द	201

प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था, राजस्थान सरकार से इन पर सूचना प्राप्त कर ली गई है।

- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग', चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

- विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये गये हैं।

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

मई 2005 में, राजस्थान सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में अपना 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम' अधिनियमित किया। राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मार्च 2011 एवं सितम्बर 2011 में अधिनियम में संशोधन किया। सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण विधानमण्डल में रखा (मार्च 2013)। अधिनियम में वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे में क्रमिक कमी करते हुए शून्य पर लाना, राजकोषीय घाटे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक की कमी करना तथा वर्ष 2014-15 के अंत तक राजकोषीय स्थिरता के साथ सुसंगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन कैपिंग के माध्यम से कुल बकाया कर्ज सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36.5 प्रतिशत तक लाना प्रावधित था।

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के अंकेक्षित लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2013-14 की आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह बजट से इतर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे अंतरण के संक्षिप्त विवरण के अलावा प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न की जानकारी देता है।

अध्याय II विनियोग लेखे पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदान-दर-अनुदान विवरण एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा उन्हें आवंटित संसाधनों का जिन तरीकों से प्रबन्ध किया गया, को दर्शाता है।

अध्याय III राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्त्रोंतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़ों का ***परिशिष्ट 1.1*** भी दिया गया हैं। अन्त में दिए गए ***परिशिष्ट 4.1*** में

इस प्रतिवेदन में उपयोग में लिये गये राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित चयनित पदों की पारिभाषिक शब्दावली दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

वर्ष 2013-14 के अन्त तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत रहा, जोकि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत सीमा के मामूली अन्दर था। वर्ष 2013-14 में राज्य का बकाया ऋण, जीएसडीपी का 25.3 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भी अन्दर रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-14 के दौरान कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक व्यय क्रमशः 66.4 से 73.4 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में पूंजीगत व्यय अंश भी 10.4 से 15.2 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, राज्य वित्त से संबंधित कुछ चिन्ता विषयक बिन्दु निम्न प्रकार है:

वर्ष 2012-13 में ₹ 3,451 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2013-14 में ₹ 1,039 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया तथा प्रारम्भिक घाटा गत वर्ष के विरूद्ध भारी वृद्धि के साथ ₹ 5,932 करोड़ बढ़ा।

यद्यपि, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 के ₹ 35,385 करोड़ से वर्ष 2013-14 में भारी वृद्धि के साथ ₹ 74,471 करोड़ बढीं, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग वर्ष 2009-10 में 46.4 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-14 में 44. 95 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के क्रमशः 29.8 प्रतिशत, 24.1 प्रतिशत एवं 17.4 प्रतिशत की तुलना में मात्र 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः गत वर्ष के 20.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में कर राजस्व वृद्धि के 9.8 प्रतिशत रहने के कारण था। राज्य की कर उत्पलावकता वर्ष 2012-13 के 1.5 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तेजी से गिरकर 0.8 हुई।

राज्य सरकार, बेहतर कर अनुपालना एवं तर्कसंगत उपभोक्ता प्रभार सुनिश्चित करते हुए कर एवं गैर-कर स्त्रोतों के द्वारा, अतिरिक्त संसाधन संधारित करने के उपाय खोज सकती है।

जबकि राज्य का समग्र राजस्व व्यय 2009-10 के ₹ 40,132 करोड़ से 88 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 75,510 करोड़ हो गया, इसी अवधि के दौरान इसका कुल व्यय में हिस्सा 87.6 प्रतिशत से गिरकर 83.9 प्रतिशत हो गया जो पूंजीगत परिव्यय पर हुये व्यय में सुधार को दर्शाता है। यह प्रसंगानुकूल पाया गया कि वर्ष 2013-14 में समाज कल्याण योजनायें, यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं नवाचार योजना, में हुई वृद्धि ₹ 2,638 करोड़ (222 प्रतिशत) को शामिल करते हुये ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) की समग्र बढ़ोतरी हुई। यद्यपि, आयोजना-भिन्न

राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 के ₹ 33,845 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2013-14 में ₹ 58,146 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2009-10 के ₹ 27,179 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 44,408 करोड़ हो गया।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों पर रहा जो कि सामान्यत: अनियंत्रणीय है। राज्य सरकार, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के अन्य घटकों को सीमा में रखने के उचित उपाय खोज सकती है। यह अतिरिक्त संसाधन जुटाने के साथ साथ, राजस्व घाटे को राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित रखने में सहायता करेगी।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,764.67 करोड़ सरकारी कम्पनियों; सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 4,103 करोड़, हानि उठा रहे सात सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; सभी पाँच विद्युत कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,588.37 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत के मध्य रहा। दूसरी ओर, सरकार ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपने उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

राज्य सरकार के लिये यह परामर्श्य है कि निवेश किये गये धन पर उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेंगी।

राज्य सरकार के 'रोकड शेष निवेश खाते' में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंत तक क्रमश: ₹ 12,128 करोड़ एवं ₹ 8,998 करोड़ निवेशित रहा। जबकि उधार उच्च दर पर हों तो कम ब्याज दर पर 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में बड़ी राशि रखने से वित्तीय उलझनें होंगी। 'रोकड़ शेष निवेश खातों' में, वित्तीय वर्षों के अन्त में एक माह के औसत अनुमानित व्यय से ज्यादा एवं अधिक, उच्च स्तरीय निवेश इंगित करता है कि उचित रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है।

गत वर्षों के दौरान बकाया राजकोषीय दायित्वों में लगातार वृद्धि दृष्टिगत् हुई, जो वर्ष 2008-09 के अंत में ₹ 84,023 करोड़ से 2013-14 के अंत तक ₹ 1,29,910 करोड़ हो गई, यद्यपि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रही। बढ़ती हुयी ऋण मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण चुकाने के दायित्व में वृद्धि हो रही है।

राज्य सरकार नये उधार लेने से पूर्व, उधारों पर नियंत्रण करने के उपाय खोज सकती है तथा जहाँ तक संभव हो उपलब्ध नकद शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,06,452.16 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 96,718.25 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 9,733.91 करोड़ की बचतें रही। छः अनुदानों के अंतर्गत निरंतर बचतों की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,957.25 करोड़ की बचतें मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, योजनाओं के वार्षिक परिव्यय में कटौती, भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, कार्यों के कम निष्पादन आदि के कारण हुई। 15 प्रकरणों में ₹ 1,435.14 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 470 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रहा परिणामस्वरूप इन प्रावधानों से या तो बचतें रही या आधिक्य रहा। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ₹ 9,233.15 करोड़ अभ्यर्पित किये गये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 65.31 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये तथा 114 प्रकरणों में, ₹ 3,859.29 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 3,477.58 करोड़ (90.1 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को बचतों विशेषतः उन विभागों में जहाँ निरन्तर बचतें पाई गई हैं, को टालने के लिये स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति के लिये सावधानी पूर्ण एवं लगातार निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

31 जुलाई 2014 तक ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

आहरित सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध अग्रिमों को निर्धारित समयावधि के भीतर समायोजित होने की सुनिश्चितता के लिये व्यवस्था सही करने के लिये कठोर तंत्र की आवश्यकता है।

₹ 26,081.89 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 12,769.11 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,027.71 करोड़ अकेले मार्च 2014 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दी गयी ₹ 38.93 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की नमूना जाँच में बिना वास्तविक व्यय के उपयेागिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नही करने के मामले ध्यान में आये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विशुद्धता सत्यापित करने के लिये एवं यथा समय प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु स्वीकृति प्रदानकर्त्ता अधिकारी/सम्बन्धित विभाग एक उचित प्रणाली, विशेषत: सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से विकसित कर सकते है तथा व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के मामलों में गौर कर सकते हैं।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 61 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले 10 वर्षो से बकाया पाये गये।

लेखों के पिछले बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान करने हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही के लिए करना चाहिये।

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य का प्रोफाइल

राजस्थान, भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 हजार वर्ग किमी.) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या जो 5.65 करोड़ थी वर्ष 2011 में 21.44 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करते हुये 6.85 करोड़ हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.64 प्रतिशत थी। ***(परिशिष्ट 1.1)*** गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 14.7 था जोकि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹ 5,13,688 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (जनगणना 2001) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (जनगणना 2011) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। राष्ट्रीय औसत आय ₹ 74,859 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 65,098[1] है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिये गये हैं।

जीएसडीपी, राज्य में अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का जीडीपी# (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691[2]	93,88,876[3]	1,04,72,807[4]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.2	18.7	15.8	11.9	11.5
राज्य का जीएसडीपी * (₹ करोड़ में)	2,65,825	3,38,348	4,03,422[5]	4,59,215[6]	5,13,688[4]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.1	27.3	19.2	13.8	11.9

स्रोत: # सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं
* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

1 स्त्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार
2 द्वितीय संशोधित अनुमान
3 प्रथम संशोधित अनुमान
4 अग्रिम अनुमान
5 प्रावधिक अनुमान
6 त्वरित अनुमान

1 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

राजस्थान ने वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में, अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की। तथापि वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान जीडीपी एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। जीएसडीपी की वृद्धि दर इस अवधि में 27.3 प्रतिशत से गिरकर 11.9 प्रतिशत रह गयी।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखों के नये प्रारूप जो कि वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किये गये, को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है जबकि खण्ड II में विस्तृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को ***परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)*** में स्पष्ट किया गया है तथा वित्त लेखों की रूपरेखा (स्वरूप) ***परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)*** में दर्शायी गयी है।

1.2 वर्ष 2013-14 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

निम्न तालिका 1.2 में गत वर्ष (2012-13) की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत किया गया है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2013-14 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2012-13	**2013-14**		**2012-13**	**2013-14**
अनुभाग-अ: राजस्व					
कर राजस्व	30,502.65	33,477.70	सामान्य सेवायें	20,495.80	23,339.22
कर-भिन्न राजस्व	12,133.59	13,575.25	सामाजिक सेवायें	25,292.94	31,486.09
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	17,102.85	18,673.07	आर्थिक सेवायें	17,408.02	20,435.59
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	7,173.92	8,744.36	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	265.03	248.69
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	**66,913.01**	**74,470.38**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**63,461.79**	**75,509.59**

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14
अनुभाग-ब: पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	8.12	10.27	पूँजीगत परिव्यय	10,683.57	13,664.66
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,101.56	315.53	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	2,411.83	811.21
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	9,955.00	14,491.44	लोक ऋण की पुनर्अदायगी *	4,706.72	4,115.62
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ[7]	1,56,563.24	1,07,978.58	लोक लेखा संवितरण[7]	1,50,175.41	1,05,605.40
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	9,785.11	12,886.72	अन्तिम रोकड़ शेष	12,886.72	10,446.44
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**1,77,413.03**	**1,35,682.54**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,80,864.25**	**1,34,643.33**
महा योग (अ+ब)	**2,44,326.04**	**2,10,152.92**	**महा योग (अ+ब)**	**2,44,326.04**	**2,10,152.92**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*** मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत किये निवल संव्यवहारों के अलावा**

वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ में गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,557.37 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि, स्व-कर राजस्व: ₹ 2,975.05 करोड़ (10 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व: ₹ 1,441.66 करोड़ (12 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: ₹ 1,570.22 करोड़ (9 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 1,570.44 करोड़ (22 प्रतिशत) के कारण हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रविवरण (एमटीएफपीएस) 2013-14 में किये गये आंकलन से ₹ 2,750.22 करोड़ कम रही।

- राजस्व व्यय में ₹ 12,047.80 करोड़ (19 प्रतिशत)[8] की वृद्धि मुख्यत: सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 2,843.42 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 6,193.15 करोड़) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,027.57 करोड़) के अन्तर्गत हुई । तथापि, यह वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 685.15 करोड़ कम रही।

[7] **तालिका 1.2** में लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरण की राशि सकल रूप में दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/पैराग्राफों में इन्हें निवल आधार पर दर्शाया गया है।

[8] इसमें सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान में रही ₹ 16.34 करोड़ की कमी शामिल है।

- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 2,981.09 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि, सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 84.81 करोड़ से, सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,711.22 करोड़ से एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,185.06 करोड़ से हुई।

- लोक ऋण प्राप्तियों (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा) में ₹ 4,536.44 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण की पुनर्अदायगी में ₹ 591.10 करोड़ (13 प्रतिशत) की कमी हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 48,584.66 करोड़ (31 प्रतिशत) एवं ₹ 44,570.01 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी हुई।

- रोकड़ शेष में ₹ 2,440.28 करोड़ (19 प्रतिशत) की कमी हुई।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने और राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम 2005' (2011 में संशोधित) अधिनियमित किया गया। अधिनियम में राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत राजस्व घाटे के उत्तरोतर विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की परिकल्पना की गई है। राजवित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजवित्तीय पारदर्शिता लाने तथा मध्यकालिक प्रारूप में राजवित्तीय नीति संचालन करने और उससे सम्बद्ध मामलों हेतु भी प्रावधान है। अधिनियम में प्रावधित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों एवं उनके अधीन बनाये नियमों द्वारा राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके बाद उसे बनाये रखना अथवा राजस्व अधिशेष लक्ष्य की प्राप्ति;

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक करना, तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखना या इसमें कमी करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल बकाया ऋण को जीएसडीपी के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित रखना;

- राज्य वित्त व्यवस्था एवं संबद्ध राजकोषीय युक्तियों की संभाव्यता से संबंधित वार्षिक विवरण की प्रस्तुति करना।

बजट में दिये गये मुख्य राजकोषीय चरों, जो कि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित थे, को निम्न **तालिका 1.3** में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

राजकोषीय चर	2013-14		
	एफआरबीएम अधिनियम/ तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक प्राप्तियाँ
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	1,026	(-) 1,039
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0 या कम	2.48	2.96
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	37.3	25.0	25.3

बकाया ऋण एवं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का क्रमश: 25.3 प्रतिशत एवं 2.96 प्रतिशत रहा, जोकि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत था। फिर भी, वास्तविक राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 2.96 प्रतिशत), बजटरी लक्ष्य (जीएसडीपी का 2.48 प्रतिशत) से अधिक रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम होने के कारण राज्य सरकार राजस्व अधिशेष को नहीं बनाये रख सकी। राजस्व व्यय की वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर से अधिक, मुख्यतया वृद्धजन पेंशन योजना के व्ययों में वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा की नई योजनाओं से बजट व्ययों में वृद्धि के कारण रही।

1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलनों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, वांछित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति/गैर अनुकूलन का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ के सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ के सरकारी नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे **तालिका 1.4** में एवं ***परिशिष्ट 1.6*** में की गई है।

तालिका 1.4: 2013-14 के लिये बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पैमाने	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर
1	2	3	4 (3-2)
कर राजस्व	34,053	33,478	(-) 575
कर-भिन्न राजस्व	12,655	13,575	920
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	20,361	18,673	(-) 1,688
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	10,152	8,745	(-) 1,407
राजस्व प्राप्तियाँ	77,221	74,471	(-) 2,750
राजस्व व्यय	76,195	75,510	(-) 685
ब्याज अदायगियाँ	9,241	9,063	(-) 178
पूँजीगत व्यय	14,056	13,664	(-) 392
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 1,026	(-) 1,039	(-) 2,065
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 13,020	(-) 15,189	(-) 2,169
प्रारम्भिक घाटा (-)	(-) 3,779	(-) 6,126	(-) 2,347

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

महत्त्वपूर्ण मापदण्डों का लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्न प्रकार है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,750 करोड़ (3.6 प्रतिशत) की कमी मुख्यत: राज्य कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश सहित) में ₹ 2,263 करोड़ (4.2 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान में ₹ 1,407 करोड़ (13.9 प्रतिशत) की गिरावट होने के कारण रही। कर राजस्व की लगभग सभी श्रेणियों में प्राप्तियां (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू-राजस्व तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर के अलावा) बजट अनुमानों से कम रही। तथापि कर-भिन्न राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 920 करोड़ (7.3 प्रतिशत) अधिक रहा। मुख्य कर-भिन्न राजस्व, जैसे पैट्रोलियम से रायल्टी तथा ब्याज प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रही।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में बजट अनुमानों से ₹ 685 करोड़ की कमी मुख्यत: 'बिजली' के अन्तर्गत व्यय में ₹ 2,165 करोड़ की एवं 'सामान्य शिक्षा' के अन्तर्गत व्यय में ₹ 898 करोड़ की गिरावट के कारण रही। दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,423 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2,402 करोड़ (168.8 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धजन व्यक्तियों को

पेंशन[9] तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई नई योजनाओं/नवाचार[10] के अन्तर्गत अधिक व्यय किये जाने के कारण हुई।

1.2.2.3 घाटे

₹ 1,026 करोड़ के राजस्व अधिशेष के लक्ष्य की तुलना में ₹ 1,039 करोड़ का राजस्व घाटा[11] रहा। यह बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम राजस्व प्राप्तियों के कारण रहा। आगे, राजकोषीय घाटा[12] एवं प्रारम्भिक घाटा[13] बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 2,169 करोड़ एवं ₹ 2,347 करोड़ बढ़े।

1.2.2.4 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 2.8 प्रतिशत (₹ 392 करोड़) की कमी, मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय में शहरी विकासः ₹ 390 करोड़, मुख्य सिंचाईः ₹ 234 करोड़, लोक निर्माण कार्यः ₹ 143 करोड़, लघु सिंचाईः ₹ 103 करोड़ एवं सिंचित क्षेत्र विकास पर ₹ 84 करोड़ के अन्तर्गत हुई जो कि सड़कों तथा सेतुओं: ₹ 333 करोड़, सड़क परिवहनः ₹ 125 करोड़ एवं जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्ययः ₹ 202 करोड़ में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुयी।

1.2.3 अनुमोदन न होने एवं निधियों की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजनाओं का अवरूद्ध होना

पंचवर्षीय योजना में राज्यों हेतु उनकी विकासात्मक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 329 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों पर हुए व्यय की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि ₹ 2,530.60 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रकट हुआ कि वर्ष 2013-14 के दौरान 329 योजनाओं/कार्यक्रमों में से 31 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में ₹ 181.84 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.14)*** के बजट अनुमान के विरूद्ध व्यय नहीं किया गया। इन 31 योजनाओं में सम्मिलित 12 विभागों की 25 योजनाओं ***(परिशिष्ट 1.14)*** में शून्य व्यय के लिए विभिन्न कारण जैसे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी नहीं

9 बजट अनुमानः ₹ 400 करोड़: वास्तविक व्ययः ₹ 1,970.69 करोड़।

10 बजट अनुमानः ₹ 3,000 मात्र: वास्तविक व्ययः ₹ 713.44 करोड़।

11 राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

12. राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

13 प्रारम्भिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

करना, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश की स्वीकृति/ जारी नहीं करना, अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदन नहीं देना, राज्य द्वारा भारत सरकार से निधियों की मांग नहीं करना इत्यादि शामिल हैं। पाँच विभागों से शेष रही 6 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट 1.14)*** का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

1.2.4 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि जन-संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी तैयार करने की घोषणा की, ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तद्नुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं सितम्बर 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यो एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। यही नहीं, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)।

राज्य में जेंडर बजटिंग का विनियमन राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुच्छेद 13.27 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वार्षिक जेंडर बजट प्रविवरण तैयार करने के लिए, निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जानकारी, वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में, प्रदान की जानी है। यह प्रारूप महिला उन्मुख आयोजना योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये

स्रोतः राज्य बजट नियमावली (भाग-।), राजस्थान सरकार

उपरोक्तानुसार वर्ष 2013-14 के दौरान श्रेणी-वार आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	आवंटन
अ	3,262.82
ब	18,832.71
स	980.81
द	60.62

स्रोत: बजट प्रपत्र, राजस्थान सरकार

तीन योजनाओं, यथा कृषि शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन, मिशन ग्राम्य शक्ति एवं सशर्त प्रसूति लाभ योजना, की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) कृषि विभाग

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 'कृषि शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन' योजना को चिन्हित किया। इसका उद्देश्य कृषि में 10+2 पढ़ने वाली बालिकाओं को ₹ 5,000, कृषि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर करने वाली बालिकाओं को ₹ 10,000 एवं कृषि में पीएचडी करने वाली बालिकाओं को ₹ 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना था। यह प्रकट हुआ कि ₹ 4.50 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में विभाग ने 6,485 बालिकाओं को लाभ पहुँचाने के लिए ₹ 3.73 करोड़ (82.9 प्रतिशत) का उपयोग किया। इस प्रकार, ₹ 0.77 करोड़ कम उपयोग किये गये। कम व्यय के लिए स्कूल इंचार्जों द्वारा जिला अधिकारियों को आवेदनों के प्रेषण में विलम्ब एवं छात्राओं के बैंक खातों में निधियों के ऑनलाइन हस्तान्तरण में समय लगना, कारण बताया गया।

(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान दो योजनाओं (i) मिशन ग्राम्य शक्ति एवं (ii) सशर्त प्रसूति लाभ योजना को जेंडर के लिए संवेदनशील तथा उत्तरदायी के रूप में चिन्हित किया गया। नमूना जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मिशन ग्राम्य शक्ति योजना का उद्देश्य, स्वयं सहायता समूहों का संकुल बनाना, क्षमता निर्माण तथा हाथों में हाथ के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना और महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क माध्यम बनाना था। यह देखने में आया कि इस उद्देश्य के लिये 2013-14 के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत से तीन महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया। तथापि, ₹ 16.60 करोड़ का बजट अनुमान घटाकर मात्र ₹ 3,000 (अनुदान संख्या 30, 33 तथा 51 के अन्तर्गत प्रत्येक के लिये ₹ 1,000) कर दिया गया। आगे, यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन नहीं किये जाने के कारण व्यय नहीं किया गया।

- 'समन्वित बाल विकास सेवाओं' के अन्तर्गत ''सशर्त प्रसूति लाभ योजना'' को इस मूल लक्ष्य के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं व उनके शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारा जा सके। यह योजना पहली दो जीवित सन्तानों वाली 19 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु थी। राज्य सरकार ने बजट अनुमानों में ₹ 39.19 करोड़ का प्रावधान किया था। इसे बाद में पुनर्विनियोजन के द्वारा घटाकर ₹ 17.51 करोड़ किया गया जिसके समक्ष ₹ 17.58 करोड़ का व्यय किया गया। (i) बैंक/पोस्ट आफिस में लाभार्थियों के खाते खोलने में समस्या (ii) भारत सरकार द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं करने तथा (iii) जिला समन्वयक और सहायक समन्वयक के पदों का रिक्त रहने को इस घटत का कारण बताया गया।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया (सितम्बर 2014), उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.2.5 बजट में प्रमुख नीतिगत पहल

सरकार ने 6 मार्च 2013 को वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई-सितम्बर 2014) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति का सार नीचे **तालिका** में दिया गया है:

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
36	ऊर्जा विभाग	₹ 100 करोड़ की लागत से 'रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना' के अन्तर्गत सोलर सिटी के रूप में जोधपुर का विकास करना। इसके बाद, जयपुर तथा अजमेर शहरों को भी इस योजना में शामिल किया गया। (आउटकम बजट के अनुसार समय सीमा 31 मार्च 2014 थी)।	आउटकम बजट में राज्य आयोजना के अन्तर्गत 'रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना' (जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर) के तहत ₹ 100 करोड़ का परिव्यय परिकल्पित किया गया तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को ₹ 150 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भेजे गये। इसके अतिरिक्त यह प्रकट हुआ कि ₹ 100 करोड़ की स्वीकृति के समक्ष वित्त विभाग ने बजट अनुमानों में ₹ 20 करोड़ प्रस्तावित किये लेकिन आवंटन नहीं किये गये। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2014) कि

[14] राज्य सरकार द्वारा आउटकम बजट प्रलेख कार्यक्रमों के लक्ष्यों के समक्ष भौतिक एवं वित्तीय निष्पादनों के मूल्यांकन हेतु तैयार किये जाते है ।

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
			योजना को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस उद्धेश्य के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।
41	जल संसाधन विभाग	बीसलपुर (बनास पदी पर) के बहाव क्षेत्र में ₹ 500 करोड़ की लागत से इसरदा बाँध का निर्माण। (आउटकम बजट के अनुसार समय सीमा तीन वर्ष थी)	राज्य आयोजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में जयपुर और टोंक जिलों के गाँवों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बाँध के निर्माण के लिए ₹ 24 करोड़ का परिव्यय आउटकम बजट में प्रावधित था। यद्यपि, राजस्थान प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल ने इसरदा पेजयल आपूर्ति योजना के लिए मई 2013 में राशि ₹ 530 करोड़ की अनुमानित लागत की स्वीकृति जारी की, जिला कलक्टर, टोंक द्वारा बाँध के निर्माण में काम आने वाली वन विभाग की भूमि के एवज में वैकल्पिक भूमि आवंटन नहीं की गयी।
48	जल संसाधन विभाग	₹ 650 करोड़ की लागत से इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, प्रथम फेज तथा भाँखड़ा परियोजना का जीर्णोद्धार।	आउटकम बजट में राज्य आयोजना के अन्तर्गत ₹ 76 करोड़ तथा ₹ 40 करोड़ क्रमशः इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा परियोजना के लिए उपलब्ध कराये गये। इस संबंध में, दोनों परियोजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹ 110 करोड़ तथा संशोधित अनुमान ₹ 42 करोड़ की तुलना में केवल ₹ 31.83 करोड़ व्यय किया गया। कम व्यय का कारण कर्मचारियों के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण स्वीकृतियाँ देरी से जारी होना था।
79	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी)	बीपीएल परिवारों को निःशुल्क साड़ी एवं कम्बल वितरण की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, 'निराश्रित संबल योजना' के अन्तर्गत साड़ी एवं कम्बल जरूरतमंद व्यक्तियों को भी प्रदान किये जाने थे। कुल लागत ₹ 300 करोड़ प्रस्तावित थी।	एसजेईडी के अन्तर्गत 'नवीन योजना/नवाचार' के लिए ₹ 737.45 करोड़ एवं 'निराश्रित संबल योजना' के लिए ₹ 1.65 करोड़ का परिव्यय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य योजना में प्रावधित था। साड़ी एवं कम्बल की अधिक संख्या होने से निविदा/उत्पादन में प्रत्याशित समस्याओं के कारण, विभाग ने पात्र परिवारों को दो साड़ी तथा एक कम्बल खरीदने के लिए ₹ 1,500 की नकद सहायता देने की योजना क्रियान्वित की। पीआरआई एवं यूएलबी के माध्यम से नकद सहायता देने के द्वारा योजना के अन्तर्गत ₹ 490.04 करोड़ का व्यय किया गया।

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
192	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से विज्ञान एवं मनोरंजन के बारे में जागरूकता लाने के लिए ₹ 10 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक साइंस सिटी की स्थापना की जावेगी।	यद्यपि, 14,645.58 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया एवं इस उद्देश्य के लिए ₹ 10 करोड़ आवंटित किये गये, विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद से स्वीकृति में देरी के कारण कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ तथा कोई व्यय नहीं किया गया।
196	उद्योग विभाग	कलड़वास (उदयपुर) औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत औषधि निर्माण जोन विकसित किया जावेगा। इस जोन में ₹ 700 करोड़ का निवेश आकर्षित करना था।	योजना का प्रारूप अगस्त 2014 में अनुमोदित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 में योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया (सितम्बर 2014), उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

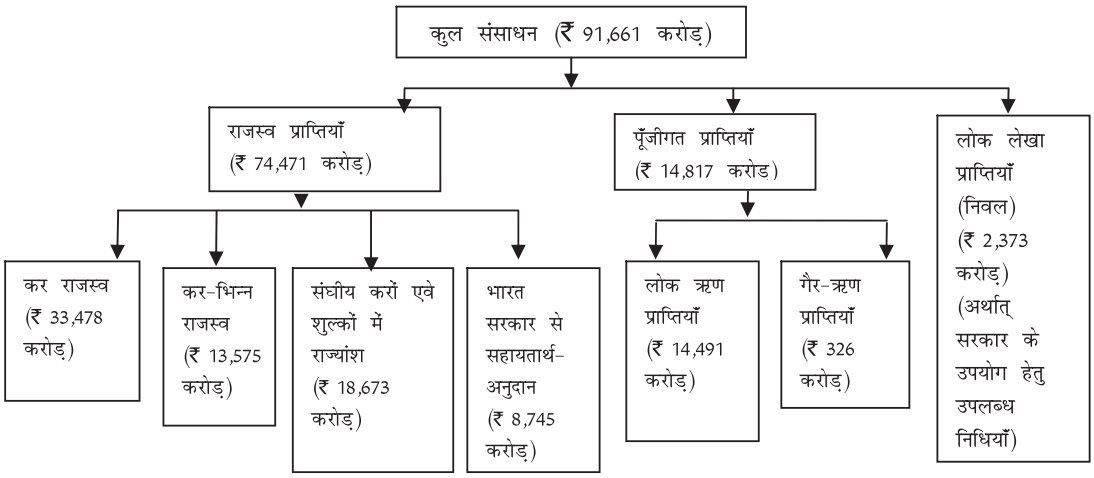
राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों राजस्व प्राप्तियों[15] एवं पूँजीगत प्राप्तियों[16] में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है।

संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

[15] राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।

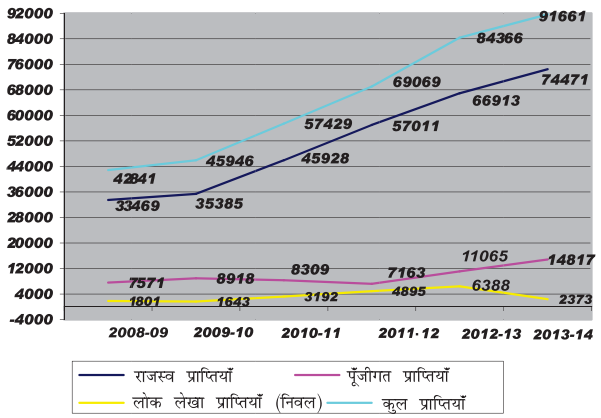
[16] पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं।

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक

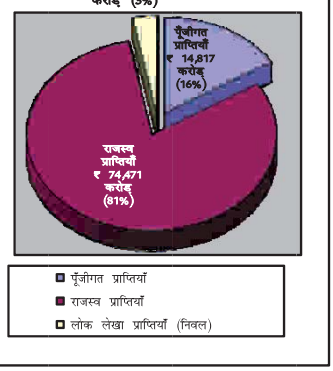


चार्ट 1.1, 2008-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। **चार्ट 1.2**, चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.2 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 2008-09 में ₹ 42,841 करोड़ से 2013-14 में 114 प्रतिशत बढ़कर ₹ 91,661 करोड़ हो गई, उक्त अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 22.8 प्रतिशत रही। ये गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,295 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ी। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 81 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **पैराग्राफ 1.4** में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ये वर्ष 2008-14 के दौरान कुल प्राप्तियों का औसतन 5 प्रतिशत थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक लेखा की निवल प्राप्तियाँ (₹ 2,373 करोड़) मुख्यत: अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि: ₹ 2,521 करोड़; आरक्षित निधि: ₹ 267 करोड़ के अन्तर्गत हुयी जो कि जमा तथा अग्रिम की निवल प्राप्तियों: ₹ 421 करोड़ की कम निवल प्राप्तियों से प्रतिसन्तुलित हुयी। आरक्षित निधियों का संक्षिप्त विश्लेषण **पैरा 1.10.4** में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 4,015 करोड़ (63 प्रतिशत) की गिरावट जमा तथा अग्रिम की निवल प्राप्तियों में ₹ 3,837 करोड़ की कमी के कारण हुयी।

पूँजीगत प्राप्तियाँ 19.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2008-09 में ₹ 7,571 करोड़ से 2013-14 में 96 प्रतिशत बढ़कर ₹ 14,817 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों की 16 प्रतिशत रही। लोक ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,536 करोड़ बढ़ीं। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमश: 98 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 46 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.3.2 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों[17] को अन्तरित करती आ रही हैं। क्योंकि इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है, अत: वार्षिक वित्त लेखे उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/पैमानों की सम्पूर्ण स्थिति को नहीं दर्शा पाते हैं जहाँ इन निधियों का प्रवाह है।

वर्ष के दौरान, ₹ 8,572 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की

[17] राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित हैं जिसको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

गई। इनमे से, कुछ मुख्य योजनाएं जहाँ निधियों को अन्तरित किया गया, निम्न प्रकार है:

ग्रामीण विकास[18] के लिए ₹ 4,484 करोड़ (52 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 2,425 करोड़ (28 प्रतिशत) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹ 631 करोड़ (7 प्रतिशत) अन्तरित किये गये। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई निधियाँ (केन्द्रीय अंश) गत वर्ष (₹ 7,883 करोड़) की तुलना में ₹ 689 करोड़ बढ़ गया।

नीचे **तालिका 1.5** में अन्तरित निधियों में गत वर्ष की तुलना में हुई मुख्य कमी/वृद्धि को सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.5: कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों में कमी/वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वृद्धि			कमी		
क्र. सं.	**कार्यक्रमों/योजनाओं का नाम**	**राशि**	**क्र. सं.**	**कार्यक्रमों/योजनाओं का नाम**	**राशि**
1	*सर्व शिक्षा अभियान*	890	1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	526
2	*इन्दिरा आवास योजना*	287	2	समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम	428
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	275	3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	158
4	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	180	4	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	138
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	129	5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	48
6	पुलिस आधुनिकीकरण योजना	58	6	अक्षय ऊर्जा	35
7	*स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना*	52			
8	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	44			
9	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	36			
10	ई-गवर्नेंस	29			
	योग	**1,980**		**योग**	**1,333**

स्रोत: वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) हेतु केन्द्रीय सहायता एवं एकमुश्त अनुदानों को राज्य

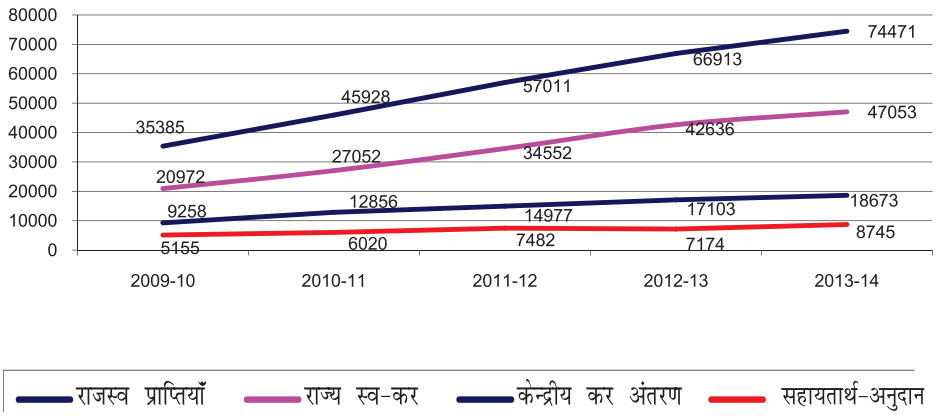
[18] इसमें ₹ 2,059 करोड़: महानरेगा, ₹ 1,248 करोड़: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ₹ 469 करोड़: इन्दिरा आवास योजना एवं ₹ 427 करोड़: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शामिल है ।

आयोजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जावेगा यह भी निर्णय लिया गया है कि 2014-15 एवं इसके बाद केन्द्रीय सहायता राज्य की समेकित निधि के माध्यम से ही क्रमिक रूप से अन्तरित की जावेगी।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

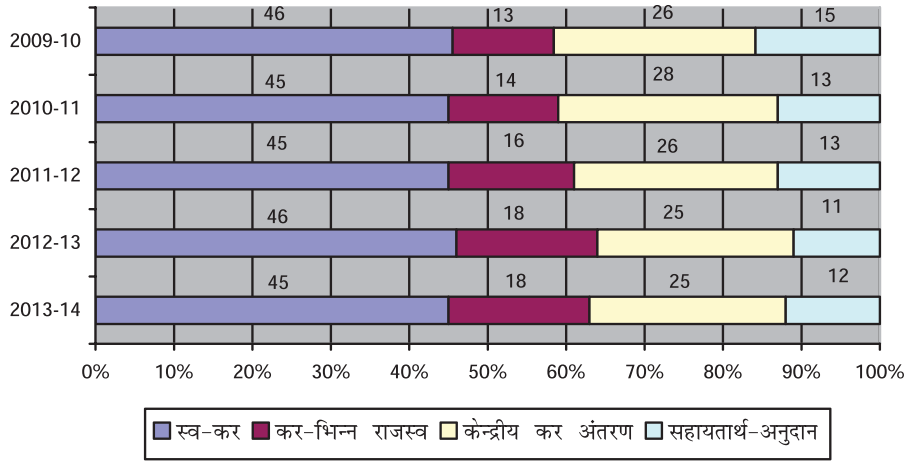
सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-11** में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन को ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः नीचे **चार्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.4** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.4 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ 2009-10 में ₹ 35,385 करोड़ से 2013-14 में 110 प्रतिशत बढ़कर ₹ 74,471 करोड़ हो गई, उक्त अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 28 प्रतिशत रही।

2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 62 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2009-14 की अवधि के दौरान 45 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश 2009-10 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 18 प्रतिशत हो गया।

नीचे **तालिका 1.6** में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**	**74,471**
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.7	29.8	24.1	17.4	11.3
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.8	26.5	22.3	20.2	9.8
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	13.3	13.6	14.1	14.6	14.5
उत्प्लावकता अनुपात					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.4	1.1	1.3	1.3	0.9
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.6	1.0	1.2	1.5	0.8
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	0.6	1.1	1.1	0.9	1.2

स्रोत: वित्त लेखे

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में किये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है। यदि जीएसडीपी में वृद्धि होती है तो सरकार की स्वकर राजस्व जुटाने की योग्यता में भी वृद्धि होनी चाहिये। राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर की समानुपाती है, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण इस अवधि के दौरान व्यापक रूप में परिवर्तित हुई। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर गत वर्ष के 1.3 प्रतिशत से 2013-14 में 0.9 प्रतिशत रह गई। यह गत वर्ष 2012-13 की राजस्व प्राप्ति की वृद्धि में तीव्र गिरावट 17.4 प्रतिशत से, 2013-14 में 11.3 प्रतिशत एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर में 13.8 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशतता बिन्दु गिरावट के साथ 11.9 प्रतिशत होने के कारण है।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसे केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, वैसे ही राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिनका गठन कर एवं कर-भिन्न स्त्रोतों से हुआ, से किया गया।

नीचे **तालिका 1.7** में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ दी गयी हैं:

तालिका 1.7: 2013-14 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य अन्तर
कर राजस्व	28,605	34,053	33,478	(-) 575 (1.7)
कर-भिन्न राजस्व	6,719	12,655	13,575	920 (7.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बजट अनुमान और वास्तविक के मध्य वृद्धि/कमी की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते है

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 17 प्रतिशत (₹ 4,873 करोड़) एवं 102 प्रतिशत (₹ 6,856 करोड़) अधिक रही। फिर भी, 2013-14 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट प्रदर्शित हुई।

1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, 63 प्रतिशत के योगदान के साथ, राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्त्रोत थे। इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (15 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (9 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे **तालिका 1.8** एवं **चार्ट 1.5** में दी गई है:

तालिका 1.8: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

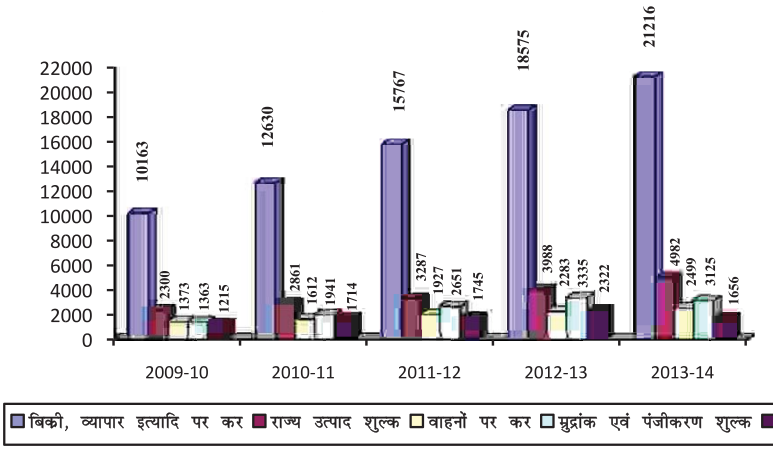
(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10,163	12,630	15,767	18,575	21,216	14.2
राज्य उत्पाद शुल्क	2,300	2,861	3,287	3,988	4,982	24.9
वाहनों पर कर	1,373	1,612	1,927	2,283	2,499	9.5
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,363	1,941	2,651	3,335	3,125	(-) 6.3
भू-राजस्व	148	222	209	304	338	11.2
माल तथा यात्री कर	176	231	220	249	288	15.7
अन्य कर[19]	891	1,261	1,316	1,769	1,030	(-) 41.8
योग	**16,414**	**20,758**	**25,377**	**30,503**	**33,478**	**9.8**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[19] अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

चार्ट 1.5: 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य स्व-कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



* **अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर आदि शामिल है**

वर्ष 2013-14 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि से प्राप्तियाँ, कर राजस्व का मुख्य अंश (63 प्रतिशत) रहा तथा गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुयी। बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वृद्धि दर गत वर्ष की 18 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट आने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में सबसे कम 6 प्रतिशत थी, विदेशी शराब एवं स्प्रिट की बिक्री, सेवाओं एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण गत वर्ष 2012-13 की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क गत वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ा।

वाहनों पर कर (₹ 2,499 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,125 करोड़) में 6 प्रतिशत की कमी हुई।

1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे **तालिका 1.9** एवं **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है:

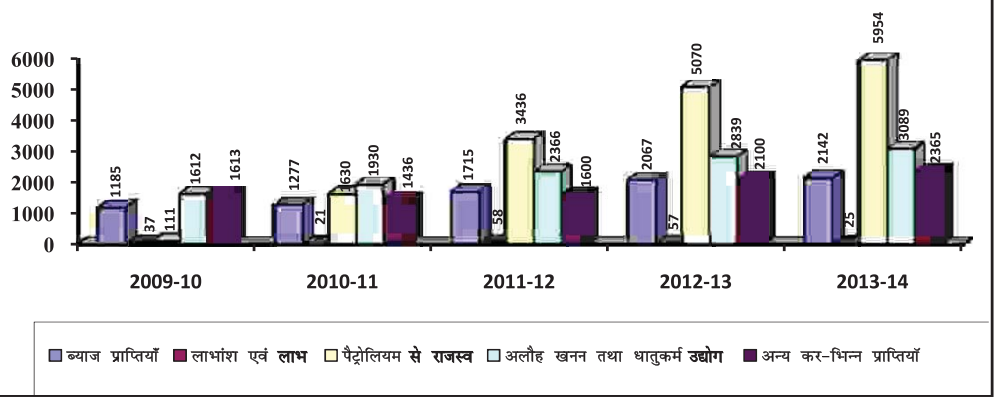
तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर
ब्याज प्राप्तियाँ	1,185	1,277	1,715	2,067	2,142	3.6
लाभांश एवं लाभ	37	21	58	57	25	(-) 56.1
पैट्रोलियम से राजस्व[20]	111	1,630	3,436	5,070	5,954	17.4
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,612	1,930	2,366	2,839	3,089	8.8
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1,613	1,436	1,600	2,100	2,365	12.6
योग	**4,558**	**6,294**	**9,175**	**12,133**	**13,575**	**11.9**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.6 2009-10 से 2013-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,575 करोड़), जो कि 2013-14 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत (₹ 1,442 करोड़) की वृद्धि हुई। कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण रॉयल्टी की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप, पैट्रोलियम से प्राप्तियाँ ₹ 884 करोड़ बढ़ी। ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यत: रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति तथा विभागीय सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त ब्याज के पुस्तकीय समायोजन के कारण हुयी।

निवेश पर प्रतिलाभ 2012-13 के 0.3 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 0.1 प्रतिशत रह गया। अधिक विवरण **अनुच्छेद 1.9.3** में दिया गया है।

[20] बाड़मेर-सांचौर बेसिन में कच्चे तेल उत्पादन से राजस्व।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) का आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में लागत की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2012-13			2013-14		
		सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)	सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	10.99	5,642.60	0.19	27.68	6,458.39	0.43
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	96.04	2,357.56	4.07	65.61	2,664.95	2.46
3	जलापूर्ति तथा सफाई	258.61	1,697.08	15.24	254.84	1,836.64	13.88
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	102.61	484.37[21]	21.18	92.49	516.16[21]	17.92
5	सड़क तथा सेतु	3.17	796.58	0.40	4.15	934.27	0.44

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में प्राप्तियाँ 2013-14 में गत वर्ष की तुलना में 9.9 प्रतिशत गिरीं जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 3.26 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी। इस प्रकार, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई के लिये लागत वसूली के मानक आंकलन 37 प्रतिशत के समक्ष वास्तविक वसूली दर की प्रतिशतता 17.92 प्रतिशत फलित हुई।

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2009-10 में ₹ 5,155 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,745 करोड़ हो गया:

[21] ब्याज अदायगियाँ 2012-13: ₹ 1,002.86 करोड़ एवं 2013-14: ₹ 1,055.63 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजना-भिन्न अनुदान	1,715	1,716	2,901	2,675	3,551
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,606	2,488	2,416	2,316	2,993
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	128	165	166	92	135
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,706	1,651	1,999	2,091	2,066
योग	**5,155**	**6,020**	**7,482**	**7,174**	**8,745**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 8.6	16.8	24.3	(-) 4.1	21.9
कुल अनुदान की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	14.6	13.1	13.1	10.7	11.7

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान में गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: आयोजना-भिन्न अनुदान एवं राज्य आयोजनागत अनुदान के अन्तर्गत हुई

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों में राज्यों के 30.50 प्रतिशत हिस्से (बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमश: 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान, केन्द्रीय कर अन्तरण गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,570 करोड़ बढ़ा एवं यह राजस्व प्राप्तियों का 25.1 प्रतिशत था। यह वृद्धि निगम कर (₹ 136 करोड़), सेवा कर (₹ 545 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 205 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 457 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 220 करोड़) एवं सम्पदा शुल्क (₹ 7 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

1.4.4 तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान, निम्न **तालिका 1.12** में दर्शित क्षेत्रों में, राज्य को ₹ 3,102.36 करोड़ अन्तरित करने की सिफारिश की थी।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2013 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2013-14 में वास्तविक निर्मोचन	2013-14 के दौरान व्यय	अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2013-14 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6)-7=8
(1)	**स्थानीय निकायें**						
	(i) *पंचायती राज संस्थाओं को*	3,938.64	991.24	(-) 0.02	1,179.77	1,179.77	(-) 0.02
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*2,575.24*	*588.93*	*(-) 0.02*	*602.38*	*602.38*	*(-) 0.02*
	(ब) पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	*1,363.40*	*402.31*	-	*577.39*	*577.39*	-
	(ii) *शहरी स्वायत्त निकाय को अनुदान*	1,194.26	300.56	(-) 0.36	361.63	361.63	(-) 0.36
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*780.86*	*178.57*	(-) 0.36	*182.65*	*182.65*	(-) 0.36
	(ब) शहरी स्वायत्त निकाय को सामान्य निष्पादन अनुदान	*413.40*	*121.99*	-	*178.98*	*178.98*	-
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	7.20	0.72	9.01	9.01	0.72
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	*18.20*	*3.60*	0.54	*3.60*	*3.60*	0.54
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	*12.70*	*3.60*	0.18	*5.41*	*5.41*	0.18
	योग (1)	**5,163.80**	**1,299.00**	**0.34**	**1,550.41**	**1,550.41**	**0.34**
(2)	**आपदा राहत**						
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	521.50	-	521.50	521.50	-
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	6.00	6.03	-	1.06	4.97
	योग (2)	**2,519.30**	**527.50**	**6.03**	**521.50**	**522.56**	**4.97**
(3)	**परिणाम में सुधार के लिए अनुदान**						
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	53.70	46.38	23.80	26.00	44.18
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	26.98	13.49	-	-	13.49
	(iii) जिला नवाचार निधि*	33.00	-	13.56	-	8.37	5.19
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	6.60	1.05	6.60	4.27	3.38
	(v) कर्मचारी एवं पेंशन डाटा बेस	10.00	7.50	0.14	7.50	7.50	0.14
	योग (3)	**479.41**	**94.78**	**74.62**	**37.90**	**46.14**	**66.38**
(4)	**पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान**						
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	22.08	1.08	29.04	25.56	4.56
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	56.00	-	-	56.00
	योग (4)	**312.32**	**78.08**	**57.08**	**29.04**	**25.56**	**60.56**
(5)	**प्रारम्भिक शिक्षा**	**1,766.00**	**394.00**	-	**394.00**	**394.00**	-
(6)	**सड़क एवं पुल**	**1,509.00**	**409.00**	-	**409.00**	**410.62**	(-) 1.62
(7)	**राज्य विशिष्ट अनुदान**						
	(i) पेयजल	500.00	125.00	(-) 5.45	-	125.03	(-) 130.48
	(ii) सिंचाई	300.00	75.00	(-) 20.27	-	67.59	(-) 87.86
	(iii) लोक स्वास्थ्य आधारभूत विकास	150.00	37.50	12.28	37.67	39.30	10.65
	(iv) राजमार्ग	150.00	37.50	(-) 0.01	37.50	31.98	5.51
	(v) पुलिस, जेल कार्मिकों और होम गार्ड्स का प्रशिक्षण	100.00	25.00	16.27	-	12.68	3.59
	योग (7)	**1,200.00**	**300.00**	**2.82**	**75.17**	**276.58**	**(-) 198.59**
	महायोग (1 से 7)	**12,949.83**	**3,102.36**	**140.89**	**3,017.02**	**3,225.87**	**(-) 67.96**

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

* वर्ष 2011-12 के दौरान प्रथम किश्त के पेटे ₹ 16.50 करोड़ की राशि निर्मोचित की गई यद्यपि प्रथम किश्त के उपयोग करने के बाद ही द्वितीय किश्त निर्मोचित की जानी थी।

मार्च 2014 तक राज्य सरकार ने, ₹ 3,102.36 करोड़ के अनुदान की सिफारिश के विरूद्ध ₹ 85.34 करोड़ के कम निर्मोचन के कारण, कुल ₹ 3,017.02 करोड़ (भारत सरकार से शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए प्राप्त अनुदान ₹ 6.64 करोड़ को छोड़कर) का अनुदान प्राप्त किया।

कुछ प्रकरणों में, वर्ष 2010-11 या 2011-12 के दौरान प्रथम अंतरण/किश्त बिना किसी शर्त के जारी की जानी थी तथा अगली किश्तें निश्चित शर्तों, जिनका विवरण जैसाकि प्रत्येक अनुदान के सामने नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है, को पूर्ण किये जाने के बाद निर्मोचित की जानी थी।

तालिका 1.13: तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों के निर्मोचन के लिए शर्तें

अंतरण	अगली किश्त के निर्मोचन के लिए शर्त
यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान	विभिन्न मानदण्डों पर आधारित पुनर्भरण आधार पर निर्मोचित की जायेगी।
न्याय वितरण में सुधार	राज्य द्वारा राज्य वाद नीति पेश किये जाने के बाद निर्मोचित की जायेगी।
सरकारी कर्मचारियो और पेंशनरो के लिए डाटाबेस	डाटाबेस को तीन वर्षो में पूर्ण किया जाना है। बकाया राशि राज्य द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद दी जाएगी कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया हे।
जल क्षेत्र प्रबंधन	राज्य 2011-12 तक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित करे और 31 मार्च 2012 तक अधिसूचित करे।
राज्य विशिष्ट अनुदान	राज्य द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने की अवधि के दौरान रोकी जायेगी। यदि राज्य द्वारा वर्ष के किसी भाग में उल्लंघन किया गया, तो यह अनुदान उस अनुपात तक कम किया जायेगा।

चूँकि राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण नहीं किया जिससे जल क्षेत्र प्रबंधन: ₹ 112 करोड़ (₹ 56 करोड़ प्रत्येक वर्ष अर्थात 2012-13 एवं 2013-14 के लिए) एवं यूआईडी जारी करने के लिए प्रोत्साहन: ₹ 80.94 करोड़ (₹ 26.98 करोड़ प्रत्येक वर्ष अर्थात 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए) के प्रकरणों में आगामी किश्तें 2013-14 तक निर्मोचित नहीं की गई।

1.4.5 छोड़ा गया राजस्व

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य द्वारा विभिन्न करों के अन्तर्गत बट्टा, माफी, छूट, आस्थगन इत्यादि के कारण छोड़े गये राजस्व पर मुद्रांक एवं पंजीकरण, वाणिज्यिक कर एवं परिवहन आदि विभागों से संकलित सूचना निम्नानुसार थी:

- मुद्रांक एवं पंजीकरण विभाग ने बॉण्डस, गैर-परिवर्तनीय बॉण्डस, अंश प्रमाणपत्रों आदि को सम्मिलित करते हुये दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क माफ किया जिससे ₹ 16.65 करोड़[22] का राजस्व छोड़ा गया।

[22] (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम: ₹ 3.50 करोड़, (2) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़ (3) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 13.13 करोड़ एवं (4) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़।

- वाणिज्यिक कर विभाग ने राशि पर ₹ 12.19 करोड़ ब्याज एवं शास्ति की छूट प्रदान की।

- परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को उनके देय मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर में ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 3500 से अधिक देय अधिभार की छूट प्रदान की।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2009-14 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8,918**	**8,309**	**7,163**	**11,065**	**14,817**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	9	13	16	8	10
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	112	319	1,229	1,102	316
लोक ऋण प्राप्तियाँ	8,797	7,977	5,918	9,955	14,491
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	17.6	- 9.3	- 25.8	68.2	45.6
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	30.1	174.4	275.0	- 10.8	- 70.6
जीएसडीपी की वृद्धि दर	15.1	27.3	19.2	13.8	11.9
पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.8	- 6.8	- 13.8	54.5	33.9

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2009-10 से 2013-14 तक 66 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्जों एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर्जों एवं अग्रिम की वसूलियाँ में ₹ 786 करोड़ की कमी मुख्यत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कम वसूली के कारण हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ/लोक ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत (₹ 4,477 करोड़) बढ़ी जबकि बाजार ऋण प्राप्तियाँ एवं विद्युत

वितरण निगम के बॉण्ड्स के क्रय के लिए (9.5 प्रतिशत विशेष बाण्ड्स) प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 759 करोड़ (9.4 प्रतिशत) एवं ₹ 3,340 करोड़ (100 प्रतिशत) बढ़े।

1.5.4 भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ में गत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत (₹ 59 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज के अन्तर्गत हुयी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 136 करोड़ के ऋण का भी अपलेखन किया गया।

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15: लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,975	5,130	5,630	7,171	6,311
ब. आरक्षित निधि	-267	873	1,638	1,568	2,233
स. जमा तथा अग्रिम	99,446	1,07,666	1,14,301	1,40,748	89,436
द. उचन्त तथा विविध	75	11	27	43	91
य. प्रेषण	6,128	5,810	5,619	7,033	9,908[23]
योग	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**	**1,07,979**

स्रोतः वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्तियाँ, जिनमें कि 2009-13 के दौरान लगातार वृद्धि प्रदर्शित हुई, में 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 48,584 करोड़ (31 प्रतिशत) की भारी कमी हुई। यह कमी मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों (₹ 51,312 करोड़) के अन्तर्गत रही। यह प्रेषण (₹ 2,875 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई।

[23] इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच प्रेषणः ₹ 1,041 करोड़: लोक निर्माण प्रेषणः ₹ 8,514 करोड़ तथा वन प्रेषणः ₹ 353 करोड़ शामिल है।

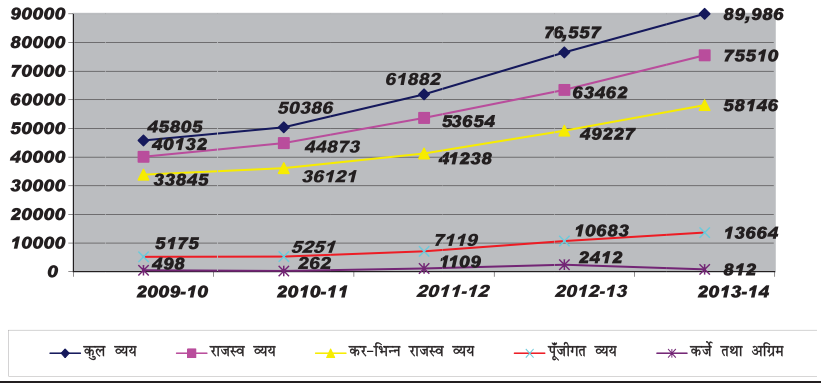
1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूँकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय सीमाऐं होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।

1.7.1 कुल व्यय

नीचे दिखाया गया **चार्ट 1.7**, पाँच वर्षों (2009-14) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और **चार्ट 1.8**, 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाता है।

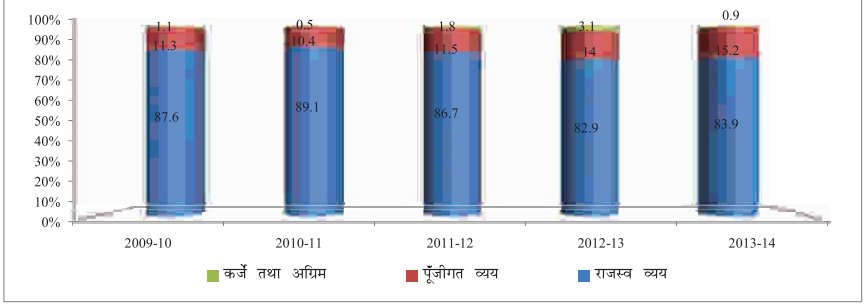
चार्ट 1.7 कुल व्यय: प्रवृत्ति तथा संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय, 24 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से 2009-10 से 2013-14 की अवधि में, 96 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2012-13 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं पूँजीगत व्यय ₹ 2,981 करोड़ (28 प्रतिशत) बढ़ा जोकि ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्अदायगी में ₹ 1,600 करोड़ (66 प्रतिशत) की कमी से प्रतिसन्तुलित हुआ।

चार्ट 1.8 कुल व्यय: इसके घटकों के भागों की प्रवृत्ति में (भाग प्रतिशत में)



राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, कुल व्यय का मुख्य भाग है। यह वर्तमान स्तर की सेवाएं बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान पर किया जाता है और इसी कारण राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 84 प्रतिशत था। राजस्व व्यय 2009-10 के ₹ 40,132 करोड़ से 88 प्रतिशत बढ़कर, 2013-14 में 22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के साथ, ₹ 75,510 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व व्यय में ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धजन पेंशन योजनाओं एवं नवाचार योजनाओं में ₹ 2,638 करोड़ (222 प्रतिशत) की वृद्धि शामिल है जोकि राजस्व अधिशेष के राजस्व घाटे में परिवर्तित होने का भी एक मुख्य कारण थी।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय, 2009-10 के ₹ 5,175 करोड़ से 164 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 41 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के साथ, ₹ 13,664 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय, गत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत (₹ 2,981 करोड़) से मुख्यत: जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय में ₹ 1,520 करोड़ एवं सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय में ₹ 815 करोड़ होने के कारण बढ़ा। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशतता अंश 2010-11 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 के दौरान 15.2 प्रतिशत हो गया।

1.7.2 चालू राजस्व शेष[24]

राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) ₹ 69,277 करोड़ की (₹ 74,471 करोड़-₹ 2,993 करोड़-₹ 2,201 करोड़) ***(परिशिष्ट 1.4)*** एनपीआरई के ₹ 58,146 करोड़ **(चार्ट 1.7)** से ₹ 11,131 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया जो कि एक सकारात्मक सूचक है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय, मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन तथा अर्थ-सहाय्य पर व्यय, का संघटक है। वर्ष 2009-2014

[24] चालू राजस्व शेष से तात्पर्य 'राजस्व प्राप्तियों में से समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय' को घटाने से है।

के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न **तालिका** 1.16 एवं **चार्ट** 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	13,348	13,730	14,829	16,825	19,290
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष *	682	840	1,018	770	1,314
कुल वेतन एवं मजदूरी	14,030 (39.7)	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595 (26.3)	20,604** (27.7)
ब्याज अदायगियाँ	6,769 (19.1)	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)	9,063 (12.2)
पेन्शन पर व्यय	4,887 (13.8)	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)	7,801 (10.5)
अर्थ-सहाय्य	1,493 (4.2)	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)	6,940 (9.3)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**27,179 (76.8)**	**29,317 (63.8)**	**32,859 (57.6)**	**38,257 (57.2)**	**44,408 (59.6)**
अन्य घटक	12,953 (36.6)	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205 (37.7)	31,102*** (41.8)
कुल राजस्व व्यय	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**	**75,510**
राजस्व प्राप्तियाँ	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**	**74,471**

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या, राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।

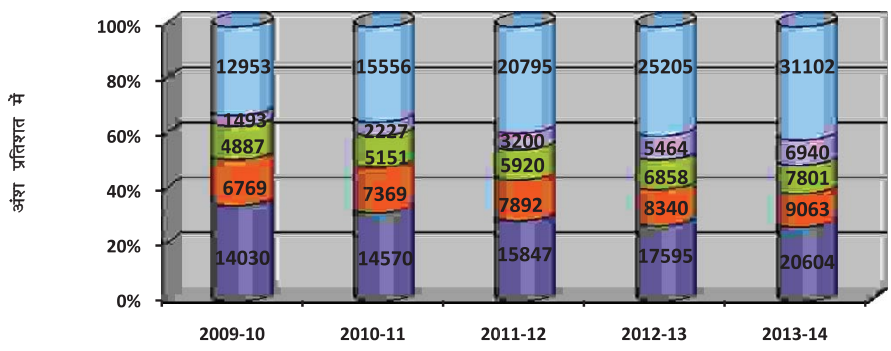
* आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

** वेतन: ₹ 20,170 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 434 करोड़

*** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 13,385 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,378 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,638 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 478 करोड पर व्यय सम्मिलित है।.

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.9 वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश (चिन्हित मूल्य ₹ करोड़ में)



वर्ष 2013-14 में प्रतिबद्ध व्यय ₹ 44,408 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का क्रमश: 59 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत था।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, वर्ष 2009-10 के ₹ 14,030 करोड़ से 47 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में उक्त अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 20,604 करोड़ हो गया । वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ा। जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग[25] द्वारा सिफारिश किए गए व्यय (6 प्रतिशत) से 11 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 489 करोड़ कम रहा।

1.7.3.2 पेन्शन भुगतान

- ***सामान्य***

समग्र पेन्शन भुगतान पर व्यय, वर्ष 2009-10 के ₹ 4,887 करोड़ से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 7,801 करोड़[26] हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर, पेन्शनरों की कुल संख्या में 9,125[27] (2.7 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण अभिलेखित की गई। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता हैं कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 7,801 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 4,811 करोड़) से 62 प्रतिशत अधिक रहा लेकिन राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से 1 प्रतिशत कम रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय, कुल राजस्व व्यय का 10.3 प्रतिशत रहा।

- ***अंशदायी पेंशन योजना***

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुरूपित किया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि लेखा शीर्ष 8342 अन्य जमा- 117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा को स्थानान्तरित की जाती है तथा इसके पश्चात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित कर दी जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों

[25] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

[26] इसमे चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय पर हुये व्यय ₹ 7,594.50 करोड़ शामिल है।

[27] पेन्शनरों की संख्या 2012-13: 3,42,290 एवं 2013-14: 3,51,415.

के अंशदान के रूप में ₹ 262.63 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 206.96 करोड़ नियोक्ता के रूप में अंशदान किया।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ, वर्ष 2009-10 के ₹ 6,769 करोड़ से 34 प्रतिशत एवं गत वर्ष (₹ 8,340 करोड़) से 9 प्रतिशत बढ़कर, वर्ष 2013-14 में ₹ 9,063 करोड़ हो गई। मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 5,972 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,469 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 502 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज, जिसमें बाजार के कर्जे शामिल हैं, 2012-13 के ₹ 5,445 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 5,972 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: बाजार के कर्जे ₹ 7,175 करोड़ (16 प्रतिशत) एवं आन्तरिक ऋण ₹ 3,433 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ने के कारण थी।

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2012-13 के ₹ 2,238 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,469 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि ₹ 1,861 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं बीमा तथा पेंशन निधि ₹ 660 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ने के कारण थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ ₹ 9,063 करोड़ थी जोकि राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 9,241 करोड़) एवं तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 9,429 करोड़) से कम रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण की सहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 12 प्रतिशत रहा जो कि तेरहवें वित्त आयोग के मानकों (15 प्रतिशत) के भीतर था, जोकि एक सकारात्मक संकेत भी है।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है अपितु जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाऐं उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती हैं। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय समर्थन, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 6,910 करोड़ की प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे के परिशिष्ट III में दर्शायी गयी है जो कि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: विद्युत (₹ 6,460 करोड़), खाद्य वितरण (₹ 268 करोड़), घरेलू गैस (₹ 116 करोड़) एवं फसल कृषि-कर्म (₹ 52 करोड़) क्षेत्रों में ₹ 1,450 करोड़ (26 प्रतिशत) अधिक रही।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 93 प्रतिशत था। 2013-14 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यत: दरें न बढ़ाने के लिए (₹ 5,261 करोड़[28]) विद्युत कर (₹ 624 करोड़[29]) तथा वित्तीय रि-मॉडिफिकेशन प्रोग्राम (₹ 420 करोड़[30]) के लिए अर्थ-सहाय्य प्रदान किये गये।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य, गत वर्ष (₹ 4,861 करोड़) की तुलना में 33 प्रतिशत (₹ 1,599 करोड़) वृद्धि मुख्यत: दर न बढ़ाने के लिए अनुदान ₹ 2,816 करोड़[31] से बढ़ाने के कारण हुयी जोकि विद्युत कर के लिए अनुदान ₹ 526 करोड़ से एवं बॉण्डस् पर ब्याज हेतु अनुदान ₹ 829 करोड़ कम होने से प्रतिसन्तुलित हुयी। गत वर्ष की तुलना में खाद्य अर्थ-सहाय्य एवं फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य क्रमश: 14 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत गिरी।

प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं होता है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य तब उत्पन्न होता है जब सरकार सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं, जो कि मुख्यत: निजी प्रकृति के हों, को प्रदान करने में आई लागत को वसूल करने में असमर्थ होती है। यह परोक्ष अथवा कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2009-14 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

[28] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,391 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,641 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,229 करोड़।

[29] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 156 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 217 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 251 करोड़।

[30] (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 168 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 126 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 126 करोड़।

[31] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,475 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 856 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 485 करोड़।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	448.63	1,506.21	2,013.12	2,302.98	2,236.99	2,236.99
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	1,047.23	1,130.04	1,339.94	2,255.06	2,324.16	2,324.16
पंचायती राज संस्थाऐं	3,868.59	4,365.15	6,217.95	7,675.24	8,945.99	8,953.21
विकास अभिकरण	376.36	354.18	75.07	118.94	195.38	195.36
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाऐं	107.51	117.03	72.50	84.27	125.57	124.72
अन्य संस्थाऐं	2,195.49	2,743.03	2,618.23	3,781.66	4,931.45	4,929.02
योग	**8,043.81**	**10,215.64**	**12,336.81**	**16,218.15**	**18,759.54**	**18,763.46**
राजस्व व्यय	40,132	44,873	53,654	63,462	76,195	75510
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	20	23	23	26	25	25

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर्स

गत वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता 16 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलेखित करते हुए ₹ 2,545 करोड़ बढ़ी तथा वर्ष 2009-14 के दौरान यह राजस्व व्यय के 20 से 26 प्रतिशत के मध्य रही।

वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यत: प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को (₹ 2,811 करोड़); सर्व शिक्षा अभियान हेतु (₹ 1,523 करोड़); तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 865 करोड़); राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को (₹ 833 करोड़); निर्बन्ध निधियाँ (₹ 661 करोड़) तथा मिड-डे मील (₹ 556 करोड़) हेतु दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नगर निगमों (₹ 509 करोड़); नगरपालिकाओं/नगर परिषदों (₹ 552 करोड़); सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से नवाचार कार्यक्रम के लिए जिला परिषदों (₹ 712 करोड़); विद्युत कम्पनियों को दायित्वों के कारण होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए (₹ 735 करोड़); सहकारिता संस्थाओं (₹ 547 करोड़); फसल कृषि-कर्म (₹ 865 करोड़) तथा छोटे एवं सीमान्त कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत के रूप में कृषि आगत अनुदान जो कि कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लीज फसलों हेतु (₹ 523 करोड़) थे, को विशेष अनुदान प्रदान किया गया।

1.7.5 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित मुख्य मुद्दों की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2014 को राज्य में 33 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), 33 जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), 248 पंचायत समितियाँ एवं 9,177 ग्राम पंचायतें, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में थी।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) पीआरआई के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत इनकी लेखापरीक्षा करते हैं। राज्य में डीएलएफएडी द्वारा पीआरआई की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) का पैमाना अपनाया गया तथा इन लेखों की लेखापरीक्षा एवं इनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 75 में भी संशोधन (मार्च 2011) किया गया।

स्थानीय निकायों के लेखे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (आरपीआरए), 1994 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम (आरपीआरआर), 1996 के तहत, 31 मार्च 2014 तक पारम्परिक प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन प्रारूप वर्ष 2009 को, डाटा प्रविष्टि तथा आठ डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर' (पीआरआईए सॉफ्ट) के साथ, अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया।

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में हस्तांतरण आदेश जारी किये गये। तद्नुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यो में से 28 कार्य प्रारम्भिक रूप से स्थानान्तरित किये गये। तथापि केवल 20 विषयों से सम्बन्धित निधियों एवं कर्मियों को स्थानान्तरित किया गया (विवरण ***परिशिष्ट 1.11*** में दिया गया है)। तदुपरान्त जनवरी 2004 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित 5 विषयों की निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के हस्तांतरण को वापस ले लिया गया।

शहरी स्थानीय निकाय

31 मार्च 2014 को 6 नगर निगम, 35 नगर परिषद एवं 143 नगर पालिकाऐं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन थे।

डीएलएफएडी, शहरी स्थानीय निकाय का प्राथमिक लेखापरीक्षक है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत सीएजी इनकी लेखापरीक्षा करता है।

राज्य की सभी 184 नगर निकायों को निदेशक स्थानीय निकाय (डीएलबी), जयपुर द्वारा 01 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति से लेखे संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया था। नगर निकाय उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति अपनाने की प्रक्रिया में है।

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतर्विष्ट धारा 243डब्ल्यू में, संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सम्बन्ध में, नगरपालिकाओं को शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण प्राविधित किया गया था। डीएलबी द्वारा दी गई सूचना (जून 2014) के अनुसार, यूएलबी द्वारा 16 विषयों ***(परिशिष्ट 1.12)*** से सम्बन्धित कार्य पहले से ही किये जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 184 शहरी स्थानीय निकायों में से 7[32] में ही 'जलापूर्ति' संबंधी कार्य किये जा रहे हैं जबकि 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार शहरी योजना के कार्य का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों को किया जाना अभी बाकी है।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढ़ाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हेतु मूलतः तीन पहलू शामिल होते है यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं इसकी प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आंकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपी गयी सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढ़ाँचे से सम्बन्धित व्यय की जिम्मेदारियां, मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर व्यय को बढ़ाये। किसी विशिष्ट क्षेत्र से अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का सम्पूर्ण व्यय से अनुपात) संलग्न होती है यदि यह संबंधित क्षेत्र के राष्ट्रीय औसत से कम हो।

नीचे दी गयी **तालिका 1.18** वर्ष 2013-14 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

[32] बूंदी, चौमू, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा एव ंनोखा।

तालिका 1.18: वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत* (अनुपात) 2010-11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2010-11	14.89	66.43	39.51	10.42	20.32	5.08
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2013-14	17.52	73.39	40.39	15.18	17.08	5.31

* दिल्ली, गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

\# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे (ii) सामान्य श्रेणी के राज्यों की जीएसडीपी के लिए 1 अगस्त 2014 को सीएसओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना सिवाय केरल के प्रकरण में जहाँ पीएजी द्वारा आँकड़े उपलब्ध करवाये गये तथा गुजरात जहाँ 2013-14 के बजट प्रपत्र से आंकड़े लिये गये।

तालिका 1.18 निम्नानुसार इंगित करती है:

1. वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राजस्थान अपने जीएसडीपी का बडा भाग समग्र व्यय के रूप में खर्च कर रहा है।

2. राजस्थान में समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है। विकासात्मक व्यय में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र व्यय (समग्र व्यय के अंश के रूप में) सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।

3. राजस्थान द्वारा 2010-11 की तुलना में 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक रहा।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षो पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित

उपाय करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स[33] के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय[34] के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। **तालिका 1.19** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	24,466 (53.4)	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	42,701 (55.8)	52,680 (58.2)	51,921 (57.7)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	5,752 (12.6)	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	10,434 (13.6)	13,559 (15.0)	13,330 (14.8)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	498 (1.1)	262 (0.5)	1,109 (1.8)	2,412 (3.2)	189 (0.2)	812 (0.9)
विकासात्मक व्यय(अ से स)	**30,716 (67.1)**	**33,473 (66.4)**	**42,696 (69.0)**	**55,547 (72.6)**	**66,428 (73.4)**	**66,063 (73.4)**
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	10.9	9.0	27.6	30.1	30.0	18.9
कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।						

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

[33] कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाऐं है जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती हैं, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाऐ इत्यादि। मेरिट गुड्स वे जिन्स हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता हैं। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थ्यता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

[34] व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्व किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाऐं विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

विकासात्मक व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल है। कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में यह 2010-11 में 66.4 से बढ़कर 2013-14 में 73.4 हो गयी। वर्ष 2009-14 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसतन 56 प्रतिशत राजस्व खाते पर रहा तथा शेष पूँजीगत खाते, जिसमें ऋण एवं अग्रिम शामिल है, पर रहा।

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 60 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2012-13 के ₹ 2,840 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,551 करोड़ हो गया एवं इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात भी 2012-13 में 27 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 33 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 16 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2012-13 के ₹ 7,594 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,779 करोड़ हो गया।

गत वर्ष की तुलना में 2013-14 में सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, परिवहन, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 50 करोड़, ₹ 182 करोड़, ₹ 774 करोड, ₹ 78 करोड़ तथा ₹ 85 करोड़ अधिक किया गया।

नीचे दी गयी **तालिका 1.20** पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2012-13			2013-14		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.13	59.56	नगण्य	0.42	59.96	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.50	68.95	0.11	7.09	66.70	0.16
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	34.65	23.83	1.24	46.95	25.74	1.94
योग (अ)	**10.09**	**45.95**	**0.23**	**12.63**	**43.35**	**0.32**
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	9.87	34.87	0.40	9.83	34.38	0.37
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	36.34	19.20	7.05	39.18	20.28	9.10
विद्युत एवं ऊर्जा	40.81	0.02	0.00	35.38	0.01	0.00
परिवहन	54.82	8.10	13.18	59.62	7.14	60.60
योग (ब)	**30.37**	**9.69**	**1.75**	**30.05**	**9.38**	**5.62**
महायोग (अ+ब)*	**19.64**	**31.17**	**0.85**	**20.43**	**29.98**	**2.40**

स्रोत: वित्त लेखे

* (सामाजिक सेवाओं पर व्यय+आर्थिक सेवाओं पर व्यय)/कुल व्यय x 100

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2012-13 में 45.95 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 43.35 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2012-13 के 9.69 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 9.38 प्रतिशत रह गया।

संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय

यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियों को बनाये रखा जाना होता है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, संचालन एवं अनुरक्षण का अंश 2013-14 में 2.40 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुल राजस्व व्यय का मात्र 1.77 प्रतिशत आवंटन किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2012-13 के 0.23 प्रतिशत एवं 1.75 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 0.32 प्रतिशत एवं 5.62 प्रतिशत हो गया।वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए मात्र ₹ 1,372.41 करोड़ (राजस्वः ₹ 1,334.89 करोड़, पूँजीगतः ₹ 37.52 करोड़) दर्ज किये।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में करते है। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल है, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यतः आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न ***तालिका 1.21*** विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं संघटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजना	राजस्व	6,287	8,752	12,416	14,235	17,364
	पूँजीगत	5,820	5,231	7,103	10,682	13,676
	ऋण	462	189	1,051	2,242	664
	योग	**12,569**	**14,172**	**20,570**	**27,159**	**31,704**
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	27	28	33	35	35
आयोजना-भिन्न	राजस्व	33,845	36,121	41,238	49,227	58,146
	पूँजीगत	(-) 645	20	16	1	(-) 12
	ऋण	36	73	58	170	148
	योग	**33,236**	**36,214**	**41,312**	**49,398**	**58,282**
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	73	72	67	65	65
कुल व्यय		**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**	**89,986**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-14 के दौरान कुल व्यय में आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि दर्शाई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है।

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2009-10 के ₹ 12,569 करोड़ से 152 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 31,704 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न ₹ 33,236 करोड़ से 75 प्रतिशत बढ़कर ₹ 58,282 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2009-14 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत से बढ़ा। 2013-14 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 22.2 प्रतिशत की वृद्धि से कम था। इसी प्रकार, आभिराव्य में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2013-14 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये 10.2 प्रतिशत के आंकलन से अधिक थी।

1.8.3.1 आयोजना राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,129 करोड़ की वृद्धि मुख्यत:, मुख्यशीर्ष सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 797 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 765 करोड़), नागरिक आपूर्ति (₹ 259 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 237 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण(₹ 223 करोड़), परिवार कल्याण (₹ 191 करोड़) एवं ग्रामीण रोजगार (₹ 183 करोड़), के अन्तर्गत थी। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात (23 प्रतिशत) गत वर्ष (22 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत अधिक रहा।

1.8.3.2 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 8,919 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 1,841 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,524 करोड़), विद्युत (₹ 1,462 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 943 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 723 करोड़), पुलिस (₹ 550 करोड़), चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य (₹ 307 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 221 करोड़), शहरी विकास (₹ 170 करोड़), चुनाव (₹ 164 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 140 करोड़) एवं सड़क तथा सेतु (₹ 138 करोड़) के कारण हुई।

आभिराव्य राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 65 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.22: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	35,657	58,935	58,146
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	17,260	17,364

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 22,489 करोड़ (63 प्रतिशत) अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 789 करोड़ (1.3 प्रतिशत) कम रहा। वास्तविक आराव्य एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 104 करोड़ अधिक रहा।

1.8.4 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ

फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को, सभी को उपलब्ध कराने के लिए तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से लागू किये जाते है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को मजबूती के साथ लागू/पुर्नोत्थान करती है। फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं के पीछे उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है।

योजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा (जून 2014) दी गई सूचना के अनुसार, 24 केन्द्रीय एवं राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में ₹ 20,069.29 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.23: फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	फ्लैगशिप कार्यक्रमों/ योजनाओं का प्रकार	कार्यक्रमों/ योजनाओं की संख्या	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत
			केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	
1	2	3	4	5	6	7	(4+5)-(6+7) =8
1.	केन्द्रीय	15	14,070.29	3,954.93	10,160.63	4,179.58	3,685.01
2.	राज्य	9	-	2,044.07	-	1,679.90	364.17
	योग	**24**	**14,070.29**	**5,999.00**	**10,160.63**	**5,859.48**	**4,049.18**

यह पाया गया है कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार बजट अनुमान की तुलना में 12.65 प्रतिशत से 46.79 प्रतिशत तक व्यय में कमी हुयी है:

तालिका 1.24: फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में वृहद कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/ योजनाओं का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	प्रतिशत के रूप में व्यय में कमी
(अ)	**केन्द्रीय आयोजना**			
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	4,850.00	2,580.74	46.79
2	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,325.88	955.97	27.90
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	1,496.33	1,121.02	25.08
4	मिड-डे-मील	750.00	655.14	12.65
5	सर्व शिक्षा अभियान	3,664.02	3,147.00	14.11
6	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	70.00	59.44	15.09
7	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	728.50	512.98	29.58
8	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	324.52	209.29	35.51
9	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	346.80	189.78	45.28
	योग (अ)	**13,556.05**	**9,431.36**	**29.80**
(ब)	**राज्य आयोजना**			
1	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना	342.13	208.22	39.14
2	मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना	88.10	51.80	41.20
3	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना	1,055.80	652.01	38.24
4	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	77.70	42.50	45.30
	योग (ब)	**1,563.73**	**954.53**	**38.96**
	महायोग (अ+ब)	**15,119.78**	**10,385.89**	**31.31**

यह देखा गया है कि कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में व्यय में अत्यधिक कमी हुयी है। 31 प्रतिशत की सीमा तक निधियों का अनुपयोगी (₹ 4,733.89

करोड़[35]) रहना संबंधित विभागों द्वारा निष्पादन और निगरानी के अभाव जैसी कमियों को इंगित करता है।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचें में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निम्न स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती हैं। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने हैं तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2014 के अन्त तक ₹ 5,584.37 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.8)*** के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 49 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.88 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 232.63 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 533.28 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 716.91 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2014 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,362.40 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 19.32 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.44 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 127.77 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के ₹ 424.18 करोड़ के संदर्भ में भी नगण्य (3.5 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 532.63 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मार्च 2014 के अन्त तक गंग नगर पर पूँजीगत व्यय ₹ 507.61 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के दौरान

[35] ₹ 15,119.78 करोड़ - ₹ 10,385.89 करोड़ = ₹ 4,733.89 करोड़।

गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 4.44 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 19.22 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 48 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 62.78 करोड़ की निवल हानि उठायी।

इन परियोजनाओं पर भारी हानियों का मुख्य कारण विगत 5 वर्षों से बिना संशोधन के प्रचलित कम पानी की दरें है। सिंचाई विभाग ने बताया कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.25: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	36 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		36 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	36 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2014 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएं	51	4,246.81	16	864.70	3,429.60	2,564.90	3,020.25
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	84	1,824.88	8	114.65	138.04	23.39	825.53
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	84	17,443.07	12	2,978.96	4,887.96	1,909.00	4,547.59
योग	**219**	**23,514.76**	**36**	**3,958.31**	**8,455.60**	**4,497.29**	**8,393.37**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2014 को 219 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 8,393 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 41 परियोजनाएँ (₹ 5,224 करोड़) विगत 5 से 20 वर्षों की अवधि से अपूर्ण थी जिसमें से 30 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 3,626 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 121 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,013 करोड़ हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 4,497 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई। सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में

अवरूद्ध राशि (₹ 8,393.37 करोड़) राज्य के संचित पूँजीगत व्यय (₹ 92,883.17 करोड़) का 9 प्रतिशत थी।

निम्न वर्णित 8 परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना ₹ 10 करोड़ से अधिक) में विगत वर्ष 2013-14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2013 तक किया गया व्यय और मार्च 2014 तक किया गया संचित व्यय समान अर्थात ₹ 49.59 करोड़ रहा।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं पर वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	31.03.2014 को संचित वास्तविक व्यय
	सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाऐं			
1.	एमडीएम अस्पताल, जोधपुर में जनाना तथा बाल विभाग की क्रमबद्व स्थापना	2009-10	34.91	22.58
2.	1000 सजायाफ्ता कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन	2011-12	31.12	0.02
3.	1000 सजायाफ्ता कैदियों, दौसा के लिए नया जेल भवन	2011-12	31.12	0.04
4	बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण	2011-12	10.64	0.02
5.	1000 विचाराधीन कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन	2011-12	20.54	0.03
6.	राजस्थान में एन.एच.-112 (बर-बिलारा-जोधपुर) पर चार लेन के चौड़ाई के लिए भूमि अधिग्रहण किमी 0/0 से किमी 110/0	2010-11	24.07	0.01
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाऐं			
7.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना (फेज-।।)	2012-13	202.36	15.84
8.	यूडब्ल्यूएसएस जालौर, जालौर कस्बे को मुख्य ओएमआर पम्पिंग ट्रंक	2012-13	62.20	11.05
	योग		**413.96**	**49.59**

स्रोत: वित्त लेखे

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग की पाँच परियोजनाएं जो 2010-11 तथा 2011-12 में प्रारम्भ की गयी थी, पर ₹ 117.49 की स्वीकृत लागत के सन्दर्भ में नगण्य (₹ 0.12 करोड़) व्यय किया गया।

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण लागत में भी वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक सरकार ने 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 22,136.66 करोड़), 7 सांविधिक निगमों (₹ 684.34 करोड़), 3 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों (₹ 115.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 507.66 करोड़) में ₹ 23,518 करोड़ का निवेश किया। उक्त निवेश में अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ का निवेश भी शामिल है। इस निवेश पर विगत तीन वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया **(तालिका 1.27)**।

उधार ली गई निधियों का निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	9,533.57	11,112.16	13,920.78	18,753.33	23,518.00
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	37.26	20.76	57.58	57.18	24.60
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[36] (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.7	7.4	7.3
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.3	7.5	7.3	7.1	7.2

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में ₹ 4,764.67 करोड़ का निवल निवेश था। जिसमें से ₹ 4,103 करोड़ का निवेश हानि में चल रही सात सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों में किया गया।जिन क्षेत्रों/कम्पनियों में बड़ा अंश पूँजी निवेश किया गया वे मुख्यत: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1000.25 करोड़); अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 910.18 करोड़); जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 901.57 करोड़); राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 740 करोड़); जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर (₹ 447 करोड़); राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 326 करोड़) तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 150 करोड़) थी। 31 मार्च 2014 तक सरकार ने पाँच

[36] गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 199 पर देखें।

विद्युत कम्पनियों में ₹ 19,844.09 करोड़ (कुल निवेश का 84 प्रतिशत) का निवेश किया था।

राज्य सरकार के निवेश में 41 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 22,125.83 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल 6 कम्पनियों ने ₹ 394.70 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 21.39 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

राशि ₹ 20,605.47 करोड़ का कुल निवेश, 3 सांविधिक निगमों, 1 ग्रामीण बैंक, 18 सरकारी कम्पनियों एवं 6 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 59,330.73 करोड़ थी। भारी हानि उठाने वाले संगठन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 1,650.56 करोड़), राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (₹ 684.90 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 1,064.39 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,629.21 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 17,593.38 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 17,291.42 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 18,407.88 करोड़) थे।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा पर विचार करना चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनकी मजबूती के साथ लाभ प्राप्ति करने के सम्बन्ध में समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार द्वारा छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों[37] के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया गया।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती है। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को ***परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि

[37] (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुरः (₹ 1,936.45 लाख), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुरः (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुरः (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुरः (₹ 1,061.45 लाख), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुरः (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिस तक उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 12,369.23 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने 2012-13 के दौरान राशि ₹ 29.47 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से संचित हानि ₹ 9,877.38 करोड़ रही।

1.9.5 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2014 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.28** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.28: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्जे की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	**3,318**	**3,198**	**3,479**	**4,508**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	1,109	2,412	189	812
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,229	1,102	191	316
अन्तिम शेष	**3,198**	**4,508**	**3,477**	**5,004**
निवल वृद्धि	(-) 120	1,310	(-) 2	496
ब्याज प्राप्तियाँ	130	150	-	143
ब्याज प्राप्तियों का बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत	4.0	3.9	-	3.0
ब्याज अदायगियों का राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से प्रतिशत	7.7	7.4	-	7.3
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.7	(-) 3.5	-	(-) 4.3

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य द्वारा उच्च दर पर उधार लिये जा रहे हैं जबकि दिये गये उधारों पर बहुत कम दर से ब्याज अर्जित किया गया।

₹ 5,004 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, विद्युत परियोजनाओं को ₹ 3,105 करोड़ (62 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जो तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2012-13 के ₹ 2,412 करोड़ से

वर्ष 2013-14 में ₹ 1,600 करोड़ कम होकर ₹ 812 करोड़ रह गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 304 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 508 करोड़ अन्तरित किये गये।

चालू वर्ष के दौरान कर्जे का मुख्य अंश सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान आवास विकास आधारभूत संरचना लिमिटेड (₹ 215 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 138 करोड़), राजस्थान राज्य सहकारिता डेयरी महासंघ लिमिटेड (₹ 79 करोड़), खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगृह के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण (₹ 70 करोड़) एवं तिलम संघ (₹ 70 करोड़) को दिया गया। इन संस्थाओं ***(परिशिष्ट 1.10)*** द्वारा गत 11 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से ₹ 68.04 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

1.9.6 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

पर्याप्त आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक ईकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य ढांचा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना विभाग में पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) की गई जो कि आधारभूत विकास पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआईडी) के सचिवालय के रूप में कार्य करने और राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचनाओं के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए पीपीपी एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। प्रशासनिक विभागों को ईसीआईडी के अनुमोदन के लिए अपने प्रस्तावों को पीपीपी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना निवेदित किया गया है।

योजना आयोग के पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2014 के दौरान ₹ 17,038.68 करोड़ की लागत राशि की 234 परियोजनाऐं विभिन्न क्षेत्रों में हाथ में ली गई। इसमें से 31 मार्च 2014 तक 153 परियोजनाऐं (₹ 9,236.52 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं ***(परिशिष्ट 1.13(अ))*** एवं सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित 81 परियोजनाऐं (₹ 7,802.16 करोड़) वर्ष 2013-14 के अन्त तक प्रगति पर थी ***(परिशिष्ट 1.13(ब))***। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित 83 परियोजनाऐं (₹ 14,193.85 करोड़) भविष्य के लिए बनायी गई हैं ***(परिशिष्ट 1.13 (स))***। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में ली जानी वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न **तालिका 1.29** में दिया गया है:

तालिका 1.29: क्षेत्र-वार निजी जन सहभागिता परियोजनाऐं

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	57	3,440.97	13	4,903.51	40	3,976.87
2.	शहरी आधारभूत संरचना	21	136.07	30	1,191.19	25	7,919.75
3.	विद्युत	1	5,000.00	5	1,110.93	1	219.58
4.	जल	1	46.00	-	-	4	1,740.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	-	-	2	347.87	-	-
6.	सामाजिक	39	502.03	26	176.92	2	26.00
7.	अन्य	34	111.45	5	71.74	11	311.65
	योग	**153**	**9,236.52**	**81**	**7,802.16**	**83**	**14,193.85**

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

- ***लेखा और लेखापरीक्षा की पर्याप्तता***

पाँच समझौता ज्ञापनों[38] की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केवल ''राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन'' में ही वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं और अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है। अन्य समझौता ज्ञापनों में सरकारी स्तर पर वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं की संवीक्षा के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

- ***राजस्थान परियोजना विकास निधि/राजस्थान*** आधारभूत संरचना ***परियोजना विकास निधि***

योजना विभाग में राजस्थान परियोजना विकास निधि (आरपीडीएफ) वर्ष 2003 से 31 मार्च 2008 को (विस्तार अवधि 31 मार्च 2009) समाप्त पाँच वर्ष की अवधि हेतु ₹ 4.50 करोड़ के कोष के साथ ₹ 2 करोड़ की परिचालन निधि[39] रखते हुये

[38] (i) मण्डी यार्ड, सुमेरपुर, जिला पाली पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज की अनुरक्षण एवं मरम्मत (ओ एण्ड एम), (ii) सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग बायो कम्पोस्ट प्लांट सेवापुरा, जयपुर, (iii) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यूनिट-II देहलावास, जयपुर में बायोगैस बोटलिंग प्लांट के लिए पीपीपी प्रोजेक्ट की स्थापना, (iv) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन तथा (v) झुन्झुनू-उदयपुरवाटी-खण्डेला सड़क।

[39] राजस्थान सरकार का अंश: ₹ 1.50 करोड़; आईएलएण्डएफएस का अंश: ₹ 0.25 करोड़ एवं एचडीएफसी लिमिटेड का अंश: ₹ 0.25 करोड़।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु बनाया गया। आरपीडीएफ की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि:

- आरपीडीएफ के पीडी खाते में पड़ी राशि ₹ 95.50 लाख को संवितरित नहीं किया गया (31 मार्च 2014)।

- परियोजना विकास कम्पनी (पीडीकोर) को ₹ 1 करोड़ का ऋण एक वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान करने हेतु जनवरी 2008 में दिया गया था हालांकि जून 2014 के अन्त तक परियोजना विकास कम्पनी द्वारा ₹ 22.23 लाख का भुगतान किया जाना बकाया था। तथापि, इस राशि पर देय ब्याज का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था।

इसके अलावा, ऋण योग्य और विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए ₹ 25 करोड़ की प्रारम्भिक निधि के साथ राजस्थान आधारभूत परियोजना विकास निधि नाम से एक नया कोष बनाया गया (अगस्त 2011)। यह प्रकट हुआ कि अपनी स्थापना के बाद से पीपीपी की वित्त पोषण परियोजना लागत के लिए कोष का उपयोग नहीं किया गया। योजना विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि प्रशासनिक विभाग से दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव पूर्ण रूप से नहीं आने के कारण राजस्थान आधारभूत परियोजना विकास निधि से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

मामले को राज्य सरकार को (सितम्बर 2014) भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं में वृद्धि एवं उनका संघटन

विद्यमान सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियाँ यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते है। ***परिशिष्ट 1.5*** 31 मार्च 2013 के अनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय: राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार **तालिका 1.30** में दिया गया है:

तालिका 1.30: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					सम्पत्तियाँ				
		2012-13	**2013-14**	**वृद्धि प्रतिशत**			**2012-13**	**2013-14**	**वृद्धि प्रतिशत**
समेकित निधि		**76,953.94**	**87,329.76**	**13**	**समेकित निधि**		**83,737.12**	**97,887.19**	**17**
अ	आन्तरिक ऋण	69,972.94	80,580.93	15	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	79,228.78	92,883.17	17
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	6,981.00	6,748.83	(-) 3	ब	ऋण एवं अग्रिम	4,508.34	5,004.02	11
आकस्मिकता निधि		**200.00**	**200.00**	**-**					
लोक लेखे		**41,660.28**	**44,020.51**	**6**	**लोक लेखे**		**38.56**	**25.61**	**(-) 34**
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	26,744.43	29,265.67	9	अ	अग्रिम	3.74	2.89	(-) 23
ब	जमा	12,576.12	12,153.97	(-) 3	ब	प्रेषण	-	-	-
स	आरक्षित निधियाँ	2,331.20	2,598.67	11	स	उचन्त तथा विविध	34.82	22.72	(-) 35
द	प्रेषण	8.53	2.20	(-) 74	**नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)**		**12,886.72**	**10,446.44**	(-) 19
					योग		**96,662.40**	**1,08,359.24**	**12**
					राजस्व लेखा में घाटा		**22,151.82**	**23,191.03**	5
योग		**1,18,814.22**	**1,31,550.27**	**11**	**योग**		**1,18,814.22**	**1,31,550.27**	**11**

स्रोत: वित्त लेखे

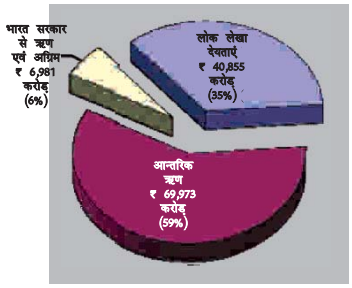
परिसम्पत्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 18 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 12 प्रतिशत रह गयी, जबकि देयताऐं दोंनों वर्षों में समान रूप से 11 प्रतिशत रही।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

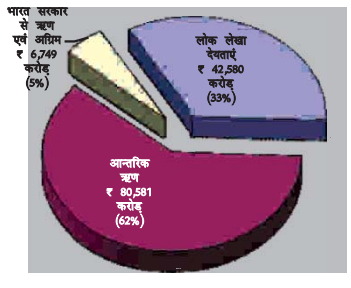
राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें 2008-09 में ₹ 84,023 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,29,910 करोड़ हो गयी जिससे 2009-14 के दौरान 10.9 प्रतिशत

की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शित हुई। गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.10** तथा 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.10: 01.04.2013 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



चार्ट 1.11: 31.03.2014 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत (₹ 12,101 करोड़) बढ़ी। **वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 25.3 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013-14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (राजस्थान के लिए) 37.3 प्रतिशत[40] के मानक से कम था। ये देयताएं वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.74 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.76 गुणा थीं।**

वर्ष 2013-14 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार[41] (₹ 12,101 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 13,737 करोड़) से कम थी।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.31 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

40 तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन (परिशिष्ट 9.1)

41 इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओ एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तरित राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

तालिका 1.31: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013 को	अन्तिम शेष 31.3.2014 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	48.06	(-) 41.39	6.67
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	1.04	(-) 1.41	(-) 0.37
योग	49.10	**(-) 42.75**	**6.35**
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	(-) 3,130.26	12,127.82	8,997.56
योग (अ)	(-) 3,081.16	**12,085.07**	**9,003.91**
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	0.02	1.05	1.07
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 0.30	3.82	3.52
आरक्षित निधियों में निवेश	641.16	796.78	1,437.94
योग (ब)	**640.88**	**801.65**	**1,442.53**
महायोग (अ) + (ब)	**(-) 2,440.28**	**12,886.72**	**10,446.44**

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 10,447 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,440 करोड़ (19 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता हैं। अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यत: वर्ष 2013-14 के दौरान लिये गये ₹ 8,800 करोड के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

- ***रोकड़ शेषों का निवेश***

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का निर्दिष्ट प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। यद्यपि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ तरलता की आवश्यकता होती है, किन्तु, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अप्रभावी प्रबंधन को निरूपित करता है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

नकद शेषों[42], लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

[42]. इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

तालिका 1.32: नकद शेष, बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1 अप्रैल को नकद शेष	5,165.92	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72
31 मार्च को नकद शेष	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44
भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	2,675.50	5,708.51	9,307.62	12,127.66	8,997.40
लिये गये बाजार ऋण	7,500.00	6,180.00	4,500.00	8,041.10	8,800.00
कुल बजटीय व्यय	46,790.00	51,036.00	60,524.00	71,956.00	90,440.00
मासिक औसत बजटीय व्यय	3,899.00	4,253.00	5,044.00	5,996.00	7,537.00

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

वर्ष 2011-14 के दौरान, सरकार द्वारा रोकड़ शेष की सुविधाजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, बाजार ऋणों को कम करते हुए ब्याज भुगतान भार को सार्थक रूप से कम किया जा सकता था।

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वत: ही 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में एवं आंशिक 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2013-14 के अंत तक, ₹ 8,997.40 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 906.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 1,442.53 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

1.10.4 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली, के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों का वित्तपोषण राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से होता है। इन निधियाँ को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2014 को, लोक लेखा में ₹ 2,598.67 करोड़[43] की 29 आरक्षित निधियाँ थी जिसमें ब्याज वाली 8 निधियाँ ₹ 210.33 करोड़ शामिल थीं, वर्ष 2013-14 के

[43] इसमें शामिल थे (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 1,068.82 करोड़; (ii) गारण्टी मोचन निधि: ₹ 1,060.42 करोड़; (iii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.89 करोड़; (iv) राज्य सड़क एवं सेतु निधि: ₹ 98 करोड़ तथा (v) ह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल कार्य: ₹ 89.37 करोड़।

दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 1,882.97 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 770.88 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 275 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि (₹ 388.50 करोड़) तथा गारन्टी मोचन निधि (₹ 448.59 करोड़) शामिल थे।

राज्य बजट नियमावली के पैरा 4.5 में दिये गये प्रावधानों के प्रतिकूल, राज्य सरकार ने संचित निधि से संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करने की बजाय राजस्थान रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट लिमिटेड के पीडी खाते को सीधे राज्य सड़क एवं सेतु निधि से ₹ 41.68 करोड़ हस्तान्तरित किये। इस कारण वास्तविक रूप से व्यय किस तरीके से किया गया सुनिश्चित या निश्चित करना संभव नहीं था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार को 31 मार्च 2013 को अन्य देय ब्याज वाली निधियों में पड़े ₹ 122.41 करोड़ पर ₹ 9.18 करोड़ (वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिमों पर औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत पर परम्परागत अनुमानित मानते हुये) का ब्याज देना था, जो नहीं दिया गया।

असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के अनुसार, 11 आरक्षित निधियाँ (₹ 10.45 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से ₹ 6.22 करोड़ की छ: निधियाँ[44] ब्याज वाली तथा ₹ 4.23 करोड़ की शेष पाँच निधियाँ[45] बिना ब्याज वाली थी।

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर संस्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़[46] का आकार निर्धारित किया गया,

[44] (i) सोडियम सल्फेट: ₹ 240.86 लाख, (ii) खनिज विभाग: ₹ 6.17 लाख, (iii) नमक के व्यापार की योजना: ₹ 52.95 लाख, (iv) झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख, (v) फॉरेस्ट कूप्स की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 211.62 लाख, एवं (vi) बांस समुपयोजन योजना: ₹ 89.88 लाख ।

[45] (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एंव विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख, (iii) क्रय विक्रय सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु रिवोल्विंग फण्ड: ₹ 19.58 लाख, (iv) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख एवं राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि: ₹ 0.18 लाख ।

[46] 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2014 को एसडीआरएफ में ₹ 1,068.82 करोड़ (वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा निवेश नहीं की गयी राशि पर चुकाये गये ब्याज ₹ 26.28 करोड़ के भुगतान सहित) आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 913.66 करोड़) के बाद शेष था।

1.10.4.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है । 31 मार्च 2014 को प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 1,060.42 करोड़ शेष था जोकि बकाया प्रत्याभूति (₹ 85,911.25 करोड़) का 1.23 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान इस निधि से किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 422.44 करोड़ प्राप्त किये जिसे विविध प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया गया।

1.10.4.3 समेकित शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंषा की थी कि राज्य सरकारें सभी ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करे। भारतीय रिजर्व बैंक, के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को समेकित शोधन निधि में गत वर्ष के अन्त तक बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान करना चाहिये । राजस्थान सरकार ने 2006-07 में समेकित शोधन निधि को संस्थापित किया तथा इसके बाद 2007-08 में इस निधि को बन्द कर दिया।

यह पाया गया कि राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2013 को बकाया दायित्वों ₹ 1,17,808.91 करोड़ (लोक ऋण ₹ 76,953.94 करोड़ + लोक लेखा दायित्व ₹ 40,854.97 करोड़) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस निधि में अंशदान के लिए ₹ 589.04 करोड़ की निधि की आवश्यकता थी।

1.10.5 आकस्मिक देयताऐं

- ***प्रत्याभूतियों की स्थिति***

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के **विवरण 9** के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.33: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2011-12	2012-13	2013-14
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	97,566	1,13,340	1,40,526
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	60,711	75,546	85,911
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	171.1	169.4	188.7

स्रोत: वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 75,546 करोड़ से 13.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 85,911 करोड़ हो गयी। ₹ 85,911 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यत: पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 79,007 करोड़: 92 प्रतिशत), सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,616 करोड़: दो प्रतिशत) एवं दो शहरी विकास एवं आवास (₹ 2,899 करोड़: तीन प्रतिशत) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट, द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को चुकाने के लिए दी गई थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी प्रत्याभूतियों से प्राप्त होने वाली प्रत्याभूति कमीशन राशि ₹ 422 करोड़ सरकार को प्राप्त हुई। बकाया प्रत्याभूतियाँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 115 प्रतिशत थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं भुनाई गयी।

- ***बजट से इतर उधार***

राज्य के कर्ज, भारत के संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत विनियमित होते हैं। ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाई गयी राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित ऋण का उपयोग किया गया। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये राज्य बजट से बाहर बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिये निधियाँ इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट से इतर जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगीं, तथापि, वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिये गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं, जिसे "बजट से इतर उधार" कहा जाता है, यद्यपि धारा 293(3) के अन्तर्गत बजट से इतर उधार अनुमत्य नहीं हैं।

वित्त विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि राज्य सरकार ने आवासन तथा नगरीय विकास निगम द्वारा विभिन्न जिला परिषदों को दिये गये ₹ 3,948.66 करोड़ के कर्ज (वर्ष 2013-14 के अन्त तक ₹ 2,520.44 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ बकाया)

के मूलधन एवं उन पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूतियाँ दी जो कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए निवास स्थानों के निर्माण के लिए था। वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ ₹ 958.51 करोड़ प्रारम्भिक शेष ₹ 1,697.89 करोड़ में जोड़ी गई तथा ₹ 135.96 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ चुकाई गई। मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान को आसान करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान का भुगतान कर रही है जो बजट से इतर उधार ही है।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2009-10 के ₹ 64,618 करोड़ से 35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 87,330 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न **तालिका 1.34** में दिया गया है:

तालिका 1.34: वर्ष 2009-14 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	30,611	35,448	38,551	44,209	51,384
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	2,609	3,323	3,947	4,553	5,422
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	23,209	22,656	21,518	20,767	20,022
अन्य संस्थाओं से कर्ज	714	470	441	444	3,753
योग (अ)	**57,143**	**61,897**	**64,457**	**69,973**	**80,581**
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-योजनेत्तर कर्ज	73	67	60	55	49
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,237	7,163	7,052	6,789	6,690
अन्य योजनागत कर्ज	165	151	137	137	10
योग (ब)	**7,475**	**7,381**	**7,249**	**6,981**	**6,749**
कुल उधार (अ + ब)	**64,618**	**69,278**	**71,706**	**76,954**	**87,330**
वृद्धि दर	11.7	7.2	3.5	7.3	13.5

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-14 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई। बाजार ऋण का अंश कुल उधारों से वर्ष 2009-10 के 47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 59 प्रतिशत हो गया। बाजार कर्ज में पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित हुई जो कि वर्ष 2010-14 के दौरान औसत वृद्धि दर 17 प्रतिशत से कुछ कम रही।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

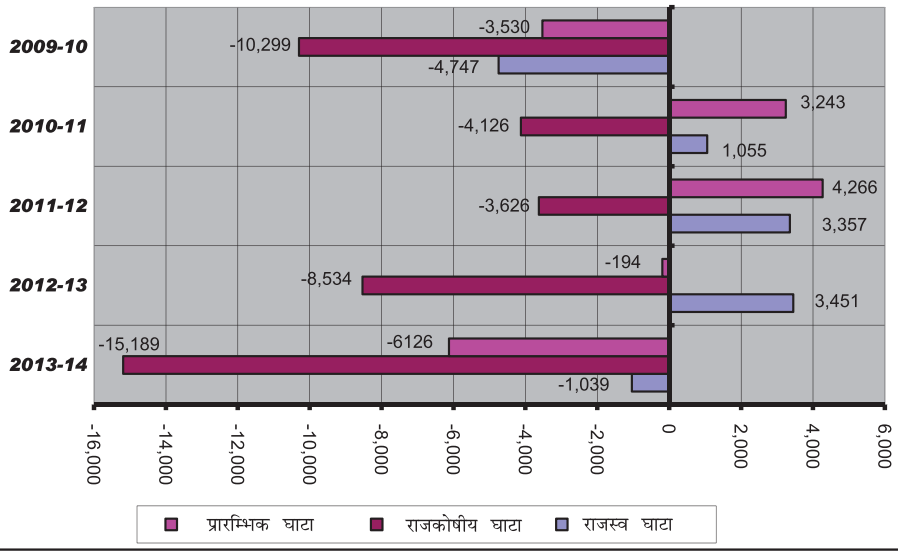
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने -राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं प्रारम्भिक घाटे, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय

असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह तरीका जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

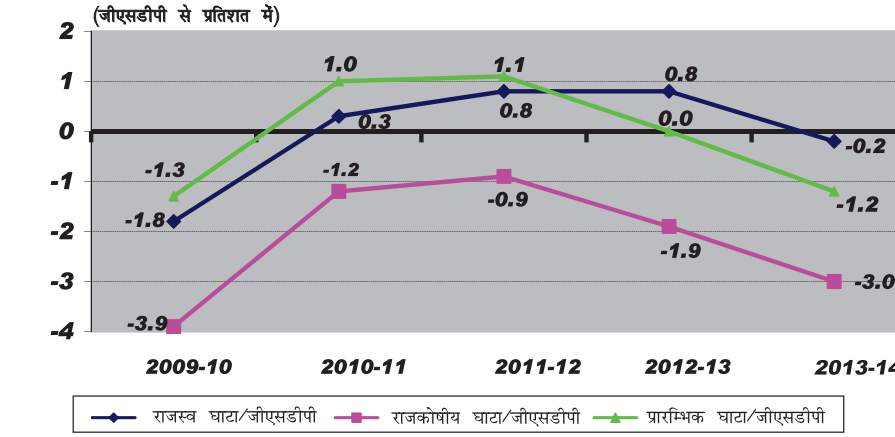
चार्ट 1.12 एवं 1.13, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.12: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.13: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (जीएसडीपी से प्रतिशत में)



1.11.1.1 राजस्व अधिशेष/घाटा

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

वर्ष 2009-10 के राजस्व घाटे की स्थिति से राज्य, वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में, राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर 19 प्रतिशत थी। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा, वर्ष 2013-14 में ₹ 1,039 करोड़ रह गया।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यत: सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों से की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष **तालिका 1.35** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2009-10	35,506	45,805	10,299	3.87	29.0	22.5
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.22	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.90	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.86	12.6	11.2
2013-14	74,797	89,986	15,189	2.96	20.3	16.9

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था, वर्ष 2009-10 में, भारत सरकार की सलाह के आधार पर, यह अनुपात राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाये जाने के कारण सर्वाधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मुख्यत: पूँजीगत व्यय एंव राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2012-13 में 1.86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 2.96 प्रतिशत हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 (संशोधित मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत के कुछ ही नीचे थी।

1.11.1.3 प्रारम्भिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यत: अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे स्रोत्रों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो

सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2009-10 से प्राथमिक घाटा, वर्ष 2010-11 से प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तक संधारित किया गया था। प्राथमिक अधिशेष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण, प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक घाटा 2012-13 में ₹ 194 करोड़ से 2013-14 में भारी वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 6,126 करोड़ हो गया।

1.11.1.4 गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा, गैर-आयोजना राजस्व व्यय ओर राज्य के स्व-संसाधन के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 11,093 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 19 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा किये मानक आंकलन ₹ 334 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का एक प्रतिशत) से अधिक था।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

तालिका 1.36, वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2013-14		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ)	**राजकोषीय घाटे का अपघटन**								
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	827	4,747	(-) 1,055	(-) 3,357	(-) 3,451	74,471	75,510	1,039
2	निवल पूँजीगत व्यय	5,896	5,166	5,238	7,103	10,675	10	13,664	13,654
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	251	386	(-) 57	(-) 120	1,310	316	812	496
	योग (अ)	**6,974**	**10,299**	**4,126**	**3,626**	**8,534**	**74,797**	**89,986**	**15,189**
(ब)	**राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न**								
1	बाजार से उधार	5,196	6,112	4,837	3,103	5,658	8,800	1,625	7,175
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 66	(-) 142	(-) 94	(-) 131	(-) 268	259	491	(-) 232
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 434	(-) 560	(-) 553	(-)1,138	(-) 751	496	1,241	(-) 745
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	350	442	470	594	610	4,937	759	4,178
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,405	2,145	2,841	2,767	2,164	6,311	3,790	2,521
7	जमा तथा अग्रिम	347	1,274	885	1,096	3,416	89,436	89,857	(-) 421
8	उचन्त एवं विविध	39	(-) 14	(-) 49	12	(-) 3	91	79	12
9	प्रेषण	21	(-) 1	-	-	29	9,908	9,914	(-) 6
10	आरक्षित निधियाँ	(-) 11	(-)1,761	(-) 485	1,020	781	2,233	1,966	267
	योग (ब)	**6,847**	**7,495**	**7,852**	**7,323**	**11,636**	**1,22,471**	**1,09,722**	**12,749**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	127	2,804	(-)3,726	(-)3,697	(-)3,102			2,440
12	कुल घाटा (ब+11)	6,974	10,299	4,126	3,626	8,534			15,189

*** 2013-14 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।**
स्रोत: वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा, राज्य की उधारों की कुल मांग है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन, राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

तालिका 1.36 में देखा जा सकता है कि 2012-13 एवं 2013-14 में राजकोषीय घाटा, वृहद् निवल पूँजीगत व्यय के कारण था। राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा, परन्तु राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2012-13 में 66 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2013-14 में 47 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 15,189 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यत: बाजार से उधार (₹ 7,175 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से कर्जे (₹ 4,178 करोड़), अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,521 करोड़) एंव रोकड़ शेष (₹ 2,440 करोड़) जो कि राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियों (₹ 745 करोड़) एंव जमा तथा अग्रिम (₹ 421 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई।

बाजार से उधार एवं अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि, भविष्य के ब्याज भार में वृद्धि करते हुए, गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत बढ़ गये।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्रारम्भिक घाटे का प्रारम्भिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रारम्भिक घाटे के विभाजन **(तालिका 1.37)** में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूंजीगत व्यय, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।

तालिका 1.37: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2009-10	35,506	33,363	5,175	498	39,036	(+) 2,143	(-) 3,530
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194
2013-14	74,797	66,447	13,664	812	80,923	(+) 8,350	(-) 6,126

स्रोत: वित्त लेखे।

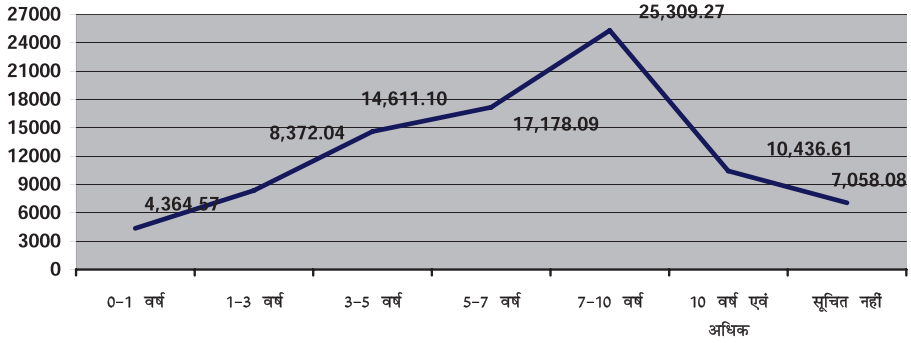
प्रारम्भिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2009-10 में 13 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया। गत वर्ष की तुलना में प्रारम्भिक व्यय में ₹ 12,706 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 6,774 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक घाटे में ₹ 5,932 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। प्रारम्भिक राजस्व व्यय एंव पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 11,325 करोड (21 प्रतिशत) एंव ₹ 2,981 करोड (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि जमा तथा अग्रिमों में ₹ 1,600 करोड (66 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुई जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक घाटा रहा।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण प्रोफाइल

31 मार्च 2014 को राज्य ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

चार्ट 1.14: राज्य ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.14 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,058.08 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई। 1-3 वर्षों (₹ 8,372.04 करोड़), 3-5 वर्षो (₹ 14,611.10 करोड़) और 5-7 वर्षो (₹ 17,178.09 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बनाये गये। ऋण परिपक्वता प्रोफाइल के रूप में, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 87,229.76 करोड़) का लगभग 29 प्रतिशत 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। सरकार को एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति बनानी होगी ताकि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षो में हो, नहीं लिये जायेगें।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो

उसके ऋणों को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अत: ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। ***तालिका 1.38*** में वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

तालिका 1.38: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण के धारणीयता के सूचक	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	15,684	6,626	(-) 707
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	500	(-) 4,908	(-) 6,655
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 617	2,908	3,038
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	14	12	12

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त यह है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा परिमित रूप से ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), ऋण स्थिरीकरण की स्थिति यह बताती है यदि प्रारम्भिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तत: स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा ऋणात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में अन्तत: कमी आयेगी।

प्रमात्रा विस्तार एवं प्रारम्भिक घाटे का योग, 2011-13 के दौरान धनात्मक रहा तथा 2013-14 में ये परिवर्तित होकर ऋणात्मक हो गया जो कि यह इंगित करता है कि ऋण-जीएसडीपी अनुपात में भविष्य में वृद्धि होने की संभावना है।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण की स्थिरता एवं इसकी धारणीयता के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताओं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताऐं तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

लगातार ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अन्तराल) ऋण की गैर-स्थिरीकरण को इंगित करती है जबकि संसाधन का धनात्मक अन्तर राज्य द्वारा ऋण का भार उठाने की क्षमता को सुदृढ़ बनाता है। तथापि, 2012-14 के दौरान संसाधन अन्तराल ऋणात्मक रहा ।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2012-13 में ₹ 2,908 करोड से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,038 करोड़ हो गया।

ब्याज भार

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य की ऋण के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 12 प्रतिशत थीं।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2013-14 के अन्त तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत रहा, जोकि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत सीमा के मामूली अन्दर था। वर्ष 2013-14 में राज्य का बकाया ऋण, जीएसडीपी का 25.3 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भी अन्दर रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-14 के दौरान कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक व्यय क्रमश: 66.4 से 73.4 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में पूंजीगत व्यय अंश भी 10.4 से 15.2 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, राज्य वित्त से संबंधित कुछ चिन्ता विषयक बिन्दु निम्न प्रकार है:

वर्ष 2012-13 में ₹ 3,451 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2013-14 में ₹ 1,039 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया तथा प्रारम्भिक घाटा गत वर्ष के विरूद्ध भारी वृद्धि के साथ ₹ 5,932 करोड़ बढ़ा।

यद्यपि, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 के ₹ 35,385 करोड़ से वर्ष 2013-14 में भारी वृद्धि के साथ ₹ 74,471 करोड़ बढीं, राजस्व प्राप्तियों में कर

राजस्व का भाग वर्ष 2009-10 में 46.4 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-14 में 44.95 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के क्रमशः 29.8 प्रतिशत, 24.1 प्रतिशत एवं 17.4 प्रतिशत की तुलना में मात्र 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः गत वर्ष के 20.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में कर राजस्व वृद्धि के 9.8 प्रतिशत रहने के कारण था। राज्य की कर उत्पलावकता वर्ष 2012-13 के 1.5 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तेजी से गिरकर 0.8 हुई।

राज्य सरकार, बेहतर कर अनुपालना एवं तर्कसंगत उपभोक्ता प्रभार सुनिश्चित करते हुए कर एवं गैर-कर स्त्रोतों के द्वारा, अतिरिक्त संसाधन संधारित करने के उपाय खोज सकती है।

जबकि राज्य का समग्र राजस्व व्यय 2009-10 के ₹ 40,132 करोड़ से 88 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 75,510 करोड़ हो गया, इसी अवधि के दौरान इसका कुल व्यय में हिस्सा 87.6 प्रतिशत से गिरकर 83.9 प्रतिशत हो गया जो पूंजीगत परिव्यय पर हुये व्यय में सुधार को दर्शाता है। यह प्रसंगानुकूल पाया गया कि वर्ष 2013-14 में समाज कल्याण योजनायें, यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं नवाचार योजना, में हुई वृद्धि ₹ 2,638 करोड़ (222 प्रतिशत) को शामिल करते हुये ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) की समग्र बढ़ोतरी हुई। यद्यपि, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 के ₹ 33,845 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2013-14 में ₹ 58,146 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2009-10 के ₹ 27,179 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 44,408 करोड़ हो गया।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों पर रहा जो कि सामान्यतः अनियंत्रणीय है। राज्य सरकार, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के अन्य घटकों को सीमा में रखने के उचित उपाय खोज सकती है। यह अतिरिक्त संसाधन जुटाने के साथ साथ, राजस्व घाटे को राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित रखने में सहायता करेगी।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,764.67 करोड़ सरकारी कम्पनियों; सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 4,103 करोड़, हानि उठा रहे सात सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; सभी पाँच विद्युत कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,588.37 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत के मध्य रहा। दूसरी

ओर, सरकार ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपने उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

राज्य सरकार के लिये यह परामर्श्य है कि निवेश किये गये धन पर उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेंगी।

राज्य सरकार के 'रोकड शेष निवेश खाते' में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंत तक क्रमश: ₹ 12,128 करोड़ एवं ₹ 8,998 करोड़ निवेशित रहा। जबकि उधार उच्च दर पर हों तो कम ब्याज दर पर 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में बड़ी राशि रखने से वित्तीय उलझनें होंगी। 'रोकड़ शेष निवेश खातों' में, वित्तीय वर्षों के अन्त में एक माह के औसत अनुमानित व्यय से ज्यादा एवं अधिक, उच्च स्तरीय निवेश इंगित करता है कि उचित रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है।

गत वर्षों के दौरान बकाया राजकोषीय दायित्वों में लगातार वृद्धि दृष्टिगत् हुई, जो वर्ष 2008-09 के अंत में ₹ 84,023 करोड़ से 2013-14 के अंत तक ₹ 1,29,910 करोड़ हो गई, यद्यपि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रही। बढ़ती हुयी ऋण मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण चुकाने के दायित्व में वृद्धि हो रही है।

राज्य सरकार नये उधार लेने से पूर्व, उधारों पर नियंत्रण करने के उपाय खोज सकती है तथा जहाँ तक संभव हो उपलब्ध नकद शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय II
वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी हैं। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते है और निर्धारित तिथियों तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ हाने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति, नीचे दी गयी **तालिका 2.1** के अनुसार थी:

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	68,427.61	6,329.64	74,757.25	68,157.01	(-) 6,600.24
	II-पूँजीगत	14,943.41	2,115.52	17,058.93	14,456.62	(-) 2,602.31
	III-कर्ज तथा उधार	189.01	649.96	838.97	811.21	(-) 27.76
योग दत्तमत		**83,560.03**	**9,095.12**	**92,655.15**	**83,424.84**	**(-) 9,230.31**
प्रभारित	IV-राजस्व	*9,339.38*	*25.19*	*9,364.57*	*9,177.64*	*(-) 186.93*
	V-पूँजीगत	-	*0.15*	*0.15*	*0.15*	-
	VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	*4,132.29*	-	*4,132.29*	*4,115.62*	*(-) 16.67*
योग प्रभारित		***13,471.67***	***25.34***	***13,497.01***	***13,293.41***	***(-) 203.60***
आकस्मिकता निधि को विनियोग		300.00	-	300.00	-	(-) 300.00
कुल योग		**97,331.70**	**9,120.46**	**1,06,452.16**	**96,718.25**[1]	**(-) 9,733.91**

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान लिया गया अनुपूरक प्रावधान ₹ 9,120.46 करोड़ अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। ₹ 9,733.91 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के 1 विनियोग और पूँजीगत अनुभाग के 1 अनुदान के समग्र आधिक्य ₹ 0.81 करोड़ से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 45 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग की 34 अनुदानों एवं 4 विनियोगों में बचत का परिणाम थी।

[1] ये सकल व्यय के आँकड़े है जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है (राजस्व: ₹ 1,825.06 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 792.11 करोड़, कुल: ₹ 2,617.17 करोड़)।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित किये गये (जून एवं अगस्त 2014)। 1,643 उप-शीर्षो में से 962 उप-शीर्षो (बचत: 680 तथा आधिक्य: 282) में अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2014)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन में व्यय के संदर्भ में विचलन था, जिससे बजट प्रक्रिया की प्रत्येयता, बजट अनुश्रवण तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न होता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ₹ 9,733.91 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध राशि ₹ 8,448.93 करोड़ (86.8 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की, 17 अनुदानों एवं 1 विनियोग में थी, जैसाकि **तालिका 2.2** में नीचे दर्शाया गया है-

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
	(अ) राजस्व-दत्तमत						
1	9-वन	749.21	-	749.21	560.92	188.29	पदों का रिक्त रहना तथा वृक्षारोपण कार्य की निविदायें नहीं करना। बाघ परियोजना, रणथम्भौर तथा सरिस्का के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
2	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,850.16	77.87	7,928.03	7,801.25	126.78	मार्च 2014 में कम व्यय होना, कर्मचारियों के लोकसभा व विधानसभा चुनाव कार्यो में व्यस्त रहने के कारण संशोधित पेंशन प्रकरणों का निपटान नहीं होना। अनुपालना के पश्चात संबंधित विभागों द्वारा पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में वापस नहीं भेजना। कुछ कोष कार्यालयों द्वारा व्यय का गलत वर्गीकरण दर्ज करना।
3	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	14,453.24	361.85	14,815.09	13,611.65	1,203.44	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना तथा योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							'माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक शिक्षा-बालकों के विद्यालयों' के मामले में राशि ₹ 486.63 करोड़ की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
4	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	4,102.26	214.69	4,316.95	3,999.51	317.44	आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण, ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सों की परिवीक्षा अवधि में नियमित वेतन श्रृंखला नही दी गयी क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। सुनिश्चित व्यावसायिक तरक्की (एसीपी) प्रकरणों का कम संख्या में अंतिमीकरण होना। अन्तिम किश्त प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम क्रियान्विति योजना में कटौती तथा पदों का रिक्त रहना।
5	27-पेयजल योजना	2,106.26	164.32	2,270.58	2,158.45	112.13	पदों का रिक्त रहना, निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा भुगतान हेतु बिलों का प्राप्त नहीं होना।
6	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,352.45	34.50	2,386.95	2,175.57	211.38	सरकार द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
7	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,372.27	187.44	3,559.71	3,253.43	306.28	मुफ्त शिक्षा के लिये लाभार्थियों की संख्या कम होना तथा गैर राजकीय विद्यालयों को कम पुनर्भरण, पदों का रिक्त रहना, सामान्य उद्देश्य हेतु अनुदानों का कम जारी करना तथा भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना।
8	32-नागरिक आपूर्ति	454.64	389.44	844.08	721.72	122.36	पदों का रिक्त रहना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अव्ययित राशि जमा कराना। अक्टूबर 2013 में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना' के क्रियान्वयन के पश्चात 'बीपीएल अन्न योजना' का बंद होना।
9	33-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,912.15	2,226.06	5,138.21	4,938.15	200.06	योजनाओं के आयोजना परिव्यय में कटौती होना, पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना। अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
10	41-सामुदायिक विकास	3193.15	343.93	3,537.08	3,337.86	199.22	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
11	48-विद्युत	9,380.63	10.00	9,390.63	7,213.13	2,177.50	वर्ष के दौरान वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज के अन्तर्गत ब्याज का वास्तविक भुगतान नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
12	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं समनुदेशन	375.81	-	375.81	248.69	127.12	सरकार के निर्णय के अनुसार आयोजना-भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायतों को रॉयल्टी की राशि हस्तान्तरित नहीं करना। अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
13	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,691.96	263.17	2,955.13	2,692.87	262.26	पदों का रिक्त रहना, योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती, मुफ्त शिक्षा के लिए लाभार्थियों की कम संख्या, पोषक भोजन की आपूर्ति के आदेश जारी नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ अप्राप्त/कम प्राप्त होना।
	योग (अ)	**53,994.19**	**4,273.27**	**58,267.46**	**52,713.20**	**5,554.26**	
	(ब) पूँजीगत दत्तमत						
14	19-लोक निर्माण कार्य	796.83	नगण्य राशि	796.83	519.09	277.74	निर्माण कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी करना/जारी नहीं करना/प्राप्त न होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
15	22-क्षेत्र का विकास	395.91	नगण्य राशि	395.91	293.67	102.24	भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना, लक्ष्य से कम पक्के खालों का निर्माण एवं पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से भांखड़ा नहर परियोजना को चालू करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना।
16	25-कोषागार व लेखा प्रशासन	300.00	-	300.00	-	300.00	राज्य सरकार द्वारा निधियों को आकस्मिकता निधि के कोष में हस्तान्तरित नहीं करना।
17	27-पेयजल योजना	2,022.38	235.08	2,257.46	2,057.05	200.41	निविदा प्रक्रिया में देरी होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
18	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1396.01	64.00	1,460.01	1,045.02	414.99	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
19	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,648.59	174.07	1,822.66	1,599.82	222.84	भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना तथा योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये थे।
20	46-सिंचाई	1,108.51	नगण्य राशि	1,108.51	829.33	279.18	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना। चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य योजना की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना/विलम्ब से जारी होना।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
21	48-विद्युत	3,118.61	664.29	3,782.90	3,138.63	644.27	योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना।
22.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,861.40	231.62	2,093.02	1,817.94	275.08	योजनाओं की आयोजना परिव्यय में कटौती होना, कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना। सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग (ब)	**12,648.24**	**1,369.06**	**14,017.30**	**11,300.55**	**2,716.75**	
	(स) राजस्व प्रभारित						
23.	ब्याज अदायगियां	*9,241.12*	नगण्य राशि	*9,241.12*	*9,063.20*	*177.92*	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान लिये गये नवीन बाजार ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिए ब्याज दर में दी गई राहत तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त तक प्रतिभूति धारकों द्वारा छमाही ब्याज आहरित नहीं करना।
	योग (स)	***9,241.12***	-	***9,241.12***	***9,063.20***	***177.92***	
महा योग (अ+ब+स)		**75,883.55**	**5,642.33**	**81,525.88**	**73,076.95**	**8,448.93**	

स्त्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते है कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का बजट अनुमान तैयार करते समय राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 8,448.93 करोड़ की बचतें हुई।

कुल बचत ₹ 8,448.93 करोड़ में से, ₹ 5,554.26 करोड़ (65.7 प्रतिशत) की बचत 'राजस्व-दत्तमत' अनुभाग से संबंधित थी, जो कि व्यय के दोषपूर्ण बजट अनुमान को इंगित करती है। वृहद बचतें शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, नगर आयोजना, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के क्षेत्रों के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण पदों का रिक्त रहना था। रिक्त पदों के लिए बजट अनुमान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन था। अन्य कारण भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना तथा आयोजना परिव्यय में कमी होना प्रतिवेदित किये गये थे।

राशि ₹ 2,716.75 करोड़ की बचतें (₹ 8,448.93 करोड़ का 32.2 प्रतिशत) 'पूंजीगत अनुभाग' से संबंधित थी। वृहद बचतें लोक निर्माण, नगर आयोजना एवं आंचलिक विकास, सिंचाई, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण भारत सरकार से

निधियों का प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, योजनाओं के आयोजना परिव्यय में कटौती होना तथा राज्य सरकार द्वारा निधियों को आकस्मिकता निधि के कोष में हस्तान्तरित नहीं करना रहे, जोकि वर्ष के दौरान विकास कार्यों में ठहराव तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पत्तियों का सृजन नहीं करने को इंगित करता है।

13 प्रकरणों (5 प्रकरण जोकि **तालिका 2.2** में इंगित नहीं है) में, बचतें 23 एवं 100 प्रतिशत के मध्य तथा प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.1*** दर्शाया है।

2.3.2 निरन्तर बचतें

पिछले तीन वर्षों के दौरान 17 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक (**तालिका 2.3**) की, निरन्तर बचतें रहीं।

तालिका 2.3: वर्ष 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	राजस्व-दत्तमत						
1.	3-सचिवालय	2011-12	507.18	150.34	356.84	70.4	पदों का रिक्त रहना एवं योजनाओं की अनुशंसा के लिए राज्य आयोजना बोर्ड से उचित प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना।
		2012-13	320.52	147.78	172.74	53.9	
		2013-14	246.19	200.99	45.19	18.4	वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना, अनुदानों का कम जारी होना तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति नहीं होना।
2.	4-जिला प्रशासन	2011-12	305.41	270.62	34.79	11.4	पदों का रिक्त रहना।
		2012-13	335.85	285.91	49.94	14.9	
		2013-14	360.14	323.53	36.61	10.2	
3.	8-राजस्व	2011-12	575.70	438.39	137.31	23.9	पदों का रिक्त रहना तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना।
		2012-13	589.74	492.38	97.36	16.5	
		2013-14	593.46	521.38	72.08	12.1	
4.	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2011-12	76.04	65.32	10.72	14.1	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना।
		2012-13	140.60	55.77	84.83	60.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	52.01	21.62	30.39	58.4	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना।
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	2011-12	65.41	37.16	28.25	43.2	भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बीपीएल प्रोत्साहन राशि की भुगतान प्रक्रिया जारी नहीं करने के कारण ।
		2012-13	93.45	58.20	35.25	37.7	

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2013-14	113.33	90.89	22.44	19.8	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2011-12	94.39	82.61	11.78	12.5	पदों का रिक्त रहना।
		2012-13	99.89	78.03	21.86	21.9	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	122.31	100.48	21.83	17.8	पदों का रिक्त रहना, वेतन आधारित अनुबन्ध पर कार्य कर रहे एनजीओं के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण न होने, चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य पर रोक तथा भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करना।
7.	43-खनिज	2011-12	149.44	91.24	58.20	38.9	सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नही करना।
		2012-13	185.53	103.42	82.11	44.3	
		2013-14	148.65	123.36	25.29	17.0	पदों का रिक्त रहना, चुनाव आचार संहिता के कारण मशीनरी की खरीद समय पर नही होने तथा गैर-कानूनी खनन को रोकने हेतु खनिज सुरक्षा बलों के कार्मिकों का नियोजन न होना।
8.	50-ग्रामीण रोजगार	2011-12	259.98	183.83	76.15	29.3	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
		2012-13	274.03	213.34	60.69	22.1	
		2013-14	383.66	326.23	57.43	15.0	
	पूँजीगत दत्तमत						
9.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	2011-12	5.48	3.18	2.30	42.0	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2012-13	8.32	6.73	1.59	19.1	
		2013-14	9.68	8.06	1.62	16.7	विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व विभाग की आपत्ति के पश्चात् वर्ष 2012-13 से संबंधित 11 निर्माण कार्य शुरू नहीं होने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य आदेश जारी नही होना।
10.	19-लोक निर्माण कार्य	2011-12	304.29	194.48	109.81	36.1	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन होना
		2012-13	512.57	376.86	135.71	26.5	
		2013-14	796.83	519.09	277.74	34.9	
11.	23-श्रम एवं रोजगार	2011-12	5.82	3.25	2.57	44.2	आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राविधिक प्रशिक्षण सुधारात्मक परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक के नियमों एवं शर्तो को पूरा नहीं करना।
		2012-13	5.10	3.72	1.38	27.1	राष्ट्रीय परिषद के प्राविधिक प्रशिक्षण मापदण्डों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए किराये पर भवन की अनुपलब्धता।
		2013-14	5.47	2.60	2.87	52.5	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
12.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2011-12	987.34	632.80	354.54	35.9	राजस्थान शहरी विकास निधि को अनुदान जारी नहीं करना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा बीसलपुर परियोजना के बिलों के भुगतान में देरी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2012-13	1169.89	975.95	193.94	16.6	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	1460.01	1045.02	414.99	28.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
13.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2011-12	1087.28	691.84	395.44	36.4	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नही होना/ कम निष्पादन होना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा विद्युत कम्पनियों में कम निवेश।
		2012-13	1240.46	1008.19	232.27	18.7	
		2013-14	1822.66	1599.82	222.84	12.2	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2011-12	74.18	52.35	21.83	29.4	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होना/ आरम्भ नहीं होना तथा भूमि की अनुपलब्धता।
		2012-13	159.15	73.38	85.77	53.9	कार्यों का कम निष्पादन/ निष्पादन नहीं होना तथा निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ जारी नहीं होना।
		2013-14	84.36	73.15	11.21	13.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
15.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	2011-12	52.44	35.22	17.22	32.8	भारत सरकार से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
		2012-13	95.23	59.33	35.90	37.7	
		2013-14	39.19	32.32	6.87	17.5	
16.	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2011-12	24.61	16.67	7.94	32.3	सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2012-13	23.73	18.51	5.22	22.0	
		2013-14	26.13	0.39	25.74	98.5	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
17.	46-सिंचाई	2011-12	751.52	580.26	171.26	22.8	कार्यों का कम निष्पादन होना।
		2012-13	811.29	582.32	228.97	28.2	
		2013-14	1108.51	829.33	279.18	25.2	

स्त्रोत: विनियोग लेखे

उपरोक्त 17 प्रकरणों के अन्तर्गत पदों का रिक्त रहना मुख्यत: निरन्तर बचतों का कारण था। बजट अनुमानों के अन्तर्गत रिक्त पदों का प्रावधान करना राबनि का उल्लंघन था। बचत के अन्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना तथा आयोजना परिव्यय में कटौती होना प्रतिवेदित किये गये थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण का अभाव तथा विनियोग विधेयक में अधिक निर्धारण का सूचक है। विभिन्न विभागों में प्रभावी बजटीय नियंत्रण नहीं था तथा पिछलें वर्षों के व्ययों की प्रवृत्तियों का इस वर्ष के बजट आवंटन के समय ध्यान नहीं रखा गया। निरन्तर बचतों से बचने हेतु वित्त विभाग को इन अनुदानों से संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

2.3.2.1 अनुदान संख्या 9, 24, 26, 37, 42 एवं 47 के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों की विवेचना निम्नानुसार की गयी है:

अनुदान संख्या 09-वन

वन विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 9 के अन्तर्गत ₹ 0.14 करोड़ एवं ₹ 85.12 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 5 से 94 प्रतिशत तक रही, जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: अनुदान संख्या 09-वन के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 02-अधीनस्थ तथा सहायक कर्मचारी	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	301.55	284.20	17.35	5.8	पदों का रिक्त रहना तथा पेड़ों के ठूंठ/ टुकड़े वन भूमि से हटाये जाने हेतु तारबंदी/सीमेन्ट/ पोलीथीन इत्यादि से संबंधित कार्यो की निविदायें आमंत्रित करने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण पौधारोपण हेतु भूमि की अनुपलब्धता।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था। विभाग को वन पौधारोपण हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये समय पर पेड़ों के ठूंठ/टुकडों को हटाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी।
		2012-13	330.32	308.62	21.70	6.6		
		2013-14	358.30	335.49	22.81	6.4		
2	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 11-एकीकृत वन सुरक्षा योजना (1:3)	**आयोजना**						
		2011-12	0.75	0.59	0.16	21.3	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	0.90	0.76	0.14	15.6		
		2013-14	1.10	0.52	0.58	52.7		
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना						
		2011-12	2.25	1.77	0.48	21.3	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	2.70	2.27	0.43	15.9		
		2013-14	3.30	1.55	1.75	53.0		
3	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 12-ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	7.56	6.49	1.07	14.2	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा पेड़ों के काटने को सुनिश्चित करने हेतु विभाग को समय से कार्यवाही करनी चाहिये थी।
		2012-13	7.52	6.73	0.79	10.5	पदों का रिक्त रहना, पेड़ों को काटने हेतु मजदूरों की अनुपलब्धता तथा परिवहन पर कम व्यय होना।	
		2013-14	10.55	9.41	1.14	10.8	पेड़ों से गिरी हुई सूखी लकड़ियों का कम इकट्ठा होना।	
4	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 25-बाह्य सहायता प्राप्त	**आयोजना**						
		2011-12	10.08[2]	4.51	5.57	55.3	विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।	लेखापरीक्षा द्वारा भेजे गये पत्रों (जून तथा जुलाई 2014) के बावजूद विभाग द्वारा बचत के कारण नहीं बताये गये।
		2012-13	85.41	21.60	63.81	74.7		
		2013-14	144.90	91.20	53.70	31.1		

[2] अनुपूरक प्रावधान ₹ 0.02 लाख सहित।

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-।।							
5	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 01-बाघ परियोजना, रणथम्भौर	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	104.78	19.66	85.12	81.2	ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने के लिए ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी तथा भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई/देरी से प्राप्त हुई।	बजट बनाने से पूर्व ग्रामीणों की सहमति सहित ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने की सम्भाव्यता की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिये थी।
		2012-13	54.80	13.90	40.90	74.6		
		2013-14	54.50	6.78	47.72	87.6		
6	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 02-बाघ परियोजना, सरिस्का	2011-12	32.45	15.48	16.97	52.3	ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने के लिए ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी तथा भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई/देरी से प्राप्त हुई।	बजट बनाने से पूर्व ग्रामीणों की सहमति सहित ग्रामीणों को उनके रहने के स्थान से हटाने की सम्भाव्यता की अच्छी तरह जाँच की जानी चाहिये थी।
		2012-13	33.50	14.50	19.00	56.7		
		2013-14	53.80	6.12	47.68	88.6		
7	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 03-वन क्षेत्रों का संधारण	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	33.47	29.99	3.48	10.4	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	35.91	30.98	4.93	13.7		
		2013-14	37.90	33.31	4.59	12.1		
8	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 04-घना पक्षी अभ्यारण्य का विकास	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	1.00	0.11	0.89	89.0	भारत सरकार से निधियों का कम प्राप्त होना तथा वार्षिक आयोजना परिव्यय के अनुसार द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	1.00	0.38	0.62	62.0		
		2013-14	1.00	0.32	0.68	68.0		
9	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110-वन्य जीव परिरक्षण 05-राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	2011-12	0.80	0.20	0.60	75.0	वार्षिक आयोजना परिव्यय के अनुसार द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	0.80	0.18	0.62	77.5		
		2013-14	0.80	0.35	0.45	56.3		
10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 070-संचार तथा भवन 02-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	10.25	3.05	7.20	70.2	भवन निर्माण के लिए स्वीकृति में देरी होना।	आवश्यक स्वीकृतियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को उक्त प्रकरण संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	20.50	10.59	9.91	48.3	अनुमानों में संशोधन होना	
		2013-14	18.00	10.79	7.21	40.1	राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत नहीं करना।	
11	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 08-सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	1.32	0.62	0.70	53.0	भारत सरकार से अनुदान की द्वितीय किश्त देरी से जारी करना/प्राप्त नहीं होना।	किश्त को समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	1.32	0.78	0.54	40.9		
		2013-14	2.74	0.17	2.57	93.8		

स्त्रोत: विनियोग लेखे एवं विभागीय उत्तर

ऊपर तालिका में बताये गये महत्वपूर्ण तथा विकासात्मक कार्यों/कार्यक्रमों के संदर्भ में कुल प्रावधानों के विरूद्ध वृहद निधियों की निरन्तर बचतें उन पर अनुश्रवण एवं बजटीय नियंत्रण की कमियों को इंगित करती है।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत ₹ 0.48 करोड़ एवं ₹ 635.93 करोड़ के मध्य निरन्तर बचतें, कुल प्रावधानों की, 4 से 100 प्रतिशत रही जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01-बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	आयोजना भिन्न						
		2011-12	92.95	89.06	3.89	4.2	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	96.44	86.95	9.49	9.8		
		2013-14	108.94	93.61	15.33	14.1		
2.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 02-बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	2011-12	33.01	29.85	3.16	9.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	31.39	27.43	3.96	12.6		
		2013-14	36.14	30.82	5.32	14.7		
3.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता 01-उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक) 01-स्थापना व्यय	2011-12	2056.84	1852.29	204.55	9.9	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2344.24	2015.63	328.61	14.0		
		2013-14	2490.84*	2306.62	184.22	7.4		
4.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-सामान्य व्यय	2011-12	28.11	25.26	2.85	10.1	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	33.59*	26.75	6.84	20.4		
		2013-14	36.98 *	30.46	6.52	17.6		
5.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-बालकों के विद्यालय	2011-12	2713.94*	2602.55	111.39	4.1	विद्यालयों द्वारा अधिक माँग करना।	बजट प्रावधान बनाते समय गत वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।
		2012-13	3616.10	2980.17	635.93	17.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2013-14	3895.05	3411.80	483.25	12.4	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा बिलों का प्रस्तुत नहीं करना।	जहाँ तक संभव हो, बिलों के भुगतान हेतु प्रावधान करते समय प्रत्याशित बकाया दायित्वों के भुगतान को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
6.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	2011-12	488.99	396.25	92.74	19.0	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	569.94	454.43	115.51	20.3		
		2013-14	667.89	519.49	148.40	22.2		
7.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 08-बालिका छात्रावास 01-बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	**आयोजना**						
		2011-12	1.85	1.19	0.66	35.7	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	3.49	-	3.49	100.0		
		2013-14	4.74*	0.68	4.06	85.7		
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ						
		2011-12	31.70	16.50	15.20	47.9		
		2012-13	50.66	-	50.66	100.0		
		2013-14	60.79	6.09	54.70	90.0		
8.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 09-मॉडल स्कूल 01-मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय	**आयोजना**						
		2011-12	14.45	12.57	1.88	13.0	भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	34.61	8.43	26.18	75.6		
		2013-14	34.61*	1.99	32.62	94.3		
9.	2202-सामान्य शिक्षा 04-प्रौढ़ शिक्षा 200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 02-साक्षर भारत अभियान	2011-12	33.80	27.04	6.76	20.0	भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	5.50	-	5.50	100.0	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी नहीं करना।	
		2013-14	12.10	9.28	2.82	23.3	भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होना।	
10.	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 02-नेशनल सर्विस स्कीम (5:7) 02-उच्च माध्यमिक विद्यालय	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	2.19	1.55	0.64	29.2	भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना।	पर्याप्त निधियाँ समय से जारी करने की सुनिश्चिता हेतु विभाग को भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था।
		2012-13	2.20	1.11	1.09	49.5		
		2013-14	2.38	1.04	1.34	56.3	राज्य सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करना।	
11.	2205-कला एवं संस्कृति 103-पुरातत्व 01-सामान्य व्यय	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	6.78	6.30	0.48	7.1	पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन पर कम व्यय होना।	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	7.56	6.27	1.29	17.1		
		2013-14	7.29	5.72	1.57	21.5	पदों का रिक्त रहना तथा पुलिस विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अस्थायी सुरक्षा कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं होना।	

* अनुपूरक प्रावधानों सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

उपर्युक्त स्थिति प्रकट करती है कि पदों के रिक्त रहने से हुई ₹ 1,767.32 करोड़ की निरन्तर बचतों से उचित बजटिंग, बिशेषकर राबनि के पैरा 13.18.2 के

प्रावधान जोकि इस प्रकार के अनुमानों को निर्धारित करते है, का ध्यान रखकर बचा जा सकता था।

विभाग द्वारा वर्ष दर वर्ष रिक्तियों के विरूद्व प्रावधान रखना, न केवल बजटरी प्रावधानों का उल्लंघन था अपितु विभागीय प्रणालीगत कमियों का सूचक था। उचित पूर्वानुमान के साथ, ऐसी निधियों जिनका कि वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण किया गया, को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रखा जा सकता था।

अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत ₹ 0.21 करोड़ एवं ₹ 61.26 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 3 से 100 प्रतिशत रही, जैसाकि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 18-उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	आयोजना						
		2011-12	0.89	0.37	0.52	58.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	1.93	0.47	1.46	75.6		
		2013-14	3.80	1.78	2.02	53.2		
2.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01-अध्यापन अस्पताल 24-महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर	2011-12	3.79	0.60	3.19	84.2	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	3.59	1.94	1.65	46.0		
		2013-14	4.48	2.56	1.92	42.9		
3.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 02-भ्रमणशील अस्पताल 08-अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई	2011-12	2.59	2.17	0.42	16.2	पदों का रिक्त रहना तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससीएल) द्वारा नि:शुल्क दवा आपूर्ति करना।	बजट प्रावधान बनाते समय आरएमएससीएल द्वारा दवाइयों की प्रत्याशित आपूर्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।
		2012-13	5.24	2.82	2.42	46.2		
		2013-14	5.83	3.31	2.52	43.2		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
4.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं सेवाएं-एलोपैथी 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 01-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	192.07	183.47	8.60	4.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	255.63	246.33	9.30	3.6		
		2013-14	290.40	275.12	15.28	5.3		
		आयोजना						
		2011-12	36.44*	33.18	3.26	9.0		
		2012-13	33.70	9.82	23.88	70.9		
		2013-14	46.80	39.92	6.88	14.7		
5.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101-आयुर्वेद 01-अस्पताल और औषधालय	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	290.47	267.72	22.75	7.8	पदों का रिक्त रहना तथा एसीपी के प्रकरणों में अनुमान से कम आहरण होना।	विभाग द्वारा एसीपी प्रकरणों की बकाया राशि की यथार्थता के साथ प्रत्याशा की जानी चाहिये थी।
		2012-13	332.71	288.41	44.30	13.3		
		2013-14	379.59	318.33	61.26	16.1		
6.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 03-चिकित्सा महाविधालय उदयपुर	2011-12	28.55	26.70	1.85	6.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	32.03	29.62	2.41	7.5		
		2013-14	38.91	35.93	2.98	7.7		
7.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 04-चिकित्सा महाविधालय अजमेर	2011-12	25.97	23.77	2.20	8.5	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	29.33	27.51	1.82	6.2		
		2013-14	35.23	32.30	2.93	8.3		
8.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-एलोपैथी 01-शिक्षा 05-चिकित्सा महाविधालय जोधपुर	**आयोजना**						
		2011-12	6.58*	5.24	1.34	20.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2.67	2.46	0.21	7.9		
		2013-14	4.04	1.44	2.60	64.4		
9.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 01-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	59.68	49.03	10.65	17.9	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	60.09	49.51	10.58	17.6		
		2013-14	60.80	51.37	9.43	15.5		
10.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 05-राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	2011-12	5.02	4.12	0.90	17.9	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	5.33	4.27	1.06	19.9		
		2013-14	6.07	4.78	1.29	21.3		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
11.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 104-औषध नियंत्रण 01- औषध नियंत्रण स्थापना 01-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	1.45*	0.11	1.34	92.4	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	1.60	0.01	1.59	99.4		
		2013-14	10.44	1.43	9.01	86.3		
12.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं 01-जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं	2011-12	1.46	-	1.46	100.0	पदों का रिक्त रहना तथा सामग्री एवं आपूर्ति में बचतें	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	2.49	0.10	2.39	96.0		
		2013-14	5.91	1.06	4.85	82.1		
13.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता 01-ब्लाक स्तरीय संस्थापन 01-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**आयोजना-भिन्न**						
		2011-12	49.30	43.88	5.42	11.0	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	56.70	53.37	3.33	5.9		
		2013-14	64.16	61.08	3.08	4.8		
14.	2211-परिवार कल्याण 200-अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां 01-परम्परागत गर्भ निरोधक	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**						
		2011-12	14.00	4.68	9.32	66.6	भारत सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ देरी से जारी करना तथा भारत सरकार द्वारा कितनी सामग्री सप्लाई की जावेगी इसका आंकलन पूर्व में नहीं हो सका, इस संबंध में भारत सरकार को भी अवगत करवा दिया गया था।	विभाग को समय से स्वीकृति जारी करने तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिये था। राजस्थान सरकार द्वारा परम्परागत गर्भ निरोधकों का उचित रूप से परिमाणन किया जाना चाहिये था।
		2012-13	14.00	8.53	5.47	39.1		
		2013-14	14.00	10.22	3.78	27.0		
15.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल तथा औषधालय 12-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य (डीएमएचएस) 90-निर्माण कार्य	**आयोजना**						
		2011-12	20.41*	6.65	13.76	67.4	सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यकारी अभिकरणों से निर्माण कार्य को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौपने से निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ जिससे वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। उक्त राशि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जो कि व्यपगत	कार्य मुख्य अभियंता, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होना विभागीय प्रणालीगत त्रुटियों तथा निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित समय सीमा में निधियों का वांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होने से निधियों का अवरोधन हुआ। ऐसे में निर्माण कार्यों की लागतों में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता।
		2012-13	10.25	0.91	9.34	91.1		
		2013-14	46.04*	32.28	13.76	29.9		

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							नहीं होती है तथा जिसका उपयोग आगामी वर्षों में किया जा सकता है।	
16.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 07-अन्य व्यय 03-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	2011-12	4.75	3.55	1.20	25.3	निविदायें प्राप्त नहीं होना/देरी से प्राप्त होना तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।	यह विभाग/राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था कि निर्माण कार्यों की आवश्यक प्रगति के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये उचित निर्णय, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करती।
		2012-13	6.27*	2.71	3.56	56.8		
		2013-14	6.87*	0.77	6.10	88.8		

* अनुपूरक प्रावधानों सहित।

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

उपर्युक्त स्थिति प्रकट करती है कि पदों के रिक्त रहने से हुई ₹ 153.98 करोड़ की निरन्तर बचतों से, उचित बजटिंग, विशेषकर राबनि के पैरा 13.18.2 के प्रावधान जोकि इस प्रकार के अनुमानों को निर्धारित करते है, का ध्यान रखकर बचा जा सकता था।

विभाग द्वारा उचित पूर्वानुमान के साथ ऐसी निधियों जिनका कि वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण किया गया था, को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रखा जा सकता था।

अनुदान संख्या 37-कृषि

कृषि विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत ₹ 0.27 करोड़ एवं ₹ 11.11 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 5 से 100 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: अनुदान संख्या 37-कृषि के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2401-फसल कृषि-कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 25-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयांश)	**आयोजना**						
		2011-12	10.67	6.38	4.29	40.2	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण कम राज्यांश जारी करना	विभाग को समय पर पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
		2012-13	7.98	6.07	1.91	23.9		
		2013-14	8.10	6.60	1.50	18.5		
2.	2401-फसल कृषि-कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें 27-कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु सहायता	2011-12	1.00	0.31	0.69	69.0	मुख्य सचिव के निर्णय (जुलाई 2010) के अनुसार अनुदान उन कृषकों/उद्यमियों को दिया	प्रावधान बनाते समय जुलाई 2010 में लिये गये निर्णय को ध्यान में रखकर वर्ष 2011-12

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							जाना था, जिन्होंने प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु अच्छा कार्य किया था। जुलाई 2010 तक केवल पाँच कृषकों/उद्यमों को ही अनुदान प्राप्त करने योग्य पाया गया। वित्त विभाग (अगस्त 2011) ने पुरानी योजना चालू रखना अस्वीकृत कर दिया।	तथा 2012-13 के लिए अनुदानों के वितरण का आंकलन किया जाना चाहिये था, प्रस्ताव वर्ष के अन्त में मांगे गये थे, जिससे समय की कमी के कारण इन प्राप्त प्रस्तावों पर प्रक्रिया पूरी न होने को नकारा नहीं जा सकता।
		2012-13	2.00	-	2.00	100.0	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 फरवरी 2013 तक कृषकों/ उद्यमियों से प्राप्त हुए प्रस्ताव अपूर्ण/अपात्र पाये गये तथा सम्पूर्ण राशि बजट शीर्ष '2401-119-28' को हस्तान्तरित कर दी गयी।	
		2013-14	10.00	2.32	7.68	76.8	कृषकों से प्राप्त प्रस्ताव अनुदान राशि से कम होना तथा प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना।	बचतें इस सीमा तक रहना प्रणालीगत त्रृटियों को दर्शाती है, परिणामस्वरूप किसानों की प्रसंस्करण इकाईयों में रूचि कम रही।
3.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 04-जिला स्तरीय संस्थापन व्यय	**आयोजना भिन्न**						
		2011-12	34.96[3]	33.00	1.96	5.6	पदों का रिक्त रहना।	रिक्त पदों हेतु प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	37.67	33.54	4.13	11.0		
		2013-14	40.88	36.11	4.77	11.7		
4.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06-जिला स्तरीय कृषि योजनाऐं 07-तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना	**आयोजना**						
		2011-12	4.90	4.63	0.27	5.5	निर्धारित मापदण्डों एवं आदानों के वास्तविक व्यय में अन्तर होना।	विभाग को विशिष्ट सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए थे।
		2012-13	5.27	3.52	1.75	33.2	आरएसएमएमएल द्वारा किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं देना, कम वर्षा होने के कारण तिलहनी	विभाग को समय से जिप्सम आपूर्ति तथा अन्य परिवहन के साधनों की उपलब्धता

[3] अनुपूरक प्रावधान ₹ 7.26 करोड़ सहित।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
							फसल का क्षेत्रफल कम होना तथा जिप्सम आपूर्ति हेतु ट्रकों की अनुपलब्धता।	सुनिश्चित करनी चाहिए थी।
		2013-14	5.42	1.72	3.70	68.3	आईसोपॉम योजना में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा आरएसएमएमएल द्वारा जिप्सम आपूर्ति नहीं करना।	विभाग को योजना हेतु पर्याप्त निधियों की उचित उपलब्धता हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
5.	2401-फसल कृषि-कर्म 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06-जिला स्तरीय कृषि योजनाऐं 07-तिलहन, दलहन, ऑइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं**						
		2011-12	14.70	13.90	0.80	5.4	निर्धारित मापदण्डों एवं आदानों के वास्तविक व्यय में अन्तर होना।	विभाग को विनिर्देशानुसार सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए थे।
		2012-13	15.80	10.57	5.23	33.1	आरएसएमएमएल द्वारा किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं देना, कम वर्षा होने के कारण तिलहन फसल का क्षेत्रफल कम होना तथा जिप्सम आपूर्ति हेतु ट्रकों की अनुपलब्धता।	विभाग को समय से जिप्सम आपूर्ति की सुनिश्चितता तथा अन्य परिवहन के साधनों की उपलब्धता हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी।
		2013-14	16.25	5.14	11.11	68.4	आईसोपॉम योजना में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा आरएसएमएमएल द्वारा जिप्सम आपूर्ति नहीं करना।	विभाग को योजना हेतु पर्याप्त निधियों की समुचित उपलब्धता हेतु भारत सरकार से अनुसरण करना चाहिए था।
6.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 05-मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से	**आयोजना**						
		2011-12	2.00	0.87	1.13	56.5	मत्स्य विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों के आधार पर अनुमान बनाये गये थे।	मत्स्य तथा वन विभाग से उचित अनुमानों की सुनिश्चितता का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	5.00	3.93	1.07	21.4		
		2013-14	2.00	0.82	1.18	59.0		
7.	2401-फसल कृषि-कर्म 800-अन्य व्यय 27-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विकेस) 15-वन विभाग के माध्यम से	2011-12	10.00	8.22	1.78	17.8	वन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों के आधार पर अनुमान बनाये गये थे।	मत्स्य तथा वन विभाग से उचित अनुमानों की सुनिश्चितता का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	8.00	3.07	4.93	61.6		
		2013-14	15.00	10.04	4.96	33.1		

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
8.	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 01-कृषि विभाग के माध्यम से	2011-12	25.00	16.12	8.88	35.5	अनुमान 16 अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर आधारित थे।	16 अन्य कार्यकारी विभागों द्वारा तैयार किये गये योजनाओं के अनुमानों के अंतिमीकरण का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	10.00	6.75	3.25	32.5		
		2013-14	7.00	0.58	6.42	91.7		
9.	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विकेस) 03-पशुपालन विभाग के माध्यम से	2011-12	4.99	0.99	4.00	80.2	अनुमान 16 अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर आधारित थे।	अन्य विभागों द्वारा तैयार किये गये योजनाओं के अनुमानों के अंतिमीकरण का अंतिम उत्तरदायित्व विभाग का था।
		2012-13	2.00	0.21	1.79	89.5		
		2013-14	2.00	0.62	1.38	69.0		

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

ऊपर दिये गये निरन्तर बचतों के प्रकरणों में व्यय पर विभाग का अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं हो सकने को भी इंगित करता है।

अनुदान संख्या 42-उद्योग

उद्योग विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 42 के अन्तर्गत ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 2.80 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 3 से 100 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 42-उद्योग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 103-हथकरघा उद्योग 09-एकीकृत हथकर्घा विकास कार्यक्रम	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाऐं**						
		2011-12	2.00*	1.60	0.40	20.0	भारत सरकार से कम वित्तीय स्वीकृतियाँ प्राप्त होना	पिछले वर्षो के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नही रखा गया। विशाल बचतें गलत अनुमान को इंगित करती है, राज्य सरकार को भारत सरकार से नवीन प्रस्तावों हेतु समयपूर्ण लक्ष्यों एवं निधियों की प्राप्तियों हेतु अनुसरण करना चाहिये। परियोजनाओं के कार्यकारी अभिकरणों में अनुश्रवण में कमी रही।
		2012-13	1.05	0.10	0.95	90.5	भारत सरकार द्वारा नवीन प्रस्ताव हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं करना	
		2013-14	1.05	-	1.05	100.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नही होना	

(₹ करोड़ में)

क.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत	कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	2852-उद्योग 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-निदेशन तथा अधीक्षण	आयोजना-भिन्न						
		2011-12	8.34*	8.02	0.32	3.8	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों का प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	8.88	8.15	0.73	8.2		
		2013-14	10.17	9.00	1.17	11.5		
3	2852-उद्योग 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला उद्योग केन्द्र	आयोजना-भिन्न						
		2011-12	24.08*	22.33	1.75	7.3	पदों का रिक्त रहना	रिक्त पदों के लिए प्रावधान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		2012-13	25.61	22.81	2.80	10.9		
		2013-14	27.12	24.51	2.61	9.6		

* अनुपूरक प्रावधानों सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर

ऊपर वर्णित प्रकरणों में निरन्तर बचतें, व्यय पर विभाग का अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करती हैं।

अनुदान संख्या 47-पर्यटन

पर्यटन विभाग

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान, अनुदान संख्या 47 के अन्तर्गत ₹ 0.15 करोड़ एवं ₹ 2.08 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें कुल प्रावधानों के 6 से 51 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: अनुदान संख्या 47-पर्यटन के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचत का प्रतिशत
1	3452-पर्यटन 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन	आयोजना भिन्न				
		2011-12	5.93	5.50	0.43	7.3
		2012-13	6.73	6.30	0.43	6.4
		2013-14	7.35	6.57	0.78	10.6
2.	3452-पर्यटन 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 07-राजस्थान मेला आयोजन प्राधिकरण	आयोजना				
		2011-12	0.50*	0.30	0.20	40.0
		2012-13	1.28*	1.13	0.15	11.7
		2013-14	1.20	0.70	0.50	41.7
3	5452-पर्यटन पर पूँजीगत व्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 05-ग्रामीण पर्यटन का विकास	आयोजना				
		2012-13	4.95	2.87	2.08	42.0
		2013-14	3.71	1.83	1.88	50.7

* अनूपूरक प्रावधान सहित

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभाग ने बचतों के कारण, मुख्यत: पदों का रिक्त रहना, पर्यटक पुलिस[4] के पदों का समाप्त होना, पुरातत्व विभाग द्वारा कम व्यय करना तथा अक्टूबर 2013 में

[4] पुलिस विभाग के व्यक्तियों को पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पर्यटन पुलिस के रूप में लगाना था।

चुनाव आचार संहिता लगना, बताये हैं। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिक्त पदों का बजट अनुमान रखना राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.3.3 आधिक्य व्यय

14 प्रकरणों में, कार्यक्रम प्रदाता विभागों ने विधानमण्डल द्वारा अनुदानों के माध्यम से निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक ₹ 79.76 करोड़ का व्यय किया। इन प्रकरणों में आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक था ***(परिशिष्ट 2.2)***।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय हुआ जो, बजटिंग एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.4 गत वर्षों (2010-13) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, आधिक्य व्यय का नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-13 के लिये 11 अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 19.93 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (5 सितम्बर 2014 तक)। वर्षवार विवरण को नीचे **तालिका 2.10** में सारीकृत किया गया है।

तालिका 2.10: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (5 सितम्बर 2014 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूंजीगत-दत्तमत	2.16	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया। यद्यपि, सरकार से कियान्विति विषयक टिप्पणी अपेक्षित है।
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	
		38-लघु सिंचाई एवं भू संरक्षण	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	
	2	13-आबकारी	राजस्व-प्रभारित	[5]	
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	राजस्व-प्रभारित	0.03	
2011-12	1	48-विद्युत	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	12-अन्य कर	राजस्व-प्रभारित	0.11	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया

[5] केवल ₹ 54,783

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (5 सितम्बर 2014 तक)
		36-सहकारिता	राजस्व-प्रभारित	[6]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2012-13	2	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	राजस्व-प्रभारित	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		20-आवास	राजस्व-प्रभारित	[7]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
योग	**11**			**19.93**	

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.5 वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2013-14 के दौरान, एक विनियोग तथा एक अनुदान में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 80.93 लाख रही, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना अपेक्षित है जिसे **तालिका 2.11** द्वारा दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व-प्रभारित				
1.	16-पुलिस	*13.08*	*13.31*	*0.23*
पूँजीगत दत्तमत				
2.	41-सामुदायिक विकास	610.84	691.54	80.70
	कुल योग	**623.92**	**704.85**	**80.93**

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

वित्त विभाग द्वारा, राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से आधिक्य व्यय के कारणों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान को सूचित नहीं किया गया।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा, जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करनें की आवश्यकता होती है तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 15 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 1,435.14 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान

[6] केवल ₹ 57

[7] केवल ₹ 2,100

अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ ***(परिशिष्ट 2.3)***। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे **तालिका 2.12** में विवेचित किये गये है:

तालिका 2.12: वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसे मामलें जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
1	24-शिक्षा कला एवं संस्कृति	14,453.24	361.85	13,611.65	प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए तथा लेपटॉप वितरण हेतु अतिरिक्त व्यय।
2	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4,102.26	214.69	3,999.51	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु तथा भारत सरकार द्वारा जारी निधियों की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने के लिए।
3	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,648.59	174.07	1,599.82	फरवरी 2014 में लिया गया ₹ 174.07 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मुख्यत: शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझुनू एवं खेतड़ी एकीकृत जलापूर्ति योजना हेतु, भारत सरकार से कन्या आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु, विभिन्न विद्युत वितरण निगमों[8] में पूँजी विनियोजन हेतु तथा नाबार्ड से वित्तपोषित आरआईडीएफ की सड़कों के निर्माण हेतु।
4	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,861.40	231.62	1,817.94	राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने हेतु, विभिन्न विद्युत वितरण निगमों[8] में पूँजी विनियोजन हेतु तथा नाबार्ड से वित्तपोषित आरआईडीएफ की सड़कों के निर्माण हेतु।

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में त्रुटि एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता, जैसाकि राबनि के अध्याय 21 में विहित है, को इंगित करता है। इस प्रकार इन उप-शीर्षो के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

[8] जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, परिणामस्वरूप 97 उप-शीर्षो में ₹ 46.53 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 373 उप-शीर्षो में ₹ 223.96 करोड़ की अंतिम बचतें रही। 30 लेखा शीर्षो में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत हुई ***(परिशिष्ट 2.4)***। 17 लेखा शीर्षो में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 6 लेखा शीर्षो में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 7 लेखा शीर्षो में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

2.3.8 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2014) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,918 प्रकरणों में से मात्र 674 प्रकरणों के पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, बकाया 1,244 प्रकरणों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे कि 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि दर्शाये गये थे। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं हो सके, अभ्यर्पित किये जाने चाहिये। वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 9,733.91 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 9,233.15 करोड़ (94.9 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई। इनमें से, 46 प्रकरणों (35 अनुदान एवं 1 विनियोग) में ₹ 9,045.14 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये ***(परिशिष्ट 2.5)***, जबकि 16 अनुदानों में, जहाँ बचतें (₹ 4,335.88 करोड़) प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक थी, ₹ 563.86 करोड़ (13 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.6)***।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। इस प्रकार मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2014)।

2.3.10 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ मामलों में एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है। प्रकरणों, जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, को छोड़कर बजट नोट में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

अनुमानों में वर्ष 2013-14 के दौरान, 114 प्रकरणों (26 अनुदानों एवं 1 विनियोग में ₹ पाँच करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) में ₹ 3,859.29 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 3,477.58 करोड़ (90.1 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.7)*** एवं शेष राशि ₹ 381.71 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2014)।

2.3.11 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

चार अनुदानों में ₹ 726.03 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 791.34 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 65.31 करोड़ अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.8)*** जो इंगित करता है कि विभाग मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2014)।

2.3.12 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति बनाये रखना सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है। वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में व्यय की अधिकता से बचना चाहिये।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 70 उप-शीर्षों ***(परिशिष्ट 2.9)*** में ₹ 12,769.11 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 49 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 9,027.71 करोड़ (34.6 प्रतिशत) केवल मार्च 2014 में व्यय किये गये।

मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक व्यय या तो अंतिम तिमाही या अंतिम माह के दौरान किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.13: वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय की अधिकता के मामलें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1.	2075-विविध सामान्य सेवाये	422.98	421.89	99.7	421.71	99.7
2.	2425-सहकारिता	451.02	387.71	86.0	374.20	83.0
3.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	15.33	11.45	74.7	10.45	68.2
4.	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	248.69	248.65	100.0	248.08	99.8
5.	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	43.67	43.67	100.0	43.67	100.0
6.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,953.00	2,120.89	53.7	2,095.89	53.0
7.	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	43.00	43.00	100.0	43.00	100.0
8.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	44.84	28.07	62.6	25.55	57.0
	योग	**5,222.53**	**3,305.33**	**63.3**	**3,262.55**	**62.5**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान।

इसमें से, कुल राशि (₹ 14,229.32 करोड़) के 9.20 प्रतिशत (₹ 1,309.63 करोड़) अकेले मार्च 2014 के दौरान निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा किये गये जैसा कि **अनुच्छेद 3.6** में विस्तृत है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च करना व्यय पर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4 बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुदान संख्या 28-'ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम' के अन्तर्गत तीन मुख्य राजस्व शीर्षों[9] में बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान अनुदान में राजस्व व्यय के अन्तर्गत बचतें 14.1 प्रतिशत एवं 60.3 प्रतिशत के मध्य घटती बढ़ती रही। यथार्थ में, पिछले दो वर्षों के दौरान बचतों का प्रतिशत 58 प्रतिशत से अधिक रहा। उक्त अवधि के दौरान निरन्तर बचतों की प्रवृत्तियाँ, विशेषकर वर्ष 2010-11 में ₹ 1.90 करोड़ के

[9] (i) 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (ii) 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) 2810-नवीन और नवीनीकरण योग्य उर्जा

आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, अनुमानों में कमियों को इंगित करता है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: वर्ष 2010-14 के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत
2010-11	47.44	26.59	74.03	75.93	(+) 1.90	2.57
2011-12	70.69	5.35	76.04	65.32	(-)10.72	14.1
2012-13	140.53	0.07	140.60	55.77	(-) 84.83	60.3
2013-14	52.01	-	52.01	21.62	(-) 30.39	58.4

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

(ii) आगे, वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान अनुदान में उपशीर्ष '2501-06-196-02-01 (आयोजना) की जाँच में निम्न बचतें प्रकट हुई:

तालिका 2.15: अवधि 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश) 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 02-ग्रामीण हाट 01-अनुदान	2011-12	25.00	-	25.00	100
	2012-13	22.50	7.50	15.00	66.7
	2013-14	22.50	-	22.50	100

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

बचतें, 66.7 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के मध्य रही। विभाग ने बचत का मुख्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना बताया (जुलाई 2014)। उत्तर सही नहीं है क्योंकि बचतें इंगित करती है कि संबंधित विभाग में बजटरी नियंत्रण प्रभावी नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष निधियों का अवरोधन हुआ, जिनका उपयोग उपशीर्ष 'ग्रामीण हाट' के अन्तर्गत अन्य विकासात्मक कार्यों में किया जा सकता था।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाने हेतु भेजा गया (सितम्बर 2014)। उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 17-'जेल' एवं अनुदान संख्या 33-'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' के अन्तर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि के लिये व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 17-जेल

गृह विभाग

(अ) राजस्व व्यय

समग्र राजस्व व्यय, गत वर्षो से 17.19 प्रतिशत तथा 18.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.16: वर्ष 2011-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सम्मुख व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2056-जेल	2011-12	75.71	8.22	83.93	78.69	5.24	6.24	-
	2012-13	84.82	12.05	96.87	92.22	4.65	4.80	17.19
	2013-14	103.54	10.03	113.57	108.86	4.71	4.15	18.04

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

(ii) जब तक कि नवीन मदों पर व्यय प्रत्याशित नहीं हो एवं इसे बढ़ाया न गया हो, तब तक आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि दर सामान्यत: 10 प्रतिशत के लगभग मानी जाती है। कुछ उपशीर्षो के विश्लेषण करने पर पाया गया कि व्यय की वृद्धि दर की प्रवृत्ति 14.05 प्रतिशत एवं 33.49 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.17: वर्ष 2011-14 के दौरान अनुदान 17 के अन्तर्गत निश्चित उपशीर्षो के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय की वृद्धि दर	वृद्धिदर की प्रतिशतता
2056-जेल 101-जेल 01-मुख्य जेल	2011-12	37.09	3.88	40.97	38.78	-	-
	2012-13	42.06	5.40	47.46	44.23	(+) 5.45	14.05
	2013-14	47.23	6.97	54.20	51.40	(+) 7.17	16.21
2056-जेल 101-जेल 02-जिला जेल	2011-12	17.52	2.00	19.52	18.72	-	-
	2012-13	20.08	5.65	25.73	24.99	(+) 6.27	33.49
	2013-14	28.01	1.50	29.51	29.20	(+) 4.21	16.85
2056-जेल 101-जेल 03-लॉक अप	2011-12	13.75	0.70	14.45	13.37	-	
	2012-13	15.68	0.55	16.23	15.37	(+)2.00	14.96
	2013-14	17.56	-	17.56	17.82	(+) 2.45	15.94
2056-जेल 800-अन्य व्यय 03-महिला बंदियों हेतु सुधार गृह	2011-12	1.00	-	1.00	0.93	-	-
	2012-13	1.09	-	1.09	1.13	(+) 0.20	21.51
	2013-14	1.16	-	1.16	1.33	(+) 0.20	17.70

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभाग द्वारा व्यय में बढ़ोतरी, मानदेय तथा भत्तों का अधिक भुगतान होना, लम्बित बिलों का भुगतान, कार्यालय व्यय में वृद्धि तथा खाने की सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण होना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी व्यय आयोजना-भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत किये गये थे तथा बकाया भुगतान/लम्बित बिलों से संबंधित थे, जिनकी प्रत्याशा बजट अनुमान तैयार करते समय लगायी जा सकती थी।

(iii) आगे, वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान उप-शीर्ष '2056-101-03' के अन्तर्गत बजटीय स्थिति की जाँच में इंगित हुआ कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में लिया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रहा जिससे काफी बचत हुई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय का आधिक्य रहा क्योंकि अनुपूरक मांग का प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका 2.18: वर्ष 2011-14 के दौरान अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
2056-जेल	2011-12	13.75	0.70	14.45	13.37	(-) 1.08
101-जेल	2012-13	15.68	0.55	16.23	15.37	(-) 0.86
03-लॉक अप	2013-14	17.56	-	17.56	17.82	(+) 0.26

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

विभागीय उत्तर कि बड़ी संख्या में उप-जेलों के होने से खाद्य बिलों के प्रावधानों में बढ़ोतरी हुई, मान्य नहीं है क्योंकि उप-जेलों की संख्या के बारे में विभाग को अनुमान तैयार करते समय पता था।

(ब) पूँजीगत व्यय

पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत व्यय का नियंत्रण अधिकारी महानिदेशक, जेल है।बजट अनुमानों में प्रावधानों के निरन्तर बढ़ोतरी के बावजूद बचतों की प्रवृत्ति तथा परिमाण, विभाग में अल्प मात्रा में पूँजीगत कार्यो के होने को इंगित करते है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.19: वर्ष 2011-14 के दौरान लगातार बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 04-सामान्य भवन (जेल)	2011-12	5.33	3.52	8.85	0.18	(-) 8.67	97.97
	2012-13	44.79	-	44.79	5.44	(-) 39.35	87.85
	2013-14	48.83	-	48.83	19.76	(-) 29.07	59.53

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2011-12 के दौरान, पाँच जिलों (अजमेर, बीकानेर, दौसा, जयपुर तथा कोटा) में तीन वर्षों में ₹ 116 करोड़ की अनुमानित लागत से दण्डित/विचाराधीन बंदियों को रखने के लिए कारागारों की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु जेल भवन बनवाने की घोषणा (9 मार्च 2011) की। ₹ 104.32 करोड़ की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई (जनवरी 2012)। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचतें रहने के उपरान्त भी केवल ₹ 16.04 करोड़ (15.38 प्रतिशत) व्यय किये गये जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.20: उप जेलों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के समक्ष अनुपयोगी राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का स्थान	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	अनुपयोगी राशि	कार्य की स्थिति (31 अगस्त 2014 को)
1.	जयपुर	7.61	5.66	1.95	कार्य प्रगति पर है।
2.	अजमेर	7.04	6.36	0.68	कार्य प्रगति पर है।
3.	बीकानेर	3.10	1.95	1.15	कार्य प्रगति पर है।
4.	दौसा	31.12	0.07	31.05	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।
5.	कोटा-I	24.33	1.93	22.40	जमीन पर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
6.	कोटा-II	31.12	0.07	31.05	
	योग	**104.32**	**16.04**	**88.28**	

स्त्रोत: जेल विभाग

(स) राजस्व प्राप्तियाँ

जेल विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष '0056-जेल' में, जेल/उप-जेलों में बंदियों द्वारा बनाये गये सामानों की बिक्री, उग्रवादियों के रखरखाव हेतु किये गये व्यय के पुनर्भरण की राशि तथा अनुपयोगी सामग्रियों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.21: 2011-14 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संख्या तथा लेखाशीर्ष का नाम	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+)/ कमी (-)	प्रतिशत में विचलन
1.	0056-जेल 102-जेल उत्पादनों की बिक्री	2011-12	20.00	20.00	2.45	(-)17.55	87.75
		2012-13	17.65	4.00	-	(-)4.00	100.00
		2013-14	4.00	-	0.02	(+)0.02	100.00
2.	0056-जेल 800-अन्य प्राप्तियाँ	2011-12	24.10	45.50	179.98	(+)134.48	295.56
		2012-13	17.12	134.47	480.96	(+)346.49	257.67
		2013-14	29.69	40.80	29.32	(-)11.48	28.13

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रपत्र।

अत: वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों में 28.13 प्रतिशत एवं 295.56 प्रतिशत के मध्य विचलन था जो कि अनुमानों में त्रुटियों को इंगित करता था।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2014), जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अ) व्यय

वर्ष 2013-14 में समग्र राजस्व व्यय गत वर्ष से 116.70 प्रतिशत बढ़ा तथा वर्ष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से 40.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा वर्ष 2013-14 में सीमान्त गिरावट रही, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.22: वर्ष 2011-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के साथ वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	प्रतिशतता	
						बचत	व्यय की वृद्धि दर
राजस्व	2011-12	1,891.93	168.33	2,060.26	1,969.66	90.60	-
	2012-13	2,331.28	121.87	2,453.15	2,278.76	174.39	(+) 15.70
	2013-14	2,912.15	2,226.06	5,138.21	4,938.15	200.06	(+) 116.70
पूँजीगत	2011-12	56.90	17.28	74.18	52.36	21.82	-
	2012-13	141.59	17.57	159.16	73.38	85.78	(+) 40.15
	2013-14	67.13	17.23	84.36	73.15	11.21	(-) 0.30

स्त्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्व अनुभाग में पिछले वर्ष से व्यय की वृद्धि दर 116.70 प्रतिशत थी। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित विदित हुआ:

यह पाया गया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष पेंशन पैकेज हेतु 'वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013' बनने के बाद, ₹ 400 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 1,076.05 करोड़ का अनुपूरक अनुदान एवं ₹ 514.71 करोड़ का पुनर्विनियोजन लिया गया तथा ₹ 1,970.69 करोड़ व्यय किये गये। आगे, इस अनुदान में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 2235[10] के अन्तर्गत प्रतीक प्रावधान[11] के विरूद्ध ₹ 735 करोड़ (विधवाओं के लिए नई पेंशन योजना हेतु) अनुपूरक अनुदान भी प्राप्त किये गये, जबकि इसके विरूद्ध ₹ 490.04 करोड़ खर्च किये गये।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष 2225[12] के अन्तर्गत व्यय की वृद्धि दर[13] ₹ 19.95 करोड़ से गत वर्ष से 53.3 प्रतिशत अधिक थी, जबकि वर्ष

[10] 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता, 19-अन्य कार्यक्रम, 15-सामाजिक सुरक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं

[11] ₹ 3,000.

[12] 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, 01-अनुसूचित जातियों हेतु उपयोजना

[13] वर्ष 2011-12 के लिए व्यय: ₹ 37.46 करोड़: 2012-13 के लिए व्यय: ₹ 57.41 करोड़ तथा 2013-14 के लिए व्यय: ₹ 31.84 करोड़ के लिए व्यय।

2013-14 के दौरान व्यय में ₹ 25.57 करोड़ की गत वर्ष से 44.5 प्रतिशत की कमी रही, जिसका का कारण विभाग ने क्रमशः व्यय में वृद्धि भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होना तथा व्यय में कमी द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना बताया। इसके अतिरिक्त, चयनित विस्तृत शीर्षो ***(परिशिष्ट 2.10)*** की वृद्धि में प्रवृत्ति के विश्लेषण करने पर व्यय में असंगत वृद्धि दर पायी गयी जोकि गत वर्षो की तुलना में असामान्य वृद्धि को इंगित करता है।

उपरोक्त स्थिति, त्रुटिपूर्ण अनुमानों एवं बजटीय पूर्वानुमानों का सूचक है।

सम्पूर्ण बजट ₹ 116.72 करोड़ का प्रावधान अनुपयोगी रहना

राबनि का पैरा 13.6 बताता है कि व्यय का अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होना चाहिए। अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वास्तविक व्यय से आधिक्य की तरह ही वित्तीय अनियमितता है।

नमूना जाँच में कुछ उपशीर्षों के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि विभाग ने सम्पूर्ण बजट प्रावधानों का उपयोग नहीं किया तथा इसे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित किया जैसाकि ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया है। इससे जहाँ आवंटित शीर्ष में अनुपयोजन रहा, वहीं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण से दूसरे शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन से वंचित रहना पड़ा।

ब. प्राप्तियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्ष '0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण' में सैनिकों, वायु सैनिकों तथा नाविकों के बोर्ड से प्राप्त अंशदान, विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास विभाग की विभिन्न योजनाओं से प्राप्ति, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग की विभिन्न प्राप्तियाँ तथा काम में न आने वाली सामग्रियों/वाहनों की नीलामी से प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.23: 2011-14 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की संशोधित अनुमानों से विचलन
0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2011-12	-[14]	0.81	(+) 0.81
01-पुनर्वास	2012-13	0.24	0.47	(+) 0.23
200-अन्य पुनर्वास योजनाएं	2013-14	1.44	1.15	(-) 0.29
0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2011-12	5.83	1.63	(-) 4.20
01-पुनर्वास	2012-13	3.51	2.96	(-) 0.55
800-अन्य प्राप्तियाँ	2013-14	5.74	7.75	(+) 2.01

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रपत्र।

[14] केवल ₹ 4000.

वर्ष 2013-14 के दौरान '0235-01-200' के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों से ₹ 0.29 करोड़ से कम रही। साथ ही, '0235-01-800' के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान प्राप्तियाँ, संशोधित अनुमानों के विरूद्ध क्रमशः ₹ 4.20 करोड़ एवं ₹ 0.55 करोड़ की सीमा तक कम प्राप्त हुई थी।

मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिकता निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गई है। राबनि के अध्याय 5 में परिकल्पित है कि निधि से अग्रिम, वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिनका विधानसभा द्वारा प्राधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम उन परिस्थितियों में व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जा सकता है जहाँ (i) व्यय या तो विद्यमान सेवा या नवीन सेवा पर किया जाना हो, (ii) व्यय का पूर्वानुमान वार्षिक बजट तैयार करते समय नहीं किया जा सका हो और (iii) नियमित प्रक्रिया में विधानसभा से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त होने तक व्यय स्थगित नहीं किया जा सकता हो। यदि, आकस्मिकता निधि से दिया गया अग्रिम पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अनुपयोजित रहता है, तो स्वीकृति का निरस्तीकरण अथवा संशोधन वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिये। निधि की प्रकृति एक अग्रदाय के रूप में है तथा इसकी कोष निधि ₹ 200 करोड़ की है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम की ₹ 26 करोड़ की तीन स्वीकृतियाँ जारी की गई। इन स्वीकृतियों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः

(1) वित्त विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के 2013-14 के बजट भाषण की उद्घोषणा के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्वयं सहायता समूहों के बैंकों से सम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की अंश पूंजी के साथ 'राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड' की स्थापना हेतु, ₹ 10 करोड़ का अग्रिम सहकारिता विभाग को स्वीकृत (अगस्त 2013) किया। स्वीकृति 31 अगस्त 2013 तक प्रभावी थी।

यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य विधानमण्डल द्वारा जून 2013 में निगम की स्थापना का अनुमोदन किया गया था तथा निगम की स्थापना 23 अगस्त 2013 को की गई थी। संवीक्षा में पाया गया कि स्वीकृति की प्रभावी तिथि तक निगम द्वारा कोई ऋण वितरित नहीं किया।

विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2014) कि ऋणों के वितरण हेतु उपरोक्त राशि उपयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्व सरकार द्वारा गत छः माहों में लिये गये निर्णयों जिसमें निगम की स्थापना भी सम्मिलित थी, की समीक्षा वर्तमान सरकार (दिसम्बर 2013) द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से आहरित की गई राशि, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वितरित नहीं की जा सकी थी।

राज्य बजट नियमावली के पैरा 5.3 के प्रावधानों के अनुसार आकस्मिकता निधि सरकार को ऐसे व्यय करने में सहायता देती है जिनका बजट अनुमान तैयार करते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो और नियमित प्रक्रिया में अनुपूरक अनुदान लेने तक जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता हो। यह पाया गया कि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस प्रकरण में उद्घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट भाषण में की गई थी।

(2) 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' के प्रारम्भिक कार्यों हेतु उद्योग विभाग को ₹ एक करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जुलाई 2013) किया गया। स्वीकृति 30 सितम्बर 2013 तक प्रभावी थी परन्तु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उक्त तिथि तक मात्र ₹ 0.02 करोड़ ही व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच में पाया गया कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में योजना उद्घोषित की गयी थी, तथापि इसके लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया एवं आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित किया गया। सम्पूर्ण राशि का अनुपयोजन यह इंगित करता है कि व्यय अतिआवश्यक/अप्रत्याशित प्रकृति का नहीं था तथा आकस्मिकता निधि से आहरण उचित नहीं था।

(3) बजट भाषण 2013-14 की उद्घोषणा के अनुसार 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2013' के निष्पादन हेतु देवस्थान विभाग को ₹ 15 करोड़ की अग्रिम राशि (जून 2013) दी गई। स्वीकृति 30 सितम्बर, 2013 तक प्रभावी थी, परन्तु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभाग द्वारा उक्त तिथि तक ₹ 9.66 करोड़ ही व्यय किये गये, ₹ 5.34 करोड़ शेष बचे रहे।

योजना, बजट भाषण 2013-14 में उद्घोषित की गई थी अतः इसके लिये बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिये था। बजट भाषण में उद्घोषित योजना के निष्पादन के लिये निधियों का आकस्मिकता निधि से आहरण अनियमित था।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2014), जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

2.7 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

31 दिसम्बर 2010 तक संशोधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 8(2) में निर्दिष्ट है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तुरंत भुगतान किया जाना हो तथा व्यय या भुगतान किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत हो। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों को बनाने/आहरण करने और विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। आगे, नियम 220(1) में निर्धारित प्रमाण-पत्र, डीसी बिलों को तीन माह (विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान क्रय करने के प्रकरणों को छोड़कर जिनमें यह छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे) की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है।

31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 4,174.63 करोड़ के 40,701 एसी बिलों के विरूद्ध ₹ 3,851.06 करोड़ की राशि के 39,619 डीसी बिल ही प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2014 तक ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 एसी बिल बकाया थे। बकाया एसी बिलों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.24: सांराशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	28,137	1,978.00	28,092	1,972.99	45	5.01
2009-10	3,669	708.79	3,664	708.16	5	0.63
2010-11	2,460	419.86	2,429	414.94	31	4.92
2011-12	1,471	197.72	1,421	190.86	50	6.86
2012-13	1,834	253.84	1,749	237.22	85	16.62
2013-14	3,130	616.42	2,264	326.89	866	289.53
योग	**40,701**	**4,174.63**	**39,619**	**3,851.06**	**1,082**	**323.57**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

कुछ असमायोजित एसी बिल राजस्व विभाग (155: ₹ 227.03 करोड़), शिक्षा विभाग (32: ₹ 21.25 करोड़), निर्वाचन विभाग (198: ₹ 16.24 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (148: ₹ 11.66 करोड़) और महानिदेशक, पुलिस विभाग (158: ₹ 5.12 करोड़) से संबंधित थे। जुलाई 2014 की अवधि तक लम्बित डीसी बिलों का मुख्य शीर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिया गया है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य शीर्ष '2210' एवं '4210' के अन्तर्गत प्रस्तुतीकरण में लम्बित डीसी बिलों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:

(i) समग्र स्थिति

असमायोजित एसी बिलों की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 2.25: चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक बिल

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2210	2011-12 तक	435	1,758.46	431	1,685.02	4	73.44
	2012-13	76	755.06	69	564.32	7	190.74
	2013-14	338	1,410.20	201	508.66	137	901.54
	योग	**849**	**3,923.72**	**701**	**2,758.00**	**148**	**1,165.72**
4210	2011-12 तक	96	1,310.72	95	1,308.47	1	2.25
	2012-13	23	1,135.10	15	559.78	8	575.32
	2013-14	12	562.04	2	2.70	10	559.34
	योग	**131**	**3,007.86**	**112**	**1,870.95**	**19**	**1,136.91**
	महायोग	**980**	**6,931.58**	**813**	**4,628.95**	**167**	**2,302.63**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

वर्ष 2011-12 तक लम्बित 5 एसी बिलों (₹ 75.69 करोड़) के समायोजन/निस्तारण हेतु कार्यवाही किये जाने एवं विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष '4210' के अन्तर्गत ₹ 575.32 लाख की राशि के एसी बिल, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (राशि ₹ 471 लाख के 3 बिल) एवं एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर (राशि ₹ 104.32 लाख के 5 बिल), से संबंधित थे। पूछे जाने पर (नवम्बर 2014) वित्तीय सलाहकार, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर ने वर्ष 2013-14 तक डीसी बिलों के अप्रस्तुतीकरण के निम्नलिखित कारण सूचित (नवम्बर 2014) किये:

तालिका 2.26: सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में विस्तृत आकस्मिक बिलों के अप्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एसी बिल		ली गई राशि	डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण
	संख्या	दिनांक		
1.	2031	30.03.2013	86.00	उपकरणों का प्राप्त नहीं होना
2.	2023	30.03.2013	275.00	डीसी बिल 27 मार्च 2014 को प्रस्तुत किये।
3.	2025	30.03.2013	110.00	उपकरणों का प्राप्त नहीं होना

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

उपरोक्त प्रकरणों में, उपकरणों को प्राप्त करने का अनुसरण अथवा एसी बिल उचित समय पर आहरित किये जाने का समुचित नियोजन करते हुये डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण/अप्रस्तुतीकरण में विलम्ब से बचा जाना चाहिये था।

एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर से असमायोजित एसी बिलों के कारण प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2014)।

(ii) एसी बिलों के माध्यम से निधियाँ आहरित करना एवं बिना किसी व्यय के वापिस जमा किया जाना

निम्नलिखित प्रकरणों में, एसी बिलों के माध्यम से आहरित की गई निधियाँ, बिना किसी व्यय किये निर्धारित अवधि से 5 से 10 माह के विलम्ब से, वापिस जमा की गई:

तालिका 2.27: एसी बिलों के माध्यम से निधियाँ आहरण करने एवं बिना किसी व्यय के वापिस जमा कराने के प्रकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल संख्या/दिनांक	आहरित राशि	चालान संख्या/जमा की दिनांक	विलम्ब माह में	विभाग द्वारा बताये गये कारण	अभ्युक्तियाँ
1.	प्रधानाचार्य, आरएनटी चिकित्सा महाविद्यालय, संयुक्त चिकित्सा संघ, उदयपुर	16/2/1315/ 09.03.12 15/1/1316/ 09.03.12 27/75/1386/ 30.03.12 21/3/1332/ 14.03.12	6.42 7.10 22.92 19.05	92/1.7.13 91/1.7.13 103/16.7.13 102/16.7.13	9 9 9 10	फर्म द्वारा ऑपरेशन कक्ष हेतु चाहे गये उपकरणों की आपूर्ति नहीं करना। कार्यालय द्वारा फर्म की प्रतिभूति जमा जब्त की गई।	कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसी बिल मार्च 2012 में आहरित किये गये, जबकि राशि जुलाई 2013 में वापिस जमा कराई गयी। स्वीकार्य समयावधि के अंदर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में राशि शीघ्र जमा कराई जानी चाहिये थी।
2.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसपी महाविद्यालय, बीकानेर	1332 / 31.3.12	1.30	450/22.3.13	5	राशि, ट्राँसफॉर्मर की स्थापना हेतु आहरित की गई थी, यद्यपि इसकी लागत (₹ 2.50 लाख) अधिक थी। अंत में ट्राँसफॉर्मर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा स्थापित किया गया।	यह ट्राँसफॉर्मर की लागत के अपर्याप्त अनुमानन को प्रदर्शित करता है परिणामस्वरूप राशि वापिस जमा करानी पड़ी।

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

(iii) निर्धारित अवधि के बाद डीसी बिलों के माध्यम से एसी बिलों का समायोजन

निम्नलिखित प्रकरणों में, अव्ययीत राशि निर्धारित अवधि के 3 से 15 माह के विलम्ब से जमा कराई गयी।

तालिका 2.28: सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समायोजन में विलम्ब

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि (₹ लाखों में)	चालान संख्या/ कोषालय में जमा कराने की दिनांक	जमा कराई गई राशि (₹ लाखों में)	विलम्ब माह में
1.	प्रधानाचार्य, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2055 /27.3.12	400.00	21.10.13	18.19	12
2.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	524 / 14.9.11 523 / 14.9.11 527 / 14.9.11	82.50 52.75 43.00	450/22.3.13 उपरोक्त उपरोक्त	8.72 8.54 1.69	15 15 12
3.	अतिरिक्त प्रधानाचार्य, पी एण्ड सी, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	1209 / 30.3.12	14.52	341/14.2.13	0.36	4
4.	सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2026 / 30.3.13	26.30	24870/15.1.14	1.05	3
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, पीपाड सिटी, जोधपुर	16 / 17.6.13	6.50	43017/27.3.14	0.76	3
6.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर	15 / 17.6.13	8.00	43016/27.3.14	1.57	6
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, एचपीएचसी, भोपालगढ़, जोधपुर	25 / 12.6.13	8.00	44055/28.3.14	1.60	6
8.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, सीएचसी, भोपालगढ़, जोधपुर	26 / 12.6.13	6.50	44058/28.3.14	2.55	6
		योग	**648.07**	**योग**	**45.03**	

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

अव्ययीत राशि को विलम्ब से जमा कराना, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 एवं 220(1) के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(iv) राशियों के वास्तविक उपयोग के बिना एसी बिलों का समायोजन

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना हेतु निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान ने ₹ 21.10 करोड़ का बजट आवंटित किया (18 मार्च 2013)। इसमें से ₹ 50 लाख की राशि प्रधान चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर को आवंटित की गई जिसने एसी बिल के माध्यम से ₹ 50 लाख आहरित (मार्च 2013) किये और सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस), ब्यावर से प्राप्ति

रसीद के आधार पर डीसी बिल प्रस्तुत (मई 2013) किया। यह पाया गया कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, ब्यावर को योजना के अंतर्गत नि:शुल्क जाँच हेतु राशि हस्तांतरित की गई तथापि, आरएमआरएस से व्यय का विवरण लिये बिना ही डीसी बिल प्रस्तुत किया, जोकि सही नहीं था।

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,06,452.16 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 96,718.25 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 9,733.91 करोड़ की बचतें रही। छः अनुदानों के अंतर्गत निरंतर बचतों की समीक्षा में पाया गया कि ₹ 1,957.25 करोड़ की बचतें मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, योजनाओं के वार्षिक परिव्यय में कटौती, भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, कार्यों के कम निष्पादन आदि के कारण हुई। 15 प्रकरणों में ₹ 1,435.14 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 470 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रहा परिणामस्वरूप इन प्रावधानों से या तो बचतें रही या आधिक्य रहा। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ₹ 9,233.15 करोड़ अभ्यर्पित किये गये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 65.31 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये तथा 114 प्रकरणों में, ₹ 3,859.29 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 3,477.58 करोड़ (90.1 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को बचतों विशेषतः उन विभागों में जहाँ निरन्तर बचतें पाई गई हैं, को टालने के लिये स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति के लिये सावधानी पूर्ण एवं लगातार निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

31 जुलाई 2014 तक ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

आहरित सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध अग्रिमों को निर्धारित समयावधि के भीतर समायोजित होने की सुनिश्चितता के लिये व्यवस्था सही करने के लिये कठोर तंत्र की आवश्यकता है।

₹ 26,081.89 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 12,769.11 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,027.71 करोड़ अकेले मार्च 2014 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।

अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि, की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। वर्ष 1997-98 से 2012-13 के दौरान प्रदत्त कुल ₹ 2,959.76 करोड़ के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित 15,690 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 170 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (₹ 38.93 करोड़) बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिये गये हैं। विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को निम्न तालिका में सांराशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विलम्ब की अवधि वर्षों में	कुल प्रदत्त अनुदान/ऋण		31 जुलाई 2014 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
0-1	58	11.53	58	11.53
1-3	115	24.79	79	21.06
3-5	395	46.07	27	4.73
5-7	629	71.71	1	1.49
7-9	1890	89.49	1	0.12
9 एवं अधिक	12,603	2,716.17	4	-*
योग	**15,690**	**2,959.76**	**170**	**38.93**

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित वाउचर

* केवल ₹ 0.36 लाख

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (127 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 19.47 करोड़) तथा समाज कल्याण विभाग (25 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 12.67 करोड़) से सम्बन्धित थे।

विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष, तथा वित्तीय अव्यवस्था से युक्त होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएं, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख, जो कि निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते है, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय इंगित करते हुए, लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त 363 लेखाओं में से 124 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आकर्षित हुई। इनमें से 83 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2014 तक की गयी। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं का वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	28	66.73	185.45
1-3 वर्ष	19	76.59	211.34
3-5 वर्ष	5	8.87	21.46
5-10 वर्ष	9	5.67	9.63
योग	**61**	**157.86**	**427.88**

यह देखा जा सकता है कि 14 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 3 से 10 वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान का उपयोग, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सका।

वर्ष 2012-13 तक देय 224 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 61 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 166 वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान को जून 2014 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण क्षेत्र में चार[1] स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत सौंपी गई है जबकि, अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना एवं इसके विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गयी है। यह देखा जा सकता है कि सभी चार स्वायत्त निकार्यों के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे 2 से 14 महिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

3.4 विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे के रूप से तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं ताकि सरकार उनके कार्यों का आंकलन कर सके। विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय

[1] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

स्थिति तथा उनके व्यवसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय पर नहीं लिये जा सकते हैं।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2014 तक ऐसे सभी 10 विभागीय उपक्रमों द्वारा वर्ष 2012-13 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 प्रावधित करते हैं कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2014 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 49.55 करोड़ के दुर्विनियोजन (331) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (601) के 932 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही (जून 2014) लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का विवरण

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	254	2,052.12	सामग्री की चोरी/हानि	**601**	**1,068.52**
5-10	243	1,310.97	दुर्विनियोजन/गबन	**331**	**3,886.83**
10-15	177	800.48			
15-20	139	495.42			
20-25	63	166.73	-	-	-
25 एवं अधिक	56	129.63	-	-	-
योग	**932**	**4,955.35**	कुल लम्बित प्रकरण	**932**	**4,955.35**

स्त्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	229	1731.42
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	625	2708.09
न्यायालयों में बकाया	78	515.84
योग	**932**	**4955.35**

स्त्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखों में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी जब तक कि उन्हें किन्हीं कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2013-14 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 14,229.32 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 89,174 करोड़) का 16 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2014 में ₹ 1,309.63 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये। इनमें से, ₹ 229.99 करोड़ (₹ 85.98 करोड़: पूंजीगत खाते एवं ₹ 144.01 करोड़: राजस्व खाते) अन्तिम तीन दिनों (29 से 31 मार्च 2014) में हस्तान्तरित किये गये। 31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निजी निक्षेप खातें			
	प्राप्तियाँ	संवितरण	31.03.2014 को स्थिति	
			खातों की संख्या	राशि
सक्रिय पीडी खाते	14,229.32	13,541.15	1,450	2,860.90
निष्क्रिय पीडी खाते *	..	..	20	1.00

* पॉच वर्षो से अधिक समय से निष्क्रिय

ऊपर दी गई तालिका यह इंगित करती है कि 1,470 पीडी खातों में ₹ 2,861.90 करोड़ का अव्ययित शेष था, जिसमें तीन पीडी खातों[2] का विशाल शेष सम्मिलित हैं जिनका अव्ययित शेष सभी पीडी खातों के अव्ययित शेष का 29.58 प्रतिशत

[2] (अ) निदेशक/आयुक्त/उप विकास आयुक्त, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (सचिवालय) (₹ 398.23 करोड़) , (ब) राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 303.66 करोड), (स) प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 144.57 करोड़)।

था। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संधारित निजी निक्षेप (पीडी) खातों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

(1) निष्क्रिय निजी निक्षेप खाते

राजस्थान कोषालय नियमावली, 2012 का नियम 98 ध्यान दिलाता है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में कोषाधिकारी अपने अधीन आने वाले कोषालय और उपकोषालयों के अन्तर्गत सक्रिय पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वर्षों में निष्क्रिय रहे खातों की सूची तैयार करेगा, ऐसे खातों को बन्द करने की सहमति लेने हेतु आवश्यक विवरण एवं खातों में रहे शेष जमा राशि के साथ सूचना प्रेषित करेगा।

31 मार्च 2014 को, ₹ एक करोड़ ***(परिशिष्ट 3.7)*** के 20 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2009-14) से निष्क्रिय थे, जिसमें मुख्यत: 3 पीडी खाते, क्रमश: उप वन संरक्षक (मरूस्थल विकास कार्यक्रम), जैसलमेर, जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा, मण्डल वन अधिकारी (पश्चिम), जयपुर शहर ₹ 21.74 लाख, ₹ 20.40 लाख तथा ₹ 10.11 लाख की शेष राशि के साथ सम्मिलित थे।

(2) ऋणात्मक शेष के बावजूद पीडी खाते से धन की निकासी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(1)(iii) के अनुसार निक्षेप लेखों से किसी भी परिस्थिति में जमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। 2013-14 के दौरान 21 पीडी खातों ***(परिशिष्ट 3.8)*** में राशि ₹ 19.68 करोड़ के ऋणात्मक शेष पाये गये, बावजूद इसके कि इसी तरह की टिप्पणियाँ पिछले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गयी हैं। यह पीडी खातों के प्रचालन तथा रखरखाव में व्यवस्था दोष एवं वित्तीय दुर्विनियोजन को इंगित करता है।

(3) पीडी खातों से ₹ 48.96 लाख का उपयोग नहीं होना

मई 2014 को, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर के पीडी खातों में ₹ 48.96 लाख पिछले तीन वर्षों से अधिक से बिना उपयोग के पड़े हुए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना/प्रोजेक्ट का नाम	राशि	से अनुपयोगी पडी शेष राशि
1	हैण्डीकॉफ्ट एटलस	3.48	18.12.2002
2	प्रीवेनशन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ फ्लोरासिस	2.95	14.12.2005
3	हैण्डपम्प अटैच्ड डी-फ्लोरीडिऐशन	4.93	15.10.2008
4	नेशनल साइन्स डे	1.47	07.01.2011
5	आइडेन्टीटिफिकेशन, इनवेन्टरोजाइनेशन एण्ड डोक्यूमेन्टेशन ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोब्लम रिक्वायरिंग एस एण्ड टी इनपुट्स	6.77	06.11.2008
6	अण्डरस्टैण्डिंग प्लेनेट अर्थ	10.00	14.05.2009
7	सोशल डिफ्यूजन ऑफ इम्प्रूवड हैण्डपम्पस्	14.00	18.04.2010
8	पायलेट डीमॉन्सट्रेशन्स प्रोजेक्शन कम हायरिंग ऑफ एनिमल ड्रान ऑफ आर्म इम्पलीमेन्ट इन ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान	5.36	30.07.2010
	कुल	**48.96**	

विभाग ने सूचित किया (जून 2014) कि उपरोक्त राशियों को लौटाने की कार्यवाही की जा रही है।

3.7 लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक निर्णायक घटक यह है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जाये और उन्हे अद्यतन किया जाये ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी प्रमुख कार्यकलापों पर प्राप्तियों एवं व्ययों को पारदर्शी तरीके से वस्तुतः दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 62 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 7,264.05 करोड़, लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 8.15 प्रतिशत से अधिक थे।

मुख्य योजनाऐं, जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से वर्णित नहीं थे परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये, नीचे दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
1.	विभिन्न विद्युत निगमों को दी गयी सहायतार्थ अनुदान/सहाय्य	420.04
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं	419.29
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना	457.41
4.	जिला एवं अन्य सड़कों पर पूंजीगत व्यय	1,130.60
5.	बिक्री, व्यापार आदि करों के अन्तर्गत ब्याज अनुदान	118.43
6.	अच्छे देनदारों को सहकारिता के अन्तर्गत सहयोग हेतु ब्याज अनुदान	146.84
7.	शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	172.60
8.	जिला एवं अन्य सड़कें	625.55
9.	छोटे तथा मध्यम किसानों को कृषि फसलें, बागवानी फसलें तथा वार्षिक लीज फसलों हेतु कृषि आवक अनुदान	522.98
10.	छोटे तथा मध्यम किसानों हेतु कृषि आवक अनुदान	259.64
11.	सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत लेपटोप का वितरण	225.55
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	202.87
13.	ग्रामीण विकास विभाग की नई योजनाऐं	238.50
14.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा की फीस/छूट की राशि का पुनर्भरण	150.00

यद्यपि, इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए दी गई विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बंधित शीर्षवार विनियोग लेखों, जो कि राज्य

सरकार के लेखों के हिस्से हैं, में किया गया है, तथापि लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अंकित अधिक राशि वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यत: राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में 63 मदों[3] में ₹ 7534.03 करोड़ पुस्तक समायोजन के द्वारा अन्तरित किये गये। पुस्तक समायोजन मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि के शेषों पर ब्याज, सिंचाई योजना के पूंजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ पर व्यय, राज्य आपदा निधि को केन्द्र तथा राज्य अंश का हस्तान्तरण, जीवन बीमा निगम के शेष पर ब्याज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि, गारन्टी शुल्क का गारन्टी प्रावधायी मोचन निधि को स्थानान्तरण से संबंधित थे।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी 404 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 94,101.08 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का शत प्रतिशत अंकमिलान किया गया।

इसी प्रकार, 132 नियंत्रण अधिकारियों में से 130 द्वारा ₹ 74,480.65 करोड़ की कुल प्राप्तियों (जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं) के समक्ष ₹ 74,398.36 करोड़ (99.89 प्रतिशत) की राज्य सरकार की प्राप्तियों का अंकमिलान किया गया।

3.10 उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, प्राप्तियों एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यस्थ/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें ''उचन्त शीर्ष'' के रूप में जाना जाता है, परिचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षों में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखे शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये

[3] मदों का विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे (खण्ड- I) में दिया गया है।

जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत संचित रहती है जिससे सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों का सही रूप दर्शित नहीं होता।

उचन्त शेषों का खाता, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष '8658-उचन्त लेखे' के अन्तर्गत ₹ 26.68 करोड़ (जमा) का कुल निवल शेष था जिसमें कि वर्ष 2011-12 के ₹ 8.70 करोड़ (जमा) से ₹ 17.98 करोड़ की बढ़त रही। निवल जमा शेष में बढ़ोतरी मुख्यत: उप-शीर्ष स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त (₹ 26.34 करोड़) के अन्तर्गत रही जो कि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2013-14 में उप-शीर्ष वेतन एवं लेखा उचन्त (₹ 16.13 करोड़) के निवल नाम शेष में बढ़ोतरी द्वारा प्रतिसंतुलित हुयी।

उचंत लेखे के अन्तर्गत निवल शेष, वित्त लेखे में प्रतिबिंबित होते हैं और इस कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक स्थिति राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकार के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित नहीं हो पाती है। मुख्य शीर्ष ''8658-मुख्य उचन्त लेखे'' की गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.9*** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्तर-सरकारी एवं अन्तर-विभागीय संव्यवहारों के निपटान के लिये परिचालित किया जाता है। मार्च 2014 में इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 26.62 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 0.91 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त शीर्ष'' में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	18.19	-
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	7.35	0.07
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	0.47	-
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	0.24
5.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.61	0.59

स्त्रोत: वित्त लेखे

ऊपर दी गई तालिका यह इंगित करती है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा 31 मार्च 2014 को वसूल/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं

लेखा कार्यालय उचन्त के अन्तर्गत जमा एवं नामे शेष तथा उनका लगातार जुड़ना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति अथवा व्यय के अन्तिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है।

31 मार्च 2014 को इस लघु शीर्ष में ₹ 2 करोड़ (नामे) एवं (–) ₹ 0.03 करोड़ (जमा) का बकाया शेष था, जो ₹ 2.03 करोड़ की प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। मुख्यत: 'वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त' शीर्ष में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	नियत्रंक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद:	0.88	-
2.	नियत्रंक रक्षा लेखा (दक्षिणी कमांड), पूना	0.34	-
3.	निदेशक, डाक लेखा, कोलकाता के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत	0.70	(-) 0.02
4.	अवर्गीकृत उचन्त	0.07	0.01

स्त्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि निमित्त किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जो सम्बन्धित लेखों के अंतिम शीर्षो में दर्ज नहीं हो सके, उनका एकाकी निपटारा किया जाना आवश्यक है। आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखों के पास वर्ष 1977-78 से 2012-13 की अवधि तक शेष ₹ 1.22 करोड़ (नामे) बकाया थे तथा डाक लेखा, कोलकाता के पास 1969-70 की अवधि से भवन निर्माण अग्रिम उचन्त के शेष ₹ 0.70 करोड़ (नामे) तथा (–) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया थे। ये पुराने शेष पूर्व वर्षों में राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं परन्तु परिशोधन हेतु कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुये भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जायेगा। इस शीर्ष का समाशोधन भण्डारों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ता/प्रभाग को भुगतान करने पर प्रतिलेखा प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जायेगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जायेगा।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को ₹ 2.23 करोड़ (जमा) का शेष बकाया था।लघु शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष समाशोधित नहीं किया जाना, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण दोष को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दी गयी ₹ 38.93 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की नमूना जाँच में बिना वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नही करने के मामले ध्यान में आये।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विशुद्धता सत्यापित करने के लिये एवं यथा समय प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु स्वीकृति प्रदानकर्त्ता अधिकारी/सम्बन्धित विभाग एक उचित प्रणाली, विशेषत: सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से विकसित कर सकते है तथा व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के मामलों में गौर कर सकते हैं।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 61 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में लेखे पिछले 10 वर्षों से बकाया पाये गये।

लेखों के पिछले बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान करने हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही के लिए करना चाहिये।

दिव्या मल्होत्रा

जयपुर,

(दिव्या मल्होत्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली,

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 राज्य का प्रोफाइल
(संदर्भ राज्य का प्रोफाइल, पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आंकड़ें

क्र.सं.	विवरण		आंकड़ें
1	क्षेत्रफल		3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	(अ)	2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़
	(ब)	2011 की जनगणनानुसार	6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)		*14.7 प्रतिशत*
5	(अ)	कुल साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 65.4 प्रतिशत)[@]	60.4 *प्रतिशत*
	(ब)	कुल साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)[@]	66.1 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)		49
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा*** (अखिल भारतीय औसत = 65.8 वर्ष)		66.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक****		
	(अ)	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)	0.23
	(ब)	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2013-14 वर्तमान मूल्य पर		₹ 5,13,688 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2004-05 से 2013-14	राजस्थान	*14.79 प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी के राज्य	*14.88 प्रतिशत*
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2004-05 से 2013-14)	राजस्थान	*16.70 प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी के राज्य	*15.49 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि[#] (2004-05 से 2013-14)	राजस्थान	*16.09 प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी के राज्य	*12.94 प्रतिशत*

ब. वित्तीय आंकड़ें[$]

क्र.सं.	विवरण				
1	सीएजीआर		2004-05 से 2012-13		2004-05 से 2013-14
			सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	राजस्थान
			(प्रतिशत में)		
	(क)	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	18.03	17.24
	(ख)	स्व-कर राजस्व का	16.42	17.47	16.56
	(ग)	कर-भिन्न राजस्व का	12.49	24.18	22.72
	(घ)	कुल व्यय का	15.37	15.58	15.78
	(ड)	पूंजीगत व्यय का	17.01	15.02	16.37
	(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	16.00	16.23
	(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	16.98	17.29
	(ज)	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	14.04	14.36
	(झ)	पेंशन का	18.34	19.71	19.01

* प्रेस नोट जुलाई 2013 योजना आयोग बीपीएल 2011-12 तेन्दुलकर पद्धति द्वारा

** शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन सितम्बर 2014)

*** जन्म की जीवन प्रत्याशा (2010-11 के लिए आर्थिक सूचक जैसे कि आर्थिक समीक्षा 2012-13 में दर्शित)

**** गिनी-गुणांक (वर्ष 2009-10 के लिए योजना आयोग के आँकड़ें)

गिनी-गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के पास होने पर असमानता कम होती है, एक के पास होने पर असमानता अधिक होती है।

[#] भारतीय जनगणना के अनुसार प्राक्कलित कुल जनसंख्या 2001-2026

[$] *वित्तीय आंकड़ें राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित है।*

[@] आर्थिक समीक्षा 2013-14, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप (संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के निर्गम द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा दिये कर्जों की वापसी से प्राप्त समस्त राशि, से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वह विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा उस के बराबर की राशि को समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं है।

स्त्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब वित्त लेखे का प्रारूप (संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड I में सरकार के वित्तीय विवरण सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किये गये हैं जबकि विस्तृत वित्तीय विवरण खण्ड II में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	प्रारूप
खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, चार सारांशीकृत विवरण जैसाकि नीचे दिया गया है, एक परिशिष्ट तथा लेखांकन की नीतियां सम्मिलित करते हुए लेखों पर टिप्पणियां सम्मिलित है।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2013-14 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताऐं के संचयी आंकड़ें।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियाँ और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित है, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये ऋणों का पुनर्भुगतान कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
खण्ड II में तीन भाग समाविष्ट है। **भाग I** में छः विवरण है जैसाकि नीचे दिया गया है:	
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2013-14 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूंजीगत परिव्यय का सारीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताऐं और ऋण सेवा सम्मिलित है, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों इत्यादि का सारांश।
8	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
खण्ड II का भाग II: इस भाग में 9 विवरण है जिनमें संव्यवहारों का विवरण लघु शीर्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो खण्ड I तथा खण्ड II के भाग I में दिखाए गए विवरणों के अनुरूप होते है:	
11	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
12	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।
13	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये है।
14	वर्ष 2013-14 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
15	लघुशीर्षवार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
16	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2014 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
17	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्त्रोतों तथा अनुप्रयोग का ब्यौरेवार लेखा।
18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
19	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड II का भाग III: वित्त लेखे के भाग III में 10 परिशिष्टों में वेतन, अर्थसहाय्य, योजनावार एवं संस्थावार सहायतार्थ अनुदान के ब्यौरे, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य की आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के संबंध में योजनावार व्यय शामिल है।	

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें (संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 16)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**	**74,471**
(i) कर राजस्व	16,414(46)	20,758(45)	25,377(45)	30,503(46)	33,478(45)
कृषि आय पर कर	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10,163(62)	12,630(61)	15,767(62)	18,575(61)	21,216(63)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,300(14)	2,861(14)	3,287(13)	3,988(13)	4,982(15)
वाहनों पर कर	1,373(8)	1,612(8)	1,927(8)	2,283(7)	2,499(8)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	1,363(8)	1,941(9)	2,651(10)	3,335(11)	3,125(9)
भू-राजस्व	148(1)	222(1)	209(1)	304(1)	338(1)
माल तथा यात्री कर	176(1)	231(1)	220(1)	249(1)	288(1)
अन्य कर	891(6)	1,261(6)	1,316(5)	1,769(6)	1,030(3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,558(13)	6,294(14)	9,175(16)	12,133(18)	13,575(18)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	9,258(26)	12,856(28)	14,977(26)	17,103(25)	18,673(25)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	5,155(15)	6,020(13)	7,482(13)	7,174(11)	8,745(12)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**9**	**13**	**16**	**8**	**10**
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**112**	**319**	**1,229**	**1,102**	**316**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**35,506**	**46,260**	**58,256**	**68,023**	**74,797**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**8,797**	**7,977**	**5,918**	**9,955**	**14,491**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	8,539(97)	7,617(95)	5,581(94)	9,755(98)	14,232(98)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	258(3)	360(5)	337(6)	200 (2)	259(2)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**44,303**	**54,237**	**64,174**	**77,978**	**89,288**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**	**1,07,978**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**1,53,660**	**1,73,727**	**1,91,389**	**2,34,541**	**1,97,266**
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**	**75,510**
आयोजना	6,287(16)	8,752(20)	12,416(23)	14,235(22)	17,364(23)
आयोजना-भिन्न	33,845(84)	36,121(80)	41,238(77)	49,227(78)	58,146(77)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	15,647(39)	16,737(37)	18,709(35)	20,496(32)	23,340(31)
सामाजिक सेवाऐं	16,494(41)	17,895(40)	21,928(41)	25,293(40)	31,486(42)
आर्थिक सेवाऐं	7,972(20)	10,220(23)	12,744(24)	17,408(27)	20,435(27)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	19(-)	21(-)	273(-)	265(1)	249(-)
11. पूँजीगत व्यय	**5,175**	**5,251**	**7,119**	**10,683**	**13,664**
आयोजना	5,820	5,231(99)	7,103(99)	10,682(100)	13,676(100)
आयोजना-भिन्न	(-) 645	20(1)	16(1)	1	(-) 12
सामान्य सेवायें	(-)577	155(3)	204(3)	249(2)	334(3)
सामाजिक सेवाऐं	2,506	1,836(35)	1,997(28)	2,840(27)	4,551(33)
आर्थिक सेवाऐं	3,246	3,260(62)	4,918(69)	7,594(71)	8,779(64)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	**498**	**262**	**1,109**	**2,412**	**812**
13. योग (10+11+12)	**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**	**89,986**
14. लोक ऋणों की अदायगी	**2,945**	**3,317**	**3,490**	**4,707**	**4,115**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,545(86)	2,863(86)	3,022(87)	4,239(90)	3,624(88)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	400(14)	454(14)	468(13)	468(10)	491(12)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**48,750**	**53,703**	**65,372**	**81,264**	**94,101**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. लोक लेखा संवितरण	**1,07,714**	**1,16,298**	**1,22,320**	**1,50,175**	**1,05,605**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,56,464**	**1,70,001**	**1,87,692**	**2,31,439**	**1,99,706**
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 4,747**	**(+) 1,055**	**(+) 3,357**	**(+) 3,451**	**(-) 1,039**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 10,299**	**(-) 4,126**	**(-) 3,626**	**(-) 8,534**	**(-) 15,189**

[1] 2009-10 : ₹ 0.07 लाख, 2010-11 : ₹ 0.01 लाख, 2011-12 : ₹ 0.01 लाख , 2012-13 : ₹ 0.01 लाख एंव 2013-14: केवल ₹ 24

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
22. प्रारम्भिक घाटा (21+23)	(-) 3,530	(+) 3,243	(+) 4,266	(-) 194	(-) 6,126
भाग: घ अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6,769	7,369	7,892	8,340	9,063
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	8,044	10,216	12,337	16,218	18,763
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)[@]	2,65,825	3,38,348	4,03,422[♣]	4,59,215[⊗]	5,13,688[▽]
28. बकाया राजकोषीय देयताऐं (वर्ष के अन्त में)	91,533	99,285	1,06,560	1,17,809	1,29,910
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	39,069	50,692	60,711	75,546	85,911
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	63,621	88,112	97,566	1,13,340	1,40,526
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	144	152	160	166	219
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	6,271	7,142	7,993	8,659	8,393
भाग ड़: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.2	6.1	6.3	6.6	6.5
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.7	1.9	2.3	2.6	2.6
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	5.4	5.6	5.6	5.3	5.3
II. व्यय प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	17.2	14.9	15.3	16.7	17.5
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	129.4	109.7	108.5	114.4	120.8
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**87.6**	**89.1**	**86.7**	**82.9**	**83.9**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**36.0**	**35.5**	**35.4**	**33.0**	**35.0**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**17.4**	**20.3**	**20.6**	**22.7**	**22.7**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**11.3**	**10.4**	**11.5**	**14.0**	**15.2**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**12.6**	**10.1**	**11.2**	**13.6**	**14.8**
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.8	(+) 0.3	(+) 0.8	(+) 0.8	(-) 0.2
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 3.9	(-) 1.2	(-) 0.9	(-) 1.9	(-) 3.0
प्रारम्भिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.3	(+) 1.0	(+) 1.1	0.0	(-) 1.2
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	46.1	-	-	-	6.8
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताऐं/जीएसडीपी	**34.4**	**29.3**	**26.4**	**25.7**	**25.3**
राजकोषीय देयताऐं/राजस्व प्राप्तियाँ	**258.7**	**216.2**	**186.9**	**176.1**	**174.4**
प्रारम्भिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	**2,688**	**21,183**	**15,684**	**6,626**	**(-) 707**
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	**99.3**	**99.7**	**100.5**	**98.2**	**97.3**
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	**0.4**	**0.2**	**0.4**	**0.3**	**0.1**
चालू राजस्व शेष (₹ करोड़ में)	**(-) 1,900**	**5,503**	**11,192**	**13,187**	**11,131**
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताऐं	**0.67**	**0.71**	**0.76**	**0.81**	**0.82**

स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@. स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

[♣] प्रावधिक अनुमान

[⊗] त्वरित अनुमान

[▽] अग्रिम अनुमान

परिशिष्ट 1.4 वर्ष 2013-14 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ			**I. राजस्व व्यय**	**63,461.79**	**58,145.26**	**17,364.33**	**75,509.59**
कर राजस्व	30,502.65	33,477.70	**सामान्य सेवाऐं**	**20,495.80**	**22,998.09**	**341.13**	**23,339.22**
			सामाजिक सेवाऐं	**25,292.94**	**22,276.60**	**9,209.49**	**31,486.09**
कर-भिन्न राजस्व	12,133.59	13,575.25	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	12,952.48	12,072.33	3,235.33	15,307.66
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,677.82	2,685.23	1,729.17	4,414.40
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	17,102.85	18,673.07	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,200.91	3,491.61	828.42	4,320.03
			सूचना एवं प्रसारण	87.76	158.68	-	158.68
आयोजना-भिन्न अनुदान	2,674.62	3,550.42	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	809.65	126.91	928.93	1,055.84
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,315.74	2,993.21	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	344.44	289.73	21.10	310.83
			समाज कल्याण तथा पोषण	3,192.41	3,421.18	2,411.82	5,833.00
			अन्य	27.47	30.93	54.72	85.65
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,183.56	2,200.73	**आर्थिक सेवाऐं**	**17,408.02**	**12,870.38**	**7,565.21**	**20,435.59**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	3,050.52	1,346.04	2,176.37	3,522.41
			ग्रामीण विकास	4,780.33	1,621.43	3,368.99	4,990.42
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.69	-	0.95	0.95
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,568.19	1,590.34	81.86	1,672.20
			ऊर्जा	5,609.53	6,668.79	551.15	7,219.94
			उद्योग तथा खनिज	211.87	172.53	99.24	271.77
			परिवहन	1,320.83	1,098.06	512.21	1,610.27
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	30.62	5.75	13.27	19.02
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	835.44	367.44	761.17	1,128.61
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	**265.03**	**0.19**	**248.50**	**248.69**
योग	**66,913.01**	**74,470.38**	**योग**	**63,461.79**	**58,145.26**	**17,364.33**	**75,509.59**
II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत किया गया राजस्व घाटा	**-**	**1,039.21**	**II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**	**3,451.22**	**-**	**-**	**-**
योग	**66,913.01**	**75,509.59**	**योग**	**66,913.01**	**58,145.26**	**17,364.33**	**75,509.59**

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
III. प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	**9,785.11**	**12,886.72**	**III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से**	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8.12**	**10.27**	**IV. पूँजीगत परिव्यय**	**10,683.57**	**(-) 12.23[2]**	**13,676.89**	**13,664.66**
			सामान्य सेवाऐं	**249.56**	**(-) 24.24[2]**	**358.61**	**334.37**
			सामाजिक सेवाऐं	**2,840.10**	**11.16**	**4,540.16**	**4,551.32**
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	120.22	-	63.36	63.36
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	213.84	-	337.23	337.23
			जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,226.67	11.16	3,812.96	3,824.12
			सूचना एवं प्रसारण	1.66	-	2.82	2.82
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	232.92	-	225.62	225.62
			समाज कल्याण तथा पोषण	36.82	-	67.02	67.02
			अन्य	7.97	-	31.15	31.15
			आर्थिक सेवाऐं	**7,593.91**	**0.85**	**8,778.12**	**8,778.97**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	333.98	0.85	383.39	384.24
			ग्रामीण विकास	468.02	-	497.40	497.40
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	219.60	-	297.10	297.10
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	894.64	-	1,076.51	1,076.51
			ऊर्जा	3,868.00	-	3,953.01	3,953.01
			उद्योग तथा खनिज	82.56	-	122.83	122.83
			परिवहन	1,603.34	-	2,377.08	2,377.08
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.69	-	1.24	1.24
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	121.08	-	69.56	69.56
			योग	**10,683.57**			**13,664.66**
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,101.56**	**315.53**	**V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम**	**2,411.83**	147.22	663.99	**811.21**
विद्युत परियोजनाओं से	885.68	56.61	विद्युत परियोजनाओं के लिए	1,829.13	-	-	-
सरकारी कर्मचारियों से	0.32	0.20	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्य से	215.56	258.72	अन्य को	582.70	147.22	663.99	811.21
VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष	**3,451.22**	**-**	**VI अद्योनीत राजस्व घाटा**	-	-	-	**1,039.21**

[2] ऋणात्मक संख्या मुख्य शीर्ष '8235' के अन्तर्गत राजस्थान राज्य निवेश निधि से संबंधित राशि जमा करने के कारण है।

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**9,955.00**	**14,491.44**	**VII लोक ऋण की वापस अदायगी**	**4,706.72**	-	-	**4,115.62**
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	9,755.12	14,232.71	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	4,238.61	-	-	3,624.72
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	199.88	258.73	भारत सरकार को कर्जें तथा अग्रिम की वापिस अदायगी	468.11	-	-	490.90
VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-	-
IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	**IX आकस्मिक निधि से व्यय**	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,56,563.24**	**1,07,978.58**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**1,50,175.41**	-	-	**1,05,605.40**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	7,170.87	6,311.49	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	5,007.02	-	-	3,790.25
आरक्षित निधियाँ	1,567.72	2,232.99	आरक्षित निधियाँ	786.23	-	-	1,965.52
उचन्त तथा विविध	43.70	90.70	उचन्त तथा विविध	46.74	-	-	78.60
प्रेषण	7,033.16	9,907.40	प्रेषण	**7,003.81**	-	-	9,913.73
जमा तथा अग्रिम	1,40,747.79	89,436.00	जमा तथा अग्रिम	1,37,331.61	-	-	89,857.30
XI अन्तिम ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-	**IX अन्त में नकद शेष**	12,886.72	-	-	**10,446.44**
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 1.36	-	-	(-) 0.32
			रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 41.39	-	-	6.67
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	4.87	-	-	4.59
			रोकड़ शेष निवेश	12,127.82	-	-	8,997.56
			चिन्हित निवेश निधियाँ	796.78	-	-	1,437.94
योग	**1,80,864.25**	**1,35,682.54**	**योग**	**1,80,864.25**			**1,35,682.54**

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2014 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति (संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1 एवं 1.10.5; पृष्ठ 51 एवं 58)

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2014 को
आन्तरिक ऋण	**69,972.94**	**80,580.93**
बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्जें	44,208.80	51,383.98
बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्जें	0.24	0.19
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जें	46.56	41.03
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,766.53	20,021.97
अन्य संस्थाओं से कर्जें	4,950.81	9,133.76
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केन्द्र सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	**6,981.00**	**6,748.83**
1984-85 से पूर्व के कर्जें	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्जें	54.75	49.25
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	6,789.59	6,689.61
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	0.69	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	130.57	4.28
आकस्मिकता निधि	**200.00**	**200.00**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	**26,744.43**	**29,265.67**
जमा राशियाँ	**12,576.12**	**12,153.97**
आरक्षित निधियाँ	**2,331.20**	**2,598.67**
प्रेषण शेष	**8.53**	**2.20**
योग	**1,18,814.22**	**1,31,550.27**
सम्पत्तियाँ		
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	**79,228.78**	**92,883.17**[3]
कम्पनियों, निगमों इत्यादि की अंश पूँजी में निवेश	18,753.33	23,518.00
अन्य पूँजीगत परिव्यय	60,475.45	69,365.17
कर्जें और अग्रिम	**4,508.34**	**5,004.02**
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्जें	3,161.20	3,104.54
अन्य विकासात्मक कर्जें	1,348.22	1,900.76
सरकारी कर्मचारियों को कर्जें तथा विविध कर्जें	(-) 1.08	(-) 1.28[4]
आरक्षित निधि विनियोजन	**796.78**	**1,437.94**
अग्रिम	**3.74**	**2.89**
प्रेषण शेष	**-**	**-**
उचन्त तथा विविध शेष	**34.82**	**22.72**
रोकड़	**12,089.94**	**9,008.50**
खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 1.36	(-) 0.32
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 41.39	6.67
विभागीय रोकड़ शेष	1.05	1.07
स्थायी अग्रिम	3.82	3.52
रोकड़ शेष निवेश	12,127.82	8,997.56
सरकारी लेखे पर घाटा	**22,151.82**	**23,191.03**
(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	-	1,039.21
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारम्भ पर संचयी घाटा	25,603.04	22,151.82
कम करेः चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	3,451.22	-
कम करेः विविध घाटा	-	-
योग	**1,18,814.22**	**1,31,550.27**

[3] चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त में सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 10.27 करोड़ (पूँजीगत विनियोजन) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

[4] ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे, वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपचय आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओ में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किये जा चुके किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि, जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' अन्तर्गत लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़ों के मध्य ₹ 6.65 करोड़ (नामे) का अन्तर था। अंकमिलान और समायोजन के उपरान्त अगस्त 2014 तक अन्तर राशि ₹ 0.06 करोड़ (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6 वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े (संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 5)

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**77,221**	**74,471**	**(-) 2,750**	**(-) 3.56**
(अ) कर राजस्व	**34,053**	**33,478**	**(-) 575**	**(-) 1.69**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	21,050	21,216	166	0.79
राज्य उत्पाद शुल्क	4,500	4,982	482	10.71
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50	13	(-) 37	(-) 74.00
वाहन कर	2,500	2,499	(-) 1	(-) 0.04
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	3,900	3,125	(-) 775	(-) 19.87
माल तथा यात्री कर	300	288	(-) 12	(-) 4.00
भू-राजस्व	185	338	153	82.70
विद्युत कर तथा शुल्क	1,513	949	(-) 564	(-) 37.28
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	55	68	13	23.64
(ब) कर-भिन्न राजस्व	**12,655**	**13,575**	**920**	**7.27**
ब्याज प्राप्तियाँ	1,934	2,142	208	10.75
विविध सामान्य सेवाऐं	576	846	270	46.88
जलापूर्ति तथा सफाई	284	255	(-) 29	(-) 10.21
पैट्रोलियम	5,500	5,954	454	8.25
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,210	3,089	(-) 121	(-) 3.77
पुलिस	170	167	(-) 3	(-) 1.76
श्रम एवं रोजगार	207	263	56	27.05
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	61	66	5	8.20
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	90	147	57	63.33
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	36	39	3	8.33
वानिकी एवं वन्य जीव	66	78	12	18.18
मुख्य सिंचाई	75	70	(-) 5	(-) 6.67
लोक सेवा आयोग	11	71	60	545.45
लोक निर्माण कार्य	65	69	4	6.15
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	62	96	34	54.84
अन्य कर-भिन्न राजस्व	308	223	(-) 85	(-) 27.60
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**20,361**	**18,673**	**(-) 1,688**	**(-) 8.29**
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	**10,152**	**8,745**	**(-) 1,407**	**(-) 13.86**
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8**	**10**	**2**	**25.00**
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियां	**191**	**316**	**125**	**65.45**
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**77,420**	**74,797**	**(-) 2,623**	**(-) 3.39**
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	**76,195**	**75,510**	**(-) 685**	**(-) 0.90**
(क) सामान्य सेवाऐं	**23,139**	**23,340**	**201**	**0.87**
न्याय प्रशासन	526	536	10	1.90
निर्वाचन	102	200	98	96.08
भू-राजस्व	590	488	(-) 102	(-) 17.29
राज्य उत्पाद शुल्क	89	87	(-) 2	(-) 2.25
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	264	413	149	56.44
ब्याज अदायगियाँ	9,241	9,063	(-) 178	(-) 1.93
सचिवालय-सामान्य सेवायें	146	149	3	(-) 2.25
जिला प्रशासन	360	324	(-) 36	(-) 10.00
कोष तथा लेखा प्रशासन	154	166	12	7.79
पुलिस	2,922	3,058	136	4.65
जेल	104	109	5	4.81
लोक निर्माण कार्य	124	79	(-) 45	(-) 36.29
अन्य प्रशासनिक सेवायें	167	182	15	8.98
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,851	7,802	(-) 49	(-) 0.62
विविध सामान्य सेवायें	251	423	172	68.53
अन्य	248	261	13	5.24
(ख) सामाजिक सेवाऐं	**30,624**	**31,486**	**862**	**2.81**
सामान्य शिक्षा	15,917	15,019	(-) 898	(-) 5.64
तकनीकी शिक्षा	150	138	(-) 12	(-) 8.00
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	107	86	(-) 21	(-) 19.63

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,864	3,465	(-) 399	(-) 10.33
परिवार कल्याण	792	949	157	19.82
जलापूर्ति तथा सफाई	1,859	1,841	(-) 18	(-) 0.97
शहरी विकास	2,630	2,418	(-) 212	(-) 8.06
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,042	1,056	14	1.34
श्रम तथा रोजगार	319	311	(-) 8	(-) 2.51
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,423	3,825	2,402	168.80
पोषण	1,579	1,300	(-) 279	(-) 17.67
सूचना तथा प्रचार	43	159	116	269.77
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	708	708	0	0.00
अन्य	191	211	20	10.47
(ग) आर्थिक सेवाऐं	**22,056**	**20,435**	**(-) 1,621**	**(-) 7.35**
फसल कृषि-कर्म	1,632	1,520	(-) 112	(-) 6.86
पशुपालन	569	577	8	1.41
डेयरी विकास	1	146	145	14,500.00
वानकी एवं वन्य जीव	820	613	(-) 207	(-) 25.24
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	138	147	9	6.52
सहकारिता	357	451	94	26.33
ग्रामीण रोजगार	478	550	72	15.06
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,196	4,412	216	5.15
वृहद् सिंचाई	1,198	1,218	20	1.67
मध्यम सिंचाई	248	260	12	4.84
लघु सिंचाई	215	161	(-) 54	(-) 25.12
विद्युत	9,383	7,218	(-) 2,165	(-) 23.07
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	106	110	4	3.77
सड़कें तथा पुल	1,417	1,430	13	0.92
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	147	100	(-) 47	(-) 31.97
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	111	97	(-) 14	(-) 12.61
नागरिक आपूर्ति	496	891	395	79.64
अन्य	544	534	(-) 10	(-) 1.84
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	**376**	**249**	**(-) 127**	**(-) 33.78**
(6) पूँजीगत व्यय	**14,056**	**13,664**	**(-) 392**	**(-) 2.79**
पुलिस पर पूँजीगत व्यय	110	94	(-) 16	(-) 14.55
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	419	276	(-) 143	(-) 34.13
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	142	63	(-) 79	(-) 55.63
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	373	337	(-) 36	(-) 9.65
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	2,556	2,758	202	7.90
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	1,453	1,063	(-) 390	(-) 26.84
अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	304	226	(-) 78	(-) 25.66
फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	175	99	(-) 76	(-) 43.43
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	153	242	89	58.17
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	443	497	54	12.19
अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	325	297	(-) 28	(-) 8.62
वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	752	518	(-) 234	(-) 31.12
मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	100	101	1	1.00
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	453	350	(-) 103	(-) 22.74
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	183	99	(-) 84	(-) 45.90
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,873	3,953	80	2.07
सडकों तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय	1,894	2,227	333	17.58
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	25	150	125	500.00
अन्य पूँजीगत परिव्यय	323	314	(-) 9	(-) 2.79
(7) कर्जे तथा अग्रिमों का संवितरण	**189**	**812**	**623**	**329.63**
(8) कुल व्यय (5+6+7)	**90,440**	**89,986**	**(-) 454**	**(-) 0.50**
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	**(+) 1,026**	**(-) 1,039**	**(-) 2,065**	
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	**(-) 13,020**	**(-) 15,189**	**(-) 2,169**	
(11) प्रारम्भिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज भुगतान)	**(-) 3,779**	**(-) 6,126**	**(-) 2,347**	

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

परिशिष्ट 1.7 भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 15)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रः राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2012-13	2013-14
कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना (90:10)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	22.45	30.02
सूक्ष्म सिंचाई योजना पर राष्ट्रीय मिशन (80:20)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	110.00	80.00
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	41.58	62.55
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 प्रतिशत)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	126.41	126.35
राष्ट्रीय बांस मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	1.88	1.23
राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान राज्य चिकित्सीय पादप बोर्ड	6.14	7.07
पशुधन बीमा	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	1.00	-
कृषि सम्बन्धी आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन	महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	2.93	4.75
गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एंव वितरण हेतु सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा विकास	उपलब्ध नहीं	0.09	14.57
डेयरी विकास परियोजना	उपलब्ध नहीं	1.27	5.26
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	33.83	85.82
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	48.26	-
इन्दिरा आवास योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	181.92	468.87
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	12.73	22.37
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	2,585.34	2,059.43
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (100 प्रतिशत)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	178.00	167.50
समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तथा राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जयपुर	432.89	4.71
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 प्रतिशत)	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	151.90	427.06
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	1,406.08	1,248.13
केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	137.71	-
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (सीएसएस)	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	7.69	-
पंचायती अधिकारिता तथा उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	1.60	-
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	2.04	17.46
सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	1,535.20	2,424.89
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	उपलब्ध नहीं	1.85	45.60
पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (100 प्रतिशत)	खेलकूद परिषद	3.74	-
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	87.04	267.14
मॉडल स्कूल	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	-	10.26
तकनीकी शिक्षा एंव गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.23	3.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (85:15)	परियोजना निदेशक, एनआरएचएम	501.91	630.56
राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	राज्य अंधता नियंत्रण समिति	-	0.20
फ्लुरोसिस के रोकथाम एव नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	-	0.61
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एडस नियंत्रण समिति	15.83	21.68
चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	उपलब्ध नहीं	4.18	4.18
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान (आयुर्वेद) (100 प्रतिशत)	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	23.86	29.00
आयुष उद्योग का विकास	उपलब्ध नहीं	2.95	-
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	16.50	52.75
निरीक्षण कमेटी, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग	उपलब्ध नहीं	-	8.00

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रः राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2012-13	2013-14
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	उपलब्ध नहीं	-	2.50
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.65	1.13
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा प्रसार	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	5.33	5.82
पुलिस आधुनिकीकरण योजना	आरएसआरडीसीसी	-	58.06
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 'लड़कों तथा लड़कियों' के छात्रावासों का निर्माण	उपलब्ध नहीं	5.50	-
निःशक्त जन के लिए क्रय/फीटिंग हेतु सहायता	उपलब्ध नहीं	5.21	8.41
दीनदयाल पुर्नवास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.07	1.52
सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	0.93	1.47
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसंधान एंव प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायतार्थ अनुदान	उपलब्ध नहीं	0.98	1.27
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	4.14	2.81
प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण का संरक्षण	उपलब्ध नहीं	15.13	-
पर्यावरण सूचना, शिक्षा तथा जानकारी	उपलब्ध नहीं	2.59	2.60
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.06	1.21
नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ	उपलब्ध नहीं	0.03	1.11
जैव तकनीक का अनुसंधान एंव विकास विभाग	उपलब्ध नहीं	1.21	1.60
अनुसंधान एंव विकास सहयोग एसईआरसी	उपलब्ध नहीं	8.85	1.34
राज्य विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	1.86	1.70
प्रोद्यौगिकी विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	5.55	2.01
बाबा साहब अम्बेड़कर हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	0.55	0.06
समेकित ऊन सुधार एंव विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	13.51	14.50
समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिये योजना (एस आई टी पी)	उपलब्ध नहीं	6.98	8.61
तकनीक क्रमोन्नयन कोष योजना (टी यू एफ एस)	उपलब्ध नहीं	2.06	1.17
प्रोद्यौगिकी गुणवत्ता की सहायक संस्थान तथा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.18	10.89
हत्सशिल्प आधारभूत एंव तकनीकी विकास योजना	उपलब्ध नहीं	-	1.16
विपणन सहयोग एंव सेवाऐं तथा निर्यात संवर्द्धन योजना	उपलब्ध नहीं	0.90	1.37
ऊन तथा ऊनी सामाजिक सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	-	1.00
ढ़ांचागत विकास तथा क्षमता अभिवर्द्धन	उपलब्ध नहीं	3.08	1.77
आई एच एम एस, एफसी आई एस आदि को सहायता	उपलब्ध नहीं	-	3.69
सेवा प्रदाता हेतु केपेसिटी भवन	उपलब्ध नहीं	2.63	2.42
अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़	61.59	26.66
खाद्य प्रसंस्करण उ़द्योगों का आधुनिकीकरण	उपलब्ध नहीं	6.21	5.69
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना संस्थान	2.14	4.81
यूआईडी परियोजना	उपलब्ध नहीं	2.32	-
असंगठित कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	उपलब्ध नहीं	-	10.72
निश्चित गुणवत्ता, कोड़ेक्स, स्टेण्डर्ड, अनुसंधान एंव विकास तथा अन्य प्रोत्साहन क्रियाकलापों हेतु योजनाएं	उपलब्ध नहीं	0.82	1.58
कम साक्षर जिले में अनुसूचित जन जाति की लड़कियों हेतु शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	उपलब्ध नहीं	0.03	1.10
शहरी खेलकूद आधारभूत योजनाएं	उपलब्ध नहीं	2.57	1.80
इलेक्ट्रोनिक शासन	उपलब्ध नहीं	-	28.81
एक करोड़ से कम की योजनाएं	उपलब्ध नहीं	21.74	18.23
योग		**7,883.43**	**8,571.62**

स्त्रोतः वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट और बजट प्रलेख 2013-14 (खण्ड 4-ब)

परिशिष्ट 1.8 वर्ष 2013-14 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 43)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2014 तक पूँजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4= 6	7	6+7=8
	वृहद सिंचाई परियोजनाऐं						
1	भांखरा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	3,403.23	1126.63	4333.17	3206.54	317.51	3524.05
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	38,859.29	1,330.91	2,385.97	1,055.06	2,940.44	3,995.50
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	4,36,240.17	1,931.52	12,776.60	10,845.08	42,418.48	53,263.56
4	गुड़गांव नहर	3,979.29	2.38	195.07	192.69	367.54	560.23
5	जाखम परियोजना	11,377.61	21.25	272.10	250.85	1,124.03	1,374.88
6	गंग नहर	50,761.08	443.58	1,921.56	1,477.98	4,800.41	6,278.39
	मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं						
7	जवाई नदी परियोजना सेई डाईवर्जन स्कीम	709.57	22.16	108.54	86.38	69.74	156.12
8	मेजा परियोजना	4,306.14	2.34	196.90	194.56	417.57	612.13
9	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	6,514.81	10.98	453.10	442.12	644.06	1,086.18
10	गुढा परियोजना	163.49	0.01	99.82	99.81	16.33	116.14
11	मोरेल परियोजना	235.83	0.60	91.63	91.03	23.55	114.58
12	अलनिया परियोजना	195.97	2.11	159.16	157.05	19.51	176.56
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	4.05	20.94	16.89	6.70	23.59
14	बल्लभनगर परियोजना	86.37	-	27.61	27.61	8.64	36.25
15	बड़ागाँव पाल परियोजना	76.02	0.01	70.18	70.17	7.60	77.77
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.22	76.19	75.97	6.34	82.31
17	वैगन डाईवर्जन स्कीम	1,397.26	0.98	74.44	73.46	139.66	213.12
	योग	**5,58,436.58**	**4,899.73**	**23,262.98**	**18,363.25**	**53,328.11**	**71,691.36**

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9 विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूँजी	मुल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत[5]
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
जेल विनिर्माण, अजमेर	2012-13	3.07	3.19	0.15	3.03	(-) 15.24	0.83	(-) 14.41	(-) 156.63
जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.16	0.10	-	2.37	(-) 5.12	-	(-) 5.12	(+) 16.14
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2012-13	8.88	4.25	-	2.29	(-) 9.84	-	(-) 9.84	(+) 78.90
जेल विनिर्माण, जयपुर	2012-13	7.56	5.18	0.49	15.68	(-) 17.21	-	(-) 17.21	-
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2012-13	8.86	2.79	0.30	7.01	(-) 13.99	1.92	(-) 12.07	(-) 56.59
जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	1.49	1.37	0.05	0.05	(-) 1.74	-	(-) 1.74	-
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2012-13	9.97	2.51	0.28	6.36	(-) 15.11	3.65	(-) 11.46	(-) 28.24
वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2012-13	156.81	248.87	-	2,238.80	(+) 1,253.56	-	1,253.56	-
पत्ता तेन्दू योजना	2012-13	5,508.41	6.63	0.23	1,918.86	(+) 1,693.79	-	1,693.79	[6]
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2012-13	12,36,023.25	2,40,130.23	9,167.44	20,286.34	(-) 1,00,744.09	18,442.30	(-) 82,301.79	(-) 35.02
योग		**12,41,728.46**	**2,40,405.12**	**9,168.94**	**24,480.79**	**(-) 97,874.99**	**18,448.70**	**(-) 79,426.29**	

[5] वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

[6] सरकार का पूंजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थी।

परिशिष्ट 1.10 संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	संस्था/संगठन का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-14 के दौरान अग्रिम	2003-14 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2014 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-प्रत्यक्ष उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	-	2.26
5	6235-02-800 (01)	बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	-	6.34
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरण के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800(02)	राजस्थान चिकित्सा-स्नातकों की निजी रोजगार प्रोत्साहन समिति को उधार	0.17	-	-	0.17
11	6250-60-800(05)	वन श्रम सहकारी समितियों को उधार-मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से	0.42	-	-	0.42
12	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	123.22	-	1,710.75
13	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
14	6403-102 (02)	गहन पशु विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
15	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
16	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
17	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
18	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
19	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
20	6408-02-800(04)	यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
21	6425-107 (06)	राजस्थान राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष की स्थापना हेतु ब्याज ऋण देने हेतु उधार	315.00	75.00	-	390.00
22	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी प्रवर्तन कोष की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
23	6705-800(01)	मृदा-संरक्षण	9.47	-	-	9.47
24	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
25	6851-200(04)	बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त उधार	0.34	-	-	0.34
26	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
27	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
28	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
29	7475-103(05)	कॉलेज एवं विश्वविद्यालय सहकारी भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
		महायोग	**6,803.80**	**236.89**	**(-) 55.26**	**7,095.95**

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11 भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का जून 2014 तक पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा (संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 34)

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	*	*	*
12	ईंधन और चारा	*	*	*
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	*	*	*
14	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र और औषधालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एंव बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	*	*	*
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	*	*	*

स्त्रोत: *पंचायती राज विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं*

* हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए

परिशिष्ट 1.12 भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 35)

अ.	शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण हस्तांतरित कार्य
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	गन्दी बस्ती सुधार एंव उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एंव कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म - मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एंव सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एंव पुल
10.	जन स्वास्थ्य एंव ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेंवाऐं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एंव पर्यावरण पहलूओं का विकास
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एंव मानसिक विमन्दित लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एंव सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब.	**कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने है**
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एंव वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट: 1.13 (अ) आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2014)
(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.6: पृष्ठ 49)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
(अ)	**सड़क क्षेत्र**			
1	करौती ब्रिज, जिला पाली	बीओटी	2.95	25.02.1997
2	मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा-नीमच सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (किमी 40/0 से 50/0)	बीओटी	6.35	01.04.2000
3	केकड़ी-नसीराबाद सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (एसएच-26) किमी 0/0 से 25/0	बीओटी	4.00	10.02.1999
4	सिरोही-अनादरा-रेवदर-मन्दार सड़क का राज्य सीमा (किमी 197/0 से 214/0) ब्यावर पर किमी 0/0 तक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	7.29	01.04.2002
5	सिरोही-मन्डार-डीसा सड़क एसएच-27 का राज्य सीमा (किमी 214/0 से 268/400) तक सुधार	बीओटी	26.01	17.05.2003
6	जोधपुर-बालोतरा गुडा सड़क एसएच-289 पर लूणी नदी पर विद्यमान-काज वे पर आरसीसी ह्रयूम पाईप देकर सबमर्सिबल पुल का निर्माण	बीओटी	4.00	10.06.2003
7	हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क वाया पीलीबंगा (9 किमी 0/0 से 26/0) का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	10.24	26.03.2001
8	खेरवाड़ा-डूंगरपुर सड़क एसएच-10 (किमी 0/0 से 20/0) किमी 0/0 मलाई चौराहा से प्रारम्भ का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण द्वारा उन्नयन	बीओटी	3.69	18.02.2001
9	नाथद्वारा-मावली सड़क एमडीआर-36 (किमी 0/0 से 26/700 किमी) का सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एंव सुधार करना तथा संकरे एवं कमजोर कलवर्टस का पुन:निर्माण	बीओटी	4.50	06.03.2002
10	भरतपुर बाईपास	बीओटी	13.25	12.04.2000
11	उदयपुर बाईपास चरण-।। का निर्माण	बीओटी	23.99	28.03.1998
12	अलवर भिवाड़ी सड़क एसएच-25 किमी 146/0 से 225/0 का सुधार	बीओटी	18.62	09.06.2004
13	सीकर बाईपास	बीओटी	13.75	15.01.2000
14	बांसवाड़ा-उदयपुर सड़क एसएच-32 (किमी 91/500 से 165/0) का सुधार	बीओटी	11.50	05.02.2002
15	बांसवाड़ा-दाहोद सड़क (किमी 396/0 से 411/0 एसएच-4) का सुदृढ़ीकरण	बीओटी	2.65	04.11.2001
16	चल्ला-नीम का थाना-कोटपूतली सड़क एसएच-13 एवं एमडीआर-25 (किमी 60/800 से 125/0) को चौड़ा करना एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	20.36	29.04.2005
17	मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (किमी 0/0 से 40/0)	बीओटी	10.26	01.03.2002
18	मासी नदी पर एच एल पुल निर्माण (सांगानेर-मालपुरा- केकड़ी सड़क का किमी 48/200) एसएच-12	बीओटी	1.94	08.04.2002
19	मंगलाना-मकराना सड़क (किमी 400/0 से 415/0) और मकराना-बिदीयाद सड़क (किमी 0/0 से 6/0) का सुधार	बीओटी	6.54	21.04.2002
20	दांतीवाड़ा-पीपाड़ सिटी-मेड़तासिटी सड़क (किमी 0/0 से 26/500) को चौड़ा एंव सुधार करना	बीओटी	5.47	11.02.2002
21	बर-बीलाड़ा-जोधपुर सड़क एसएच-5 (किमी 90/0 से 105/0) पर 1.2 मीटर चौड़ी मिडियन स्ट्रिप के साथ चार लेन सड़क का निर्माण	बीओटी	8.93	24.07.2002
22	पाली बाईपास (ब्यावर-बर-पाली-सिरोही एनएच 14 किमी 106/0 से 112/0)	बीओटी	10.25	05.12.1998
23	जोधपुर-सुमेरपुर सड़क एनएच-65 किमी 0/0 से 11/500 (366/0 किमी पर 0) पर पाली बाईपास का निर्माण	बीओटी	30.00	04.05.2006
24	झालावाड़-इन्दौर सड़क एसएच-।ए पाटन से राज्य सीमा से 6.0 किमी दूर का सुधार (सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करना किमी 9/700 से 29/900)	बीओटी	7.15	16.05.2005
25	एसएच-32 उदयपुर-सलूम्बर-बांसवाड़ा सड़क (किमी 5/0 से 72/0) का उन्नयन (सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण)	बीओटी	13.57	02.06.2004

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
26	श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क एसएच-36 किमी 1/500 से 56/0 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	16.03	18.02.2005
27	एनएच-79 पर निम्बाहेड़ा बाईपास (अजमेर-भीलवाड़ा- चितौड़गढ़-निम्बाहेड़ा-रतलाम-इन्दौर सड़क) किमी 209/087 से 217/400 का निर्माण	बीओटी	31.48	18.05.2005
28	सीकर-झुन्झुनू-लौहारू सड़क एसएच-8 किमी 0/0 से 119/700 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	49.78	21.07.2004
29	केलवा-आमेट सड़क 0/0 से 18/0 का निर्माण	बीओटी	5.70	05.05.2006
30	नसीराबाद-केकड़ी-देवली सड़क एसएच-26 कि.मी. 25/0 से 56/500 को चौड़ा, सुदृढ़ीकरण एंव सुधार करना	बीओटी	21.40	15.12.2006
31	दिल्ली-रामगढ़-अलवर सड़क (एसएच-13) किमी 125/400 से 160/300 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	25.28	19.04.2008
32	मखुपुरा (सांचोर) से गुजरात राज्य सीमा वाया पीर की जल एमडीआर-108 किमी 0/0 से 12/0 सड़क का सुदृढ़ीकरण	बीओटी	11.61	18.02.2012
33	विद्यमान बीकानेर बाईपास सड़क किमी 0/0 से 28/0 का सुदृढ़ीकरण एवं राइडिंग गुणवत्ता का सुधार	बीओटी	12.02	09.05.2008
34	कामां-नंदगाँव-कोसी सड़क 56/200 से 64/200 एवं कामां बाईपास (एसएच-44) कामां जुरहरा पुनहाना सड़क (एमडीआर-72) किमी 0/0 से 20/0 एवं कामां पहाड़ी सड़क (ओडीआर-16) किमी 0/0 से 22/0 को चौड़ा करना एवं सुधारना	बीओटी	35.66	05.08.2009
35	नसीराबाद से मांगलियावास सड़क किमी 0/0 से 24/200 (एमडीआर-39) को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	21.52	02.04.2009
36	सिरोही रेवदर-मंदार-डीसा सड़क (गुजरात सीमा तक) एसएच-27 किमी 197/0 से 268/400 का सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एवं राइडिंग गुणवत्ता का सुधार	बीओटी	133.79	30.04.2010
37	फलौदी से रामजी की गोल सड़क	बीओटी	386.30	28.12.2007
38	हनुमानगढ़ से किशनगढ़ सड़क	बीओटी	627.20	28.02.2008
39	अलवर से सिकन्दरा सड़क	बीओटी	128.10	31.08.2008
40	बारां से झालावाड़ सड़क	बीओटी	111.70	15.04.2008
41	लालसोट से कोटा सड़क	बीओटी	303.70	15.12.2008
42	हनुमानगढ़ से संगरिया सड़क (हरियाणा सीमा तक)	बीओटी	51.40	01.11.2011
43	अर्जुनसर से पल्लू (पीएस) सड़क	बीओटी	83.93	18.02.2012
44	भिवाड़ी-अलवर (4 लेन सड़क)	बीओटी	330.11	21.01.2012
45	झालावाड़ से झालावाड़ सड़क, लम्बाई =31 किमी, ओडीआर का किमी 0/0 से 9/0, एसएच 19 ए का किमी 0/0 से 20/0, 2 किमी शहरी क्षेत्र	बीओटी	79.73	31.08.2012
46	चिड़ावा-सिंघाना-पाचेरी सड़क हरियाणा सीमा तक लम्बाई 44.80 किमी	बीओटी	44.55	09.11.2012
47	लक्ष्मणगढ़-सालासर सड़क, लम्बाई 0/19.500 किमी 0/0 से 19/500 (एमडीआर-02)	बीओटी	13.96	07.08.2012
48	श्रीगंगानगर-पदमपुर-रायसिंहनगर-अनूपगढ़ सड़क, लम्बाई 36/900 किमी सीएच. (एसएच-03) किमी 2/0 से किमी 38/900	बीओटी	17.57	31.08.2012
49	खण्डेला-श्रीमाधोपुर-रीगंस-खाटूश्यामजी सड़क, लम्बाई 50.925 किमी	बीओटी	43.26	27.03.2013
50	कोटा-झारेल के बालाजी वाया ताथेर-सुल्तानपुर गणेशगंज ईटावा सड़क लम्बाई = 43.200 किमी किमी 14/800 से किमी 58/00 (एसएच-70)	बीओटी	64.56	20.04.2013
51	सलूम्बर-बांसवाड़ा सड़क, लम्बाई =93 किमी सी.एच.(एसएच-32) किमी 72/0 से 165/0 (93.00 किमी)	बीओटी	68.14	17.05.2013
52	खुशखेड़ा से कासोला चौक सड़क, लम्बाई = 8.5 किमी 0/0 (एमडीआर-61ए का किमी 57/500) से 8/500 (एमडी-61 का किमी 33/00)	बीओटी	34.50	01.07.2013
53	झुन्झुनू-उदयपुरवाटी-खण्डेला सड़क, लम्बाई =71.250 किमी सी.एच. 83/450 से 158/03.300 किमी, कोटपूतली-कुचामन की आरएसआरडीसीसी परियोजना के साथ आच्छादन	बीओटी	86.22	जुलाई 2013
54	झालावाड़ से उज्जैन सड़क (राजस्थान सीमा तक), लम्बाई=31 किमी एसएच-1 ए का किमी 0/0 से 28.800+2 किमी पुराने एनएच बाईपास का शहरी भाग	बीओटी	75.88	15.12.2013
55	रोहत-जालौर सड़क, कुल लम्बाई =100 किमी सी.एच. 0/0 से 82/0 (एसएच-64) 165/500 से 183/500 (एसएच-16)	बीओटी	56.88	दिसम्बर 2013

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
56	जालौर-रामसीन-रेवदर सड़क, कुल लम्बाई = 77.80 किमी सी.एच. 0/0 से 76/500 1.30 किमी बाईपास	बीओटी	51.75	30.08.2013
57	घाट की गुनी सुरंग परियोजना, जयपुर, सड़क की कुल लम्बाई=2800 मीटर (4 लेनो में विभाजित ले जाने वाला रास्ता) प्रत्येक की लगभग 870 मीटर लम्बाई सहित दोहरी सुरंग। दोनों सुरंगें लगभग 275 मीटर के अंतराल पर दो स्थानों पर परस्पर जुडी हुई है।	डीबीएफओटी	150.00	19.01.2013
	उप योग (अ)		**3,440.97**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**			
1	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, झालावाड़, बांरा	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
2	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, कोटा, बूंदी	डीबीओओटी	0.70	28.08.2010
3	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जयपुर शहर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
4	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर (आंशिक), परबतसर, मकराना, मेड़तासिटी	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
5	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जोधपुर, पाली	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
6	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
7	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, बीकानेर, नागौर, लॉडनूं	डीबीओओटी	0.70	09.07.2005
8	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली	डीबीओओटी	0.70	24.09.2005
9	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, अलवर, भरतपुर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
10	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जयपुर (अतिरिक्त), दौसा, नागौर (आंशिक), नावां, कुचामन	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
11	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, सीकर, चूरू, झुन्झुनू, नागौर (आंशिक), डीडवाना, मुण्डवां, कुचेरा	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
12	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, उदयपुर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
13	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, उदयपुर शहर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
14	सीवरेज वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 10 एमएलडी एसटीपी, भीलवाड़ा	डीबीओओटी	20.00	15.09.2012
15	रोप-वे दीन दयाल पार्क से करणी माता मन्दिर, उदयपुर	बीओटी	3.00	07.06.2008
16	गाँव लांगरियावास, जयपुर में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र	डीबीओओटी	20.00	अप्रैल, 2007
17	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 20 एमएलडी एसटीपी, उदयपुर	डीबीओओटी	20.00	31.03.2014
18	कलेक्ट्रेट सर्किल, जयपुर पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण	बीओटी	2.50	अगस्त, 2006
19	सेवापुरा, जयपुर में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र डब्ल्यू एस एम प्रसंस्करण प्लान्ट	डीबीओओटी	8.94	अक्टूबर, 2013
20	गाँव दहलावास, जयपुर में बॉयो गैस हेतु बॉटलिंग प्लान्ट	डीबीओओटी	12.00	दिसम्बर, 2013
21	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार पर लगभग 610 सार्वजनिक शौचालय जिन्हे सुलभ काम्पलेक्स के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	ओ एण्ड एम	40.53	1995 से मार्च, 2013
	उप योग (ब)		**136.07**	
(स)	**जल क्षेत्र**			
1	डीसैलिनेसन संयंत्र, कसनऊ - मातासुख (नागौर)	डीबीओओटी	46.00	30.09.2010
	उप योग (स)		**46.00**	
(द)	**सामाजिक क्षेत्र**			
1	श्री देवी महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़	बीओटी	5.49	09.03.2010
2	वीना तकनीकी शिक्षा इंस्टीटयूट, करौली (महिला पोलीटेक्निक)	बीओटी	5.49	दिसम्बर, 2011
3	मन्त्रम महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, डूंगरपुर	बीओटी	5.49	दिसम्बर, 2011
4	विकास पोलीटेक्निक महाविद्यालय, मादेरा, डीग भरतपुर सड़क, डीग (भरतपुर)	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
5	सरस्वती पोलीटेक्निक महाविद्यालय, गाँव तिहारा (खेतड़ी) जिला झुन्झुनू	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
6	सुगन तकनीकी एवं अभियांत्रिकी इंस्टीटयूट, पोखरन, फलौदी, जोधपुर	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
7	राजस्थान पोलीटेक्निक महाविद्यालय, रतनगढ़, चूरू	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
8	सत्यम प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, ब्यावर, अजमेर	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
9	राजस्थान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, अचोरा, चित्तौडगढ़	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
10	डूंगरपुर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गाँव बोरी, डूंगरपुर	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
11	चार्टर्ड प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, गाँव दनवाव, आबूरोड़, सिरोही	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
12	टैगोर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गाँव पनवारी, कुचामनसिटी, नागौर	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
13	एशियन्स प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, गाँव भूनजा वाया कौथून तहसील निवाई, टोंक	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
14	श्री दिगम्बर प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, मित्रपुरा, दौसा	बीओटी	16.40	मार्च, 2011

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
15	वेदांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, गाँव तुलसी, बूंदी	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
16	क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धामोतर, प्रतापगढ़	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
17	सवाईमाधोपुर अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	बीओटी	16.40	2011-12
18	स्वास्थ्य कल्याण महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, टोंक	बीओटी	5.49	फरवरी, 2013
19	बानसूर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति बानसूर, जिला-अलवर	बीओटी	2.51	अगस्त, 2007
20	मदर टेरेसा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति नदबई जिला- भरतपुर	बीओटी	0.37	अगस्त, 2008
21	रघुकूल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-बस्सी, जिला-जयपुर	बीओटी	3.90	अगस्त, 2007
22	पालरीवाला व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर	बीओटी	6.40	अगस्त, 2008
23	लक्ष्मण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-बोली, जिला-सवाईमाधोपुर	बीओटी	3.92	अगस्त, 2007
24	नादौती निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-नादौती, जिला-करौली	बीओटी	1.90	अगस्त, 2007
25	एसएमएस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-डग, जिला-झालावाड़	बीओटी	0.37	फरवरी, 2010
26	एमआरसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-मालपुरा, जिला-टोंक	बीओटी	1.27	अगस्त, 2007
27	मरूधर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-जायल, जिला-नागौर	बीओटी	1.27	अगस्त, 2009
28	श्री बालाजी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-सरदारशहर, जिला-चूरू	बीओटी	5.08	फरवरी, 2010
29	महाराजा सूरजमल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-डीग, जिला-भरतपुर	बीओटी	1.65	अगस्त, 2010
30	आदर्श निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-औसिया, जिला-जोधपुर	बीओटी	0.36	फरवरी, 2011
31	रितुराज निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-परबतसर, जिला-नागौर	बीओटी	0.89	अगस्त, 2012
32	एसआरएस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़	बीओटी	1.11	अगस्त, 2013
33	श्री हीरालाल योगी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-सायला, जिला-जालौर	बीओटी	1.55	अगस्त, 2013
34	आपातकालीन रेसपोन्स सेवा-108 एम्बूलेंस परियोजना	ओ एण्ड एम	77.15	01.07.2010
35	राजस्थान में राजीव गाँधी चल चिकित्सा सेवाऐं	ओ एण्ड एम	72.82	अक्टूबर, 2011
36	टोल फ्री 104 चिकित्सा सलाह सेवा	ओ एण्ड एम	1.45	21.09.2011
37	एसएमएस अस्पताल, जयपुर के बीएमआरसी विंग/इमरजेंसी विंग में 2 नग 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें एवं 2 नग टेस्ला एमआरआई मशीनों की स्थापना एवं संचालन	बीओओएम	30.00	27.06.2012
38	एसएमएस अस्पताल, जयपुर में लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना तथा संचालन	बीओओएम	16.00	02.06.2009
39	जयपुर में मानस आरोग्य सदन हार्ट एवं बहु विशेषता केयर अस्पताल एवं अनुंसधान संस्थान	आरओएमटी	56.00	30.11.2012
	उप योग (द)		**502.03**	
(य)	**विद्युत क्षेत्र**			
1	लिग्नाइट आधारित विद्युत प्लांट भादरेश (बाड़मेर)	बीओओएम	5,000.00	16.03.2013
	उप योग (य)		**5,000.00**	
(र)	**अन्य क्षेत्र**			
1	मण्डी यार्ड, सीकर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	2.38	15.02.2012
2	मंडोर मण्डी, जोधपुर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (6000 एमटी)	ओ एण्ड एम	4.90	25.02.2012
3	मण्डी यार्ड, उदयपुर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	2.54	12.09.2012
4	मण्डी यार्ड, अलवर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (4000 एमटी)	ओ एण्ड एम	3.85	30.04.2013
5	मण्डी यार्ड, भीलवाडा पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	2.28	30.04.2013
6	मण्डी यार्ड, सुमेरपुर, जिला पाली पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (1000 एमटी)	ओ एण्ड एम	1.28	31.07.2013

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
7	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही के लिये चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
8	कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड़, टोंक के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
9	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
10	हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
11	कोटा, बांरा, बूंदी, करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
12	बीकानेर, नागौर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
13	जयपुर, पाली, अजमेर, मेड़ता, जालौर, बाड़मेर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
14	झालावाड़, बांरा के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	फरवरी, 2011
15	श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	सितम्बर, 2010
16	अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	सितम्बर, 2010
17	पाली, नागौर के भागों के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	जून, 2012
18	चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जनजाति क्षेत्रीय विकास क्षेत्र	ओ एण्ड एम	0.28	जुलाई, 2012
19	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, दूनी (टोंक)	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2011
20	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, लक्ष्मणगढ़, सीकर	ओ एण्ड एम	0.30	दिसम्बर, 2012
21	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, संड़ावा, सुजानगढ़, चुरू	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
22	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
23	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, लाडनूं, नागौर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
24	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, प्रतापगढ़	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
25	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, केकड़ी अजमेर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
26	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीमाधोपुर, सीकर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
27	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, हिण्डौन, करौली	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
28	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जैतारण, पाली	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
29	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कुचामन सिटी, नागौर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
30	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, साँचौर	ओ एण्ड एम	0.30	सितम्बर, 2013
31	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, साँगोद, कोटा	ओ एण्ड एम	0.30	मई, 2013
32	अकबर किला, अजमेर पर लाईट एण्ड साउण्ड शो की स्थापना तथा संचालन	बीओओटी	1.42	17.07.2011
33	जन्तर-मन्तर, जयपुर पर लाईट एण्ड साउण्ड शो की स्थापना तथा संचालन	बीओओटी	1.74	29.09.2012
34	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन (विभिन्न जिलों के 63 कलस्टर)	बीओओएम	83.80	2012-13 एवं 2013-14
	उप योग (र)		**111.45**	
	महा योग		**9,236.52**	

स्त्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट: 1.13 (ब) आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2014)- निष्पादनाधीन परियोजनायें (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.6: पृष्ठ 49)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
(अ)	**सड़क क्षेत्र**				
1	जयपुर से भीलवाड़ा सड़क (एसएच-12) लम्बाई =0/0 से 212/0	डीबीएफओटी	16.03.2010	220.00	जून 2014
2	चौमू से महला सड़क वाया रेनवाल, जोबनेर (एसएच-19 व 2सी), लम्बाई = 89 किमी	डीबीएफओटी	22.02.2011	134.20	जून 2014
3	बीकानेर - सूरतगढ़ सड़क (एनएच-15), लम्बाई =172.380 किमी	डीबीएफओटी	09.01.2012	501.08	नवम्बर 2014
4	चित्तौड़गढ़-नीमच सड़क, (एम पी सीमा) एवं निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़, (एनएच-79 एवं 113) लम्बाई=117 किमी	डीबीएफओटी	29.03.2012	511.21	जून 2015
5	सूरतगढ़-श्रीगंगानगर सड़क (एनएच-15), लम्बाई = 78.01 किमी	डीबीएफओटी	23.03.2012	224.03	जनवरी 2015
6	अजमेर-नागौर सड़क (एनएच-89), लम्बाई =148.25 किमी	डीबीएफओटी	23.03.2012	377.15	फरवरी 2015
7	सीकर-बीकानेर (एनएच-11), लम्बाई 237. 58 किमी	डीबीएफओटी	31.03.2012	650.84	फरवरी 2015
8	मथुरा (राज्य सीमा)-भरतपुर-भादौती सड़क, लम्बाई =185.50 किमी 282/0 से 388/0, (एसएच-01 ए)= 106 किमी+6.5 किमी गंगापुर का बाईपास किमी 8/0 से किमी 58/0 (एसएच-01) =50 किमी + 23 किमी मथुरा बाईपास	बीओटी	10.08.2012	421.00	जून 2014
9	रावतसर-नोहर-भादरा राज्य सीमा सड़क तक लम्बाई =118 किमी, किमी 0/0 से 118/0	बीओटी	01.07.2012	224.20	जून 2014
10	जोधपुर-पाली सड़क (एनएच-65), लम्बाई = 71.55 किमी	डीबीएफओटी	11.02.2013	332.70	फरवरी 2015
11	नागौर-बीकानेर सड़क (एनएच-89) लम्बाई=108.26 किमी	डीबीएफओटी	30.10.2012	378.07	दिसम्बर 2014
12	पाटन-डाबला-बिहारीपुर-गनवाली-निजामपुर सड़क किमी 0/0 से 21/593	बीओटी	2013-14	39.03	जून 2014
13	जयपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड़	डीबीएफओटी	16.05.2011	890.00	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक जो कि अभी तक निश्चित नहीं हुई है से 21 माह
	उप योग (अ)			**4,903.51**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**				
1	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जयपुर	डीबीओओटी	18.06.2012	60.00	2013-14
2	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जोधपुर	डीबीओओटी	13.06.2012	40.00	2013-14
3	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, अजमेर, किशनगढ़ एवं पुष्कर	डीबीओओटी	दिसम्बर 2012	40.00	2013-14
4	अशोक मार्ग नाला, सी-स्कीम, जयपुर में बहुउद्देशीय पार्किंग परियोजना का विकास	डीबीओओटी	2010	90.00	दिसम्बर 2014

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
5	जल महल पर्यटन परियोजना, जयपुर	बीओओटी	30.09.2004	200.00	2013-14
6	तिजारा किला, अलवर का पुनर्रुद्धार और संरक्षण	बीओओटी	15.04.2008	25.00	2011-12
7	प्रदर्शनी स्थल सह सभागार सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	बीओटी	13.02.2012	216.65	अगस्त 2014
8	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, मुकुन्दपुरा भांकरोटा के पास, जयपुर	मॉडल संख्या 2 (निजी विकासकर्ता स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि पर)	15.02.2011	17.90	31.03.2014
9	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम रामला का वास तहसील कालवाड़ जयपुर	मॉडल संख्या 2	28.02.2011	19.36	31.03.2014
10	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,, ग्राम महापुरा सेज, जयपुर	मॉडल संख्या 2	28.02.2011	31.95	27.08.2014
11	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, पिंक पर्ल के पास अजमेर रोड. जयपुर	मॉडल संख्या 2	10.01.2011	14.30	30.04.2014
12	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, बगरू खुर्द, ठीकरिया, अजमेर हाइवे, जयपुर	मॉडल संख्या 2	28.02.2011	13.54	30.04.2014
13	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम बगरू खुर्द ओमेक्स सिटी अजमेर रोड़ जयपुर	मॉडल संख्या 2	15.02.2011	25.38	14.09.2014
14	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,, ग्राम श्यामपुर बुहारिया वाटिका रोड़, सांगानेर जयपुर	मॉडल संख्या 2	14.06.2011	39.17	13.12.2014
15	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,, ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जयपुर	मॉडल संख्या 2	15.03.2011	36.37	14.09.2014
16	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, चाकसू जयपुर	मॉडल संख्या 2	17.01.2011	59.76	16.07.2014
17	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,, ग्राम वीरानवास तहसील कोटकासिम, भिवाड़ी, जिला अलवर	मॉडल संख्या 2	07.02.2011	13.75	30.09.2014
18	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,, ग्राम वीरानवास तहसील कोटकासिम, भिवाड़ी, जिला अलवर	मॉडल संख्या 2	01.02.2011	13.54	30.09.2014
19	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, पनवाड़ी सरगोद, त्रिसिंगिया, कुचामन सिटी, नागौर	मॉडल संख्या 2	20.06.2011	28.22	19.12.2014
20	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट,अजमेर-ब्यावर रोड़ एनएच-8, तबीजी रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर	मॉडल संख्या 2	20.09.2011	20.24	19.03.2015
21	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम जिरोता खुर्द, श्याम सरोवर के पास एनएच-11 पर जिला दौसा	मॉडल संख्या 2	19.05.2011	14.66	30.09.2014
22	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, बालोतरा, बाड़मेर	मॉडल संख्या 2	10.09.2012	14.14	09.09.2014
23	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, चूरू	मॉडल संख्या 2	16.05.2013	12.69	15.05.2015
24	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, झुन्झुनू	मॉडल संख्या 2	16.05.2013	52.09	15.05.2016
25	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम बहला, तहसील रामगढ़, अलवर	मॉडल संख्या 2	16.05.2013	20.70	15.05.2016
26	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम मौजा खारिया, कुचामन	मॉडल संख्या 2	16.05.2013	16.02	15.05.2015
27	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, ग्राम भम्भौरी, कालवाड रोड, जयपुर	मॉडल संख्या 2	15.10.2013	9.68	14.10.2015
28	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, सरदारशहर	मॉडल संख्या 2	15.10.2013	12.69	14.10.2015
29	अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट, पिण्डवाडा, सिरोही	मॉडल संख्या 2	13.10.2013	22.33	12.10.2016

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
30	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार पर लगभग 85 सार्वजनिक शौचालय जिन्हे सुलभ कॉम्पलेक्स के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	ओ एण्ड एम	-	11.06	2014-15
	उप योग (ब)			**1,191.19**	
(स)	**सामाजिक क्षेत्र**				
1	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, धौलपुर	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
2	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
3	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, करौली	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
4	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बांरा	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
5	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, चूरू	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
6	राजस्थान अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसलमेर	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
7	स्वामी विवेकानन्द अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जालौर	बीओटी	2011-12	16.40	31.07.2015
8	श्री जवाहर महिला पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, दौसा	बीओटी	2007-08	5.49	-
9	विवेकानन्द प्रौद्योगिकी संस्थान, भीलवाड़ा (महिला पोलीटेक्नीक)	बीओटी	2007-08	5.49	-
10	महिलाओं के लिए भादरिया माहेश्वरी पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, जालौर	बीओटी	2007-08	5.49	-
11	राजस्थान अभियान्त्रिकी और क्राफ्ट संस्थान, धौलपुर (महिला पोलीटेक्नीक)	बीओटी	2007-08	5.49	-
12	राजस्थान गर्ल्स पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, बांरा	बीओटी	2007-08	5.49	-
13	चन्द्रावती गर्ल्स पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, जैसलमेर	बीओटी	2007-08	5.49	विचाराधीन
14	स्वास्थ्य कल्याण पोलिटेक्नीक महाविद्यालय, चाकसू	बीओटी	-	9.30	विचाराधीन
15	बासो देवी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-रामगढ़, जिला-अलवर	बीओटी	06.03.2007	2.38	अगस्त 2014
16	चौधरी एम.एस. स्मृति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-तारानगर, जिला- चूरू	बीओटी	06.03.2007	1.40	05.09.2009
17	मीनेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-बामनवास, जिला- सवाईमाधोपुर	बीओटी	27.08.2007	1.19	अगस्त 2015
18	रणथम्भौर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-खमनौर, जिला-राजसमन्द	बीओटी	24.03.2007	0.70	अगस्त 2014
19	महाराणा प्रताप निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-भूपाल सागर, जिला- चित्तौड़गढ़	बीओटी	12.06.2007	0.66	अगस्त 2015
20	एच. आर. स्मृति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-लूनकरणसर, जिला- बीकानेर	बीओटी	04.06.2007	1.00	03.09.2009
21	जे. आर. स्मृति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-झाड़ौल, जिला-उदयपुर	बीओटी	31.03.2010	1.06	30.09.2011
22	राजस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-मसूदा, जिला- अजमेर	बीओटी	28.03.2013	1.00	27.09.2014
23	एच.के. हाईटैक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-सुमेरपुर, जिला-पाली	बीओटी	21.06.2012	2.25	20.12.2014

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
24	मूल्य अध्ययन का केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायत समिति-गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़	बीओटी	26.07.2013	1.50	25.01.2015
25	बालिका महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर	बीओटी	2013-14	4.00	2015-16
26	बालिका महाविद्यालय, प्रतापगढ़	बीओटी	2013-14	2.74	2015-16
	उप योग (स)			**176.92**	
(द)	**विद्युत क्षेत्र**				
1	डीडवाना में 400/220 केवी जीएसएस सहित 400 केवी एस/सी बीकानेर-डीडवाना -अजमेर लाईन जिसमे 220 केवी डी/सी सुजानगढ़-डीडवाना लाईन लागत ₹ 18.49 करोड़ शामिल है	बीओओएम	15.02.2011 से टीएसए डिस्कॉम के साथ	285.00	2014-15
2	अलवर में 400/220 केवी जीएसएस सहित 400 केवी एस/सी हिण्डौन-अलवर लाईन	बीओओएम	19.01.2011	188.32	मई 2014
3	नवलगढ़ में 220/132 केवी जीएसएस सहित 220 केवी एस/सी सीकर-नवलगढ़-झुंझुनू लाईन	बीओओएम	25.02.2013	36.28	2015-16
4	जयपुर (उत्तर) पर 400/220 केवी जीएसएस के साथ 400 केवी डी/सी बबाई-जयपुर (उत्तर) (दोहरा मूस) लाईन	बीओओएम	2013-14	221.80	2016-17
5	उदयपुर पर 400/220 केवी जीएसएस के साथ 400 केवी डी/सी जोधपुर (नवीन) उदयपुर (दोहरा मूस) लाईन	बीओओएम	2013-14	379.53	2016-17
	उप योग (द)			**1,110.93**	
(य)	**सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र**				
1	राजस्थान राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान)-परियोजना	बीओओटी	15.04.2011	293.86	15.04.2017
2	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	बीओओटी	मई, 2009	54.01	मार्च, 2017
	उप योग (य)			**347.87**	
(र)	**अन्य क्षेत्र**				
1	राजस्थान के गामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन (विभिन्न जिलों के 65 कलस्टर)	बीओओएम	2012-13 एंव 2013-14	65.44	2014-15
2	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, गुढ़ामालानी, बाड़मेर	ओ एण्ड एम	अप्रैल, 2013	0.30	2014-15
3	भवानी मंडी में 4000 एमटी मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज	ओ एण्ड एम	13.02.2014	5.20	22.05.2015
4	फलों तथा सब्जियों पर मोम लगाना संतरा मंडी केयूएमएस भवानी मंडी, झालावाड़	ओ एण्ड एम	13.02.2014	0.40	22.10.2014
5	लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट छीपाबडोद में केयूएमएस, छबडा	ओ एण्ड एम	13.02.2014	0.40	22.10.2014
	उप योग (र)			**71.74**	
	महा योग			**7,802.16**	

स्त्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.13 (स) आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2014)–आयोजनाधीन/प्रक्रियाधीन परियोजनायें (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.6: पृष्ठ 49)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अॅवार्ड का सम्भावित माह
(अ)	सड़क क्षेत्र		
1	नागौर-जोधपुर (एनएच-65) लम्बाई= 134.64 किमी	411.18	2013-14
2	कापरेन से मंगरोल लम्बाई= 58 किमी	121.69	2013-14
3	गंगानगर- रायसिंहनगर - बीकानेर	227.00	2014-15
4	डूंगरगढ़ - सरदारशहर- राजगढ़	159.00	2014-15
5	हनुमानगढ़ - अबोहर (पंजाब सीमा तक)	43.00	2014-15
6	सादुलशहर - श्रीगंगानगर	85.00	2014-15
7	खेड़ाली - पहाड़ी हरियाणा सीमा तक	58.00	2014-15
8	नाटाणी का बाड़ा - लक्ष्मणगढ़ - कठूमर	60.00	2014-15
9	खेरली - नदबई यू. पी. सीमा तक	50.00	2014-15
10	ड़ीग - कॉमा यू. पी. सीमा तक	30.00	2014-15
11	नीम का थाना - खेतडी	63.00	2014-15
12	अजीतगढ़ - चाला	32.00	2014-15
13	खूड - दाँतारामगढ़ - रेनवाल	50.00	2014-15
14	चौमू - चन्दवाजी	20.00	2014-15
15	किशनगढ़ - अराईन - मालपुरा	70.00	2014-15
16	दूदू - मालपुरा - टोडारायसिंह (छान तक)	104.00	2014-15
17	दरा - खानपुर - अकलेरा	89.00	2014-15
18	नसीराबाद - मांगलियावास - पादुकलाँ	63.00	2014-15
19	सीकर - लाडनू - नोखा	200.00	2014-15
20	फतेहपुर - झुन्झुनू - राजगढ़	113.00	2014-15
21	नागौर - ड़ीड़वाना - सालासर	144.00	2014-15
22	बीकानेर - नापासर - जसरासर	71.00	2014-15
23	दाँतीवाड़ा - पीपाड - मेडता सिटी	87.00	2014-15
24	सिवाना - समदरी -बालेसर	90.00	2014-15
25	डांगियावास - लूनी - बालोतरा (बीआरओ बाइपास)	130.00	2014-15
26	साँचौर - मन्डोर - अम्बाजी	123.00	2014-15
27	आहोर - बाली - मुंडरा	60.00	2014-15
28	जालोर - सिन्दरी - बाडमेर	165.00	2014-15
29	रामसीन - भीनमाल-रानीवाड़ा	63.00	2014-15
30	उदयपुर - सलूम्बर	69.00	2014-15
31	सोजत - देसूरी - पिण्ड़वाड़ा	161.00	2014-15
32	जसवन्तपुरा - भीनमाल -चांचवाफाटा	93.00	2014-15
33	राजगढ़ - भादरा - नोहर	57.00	2014-15
34	रतनगढ़ - चूरू - सरदारशहर	93.00	2014-15
35	ओसियाँ - नोखा	121.00	2014-15

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	ॲवार्ड का सम्भावित माह
36	नोखा - कोलायत - बज्जू	117.00	2014-15
37	दौसा - दूदू -साँभर	177.00	2014-15
38	रामगढ़ - सिकराय	34.00	2014-15
39	नगर - नदबई - हलैना	50.00	2014-15
40	खेरिया मोड़ (बयाना) - फतेहपुर सीकरी (यू. पी. सीमा तक)	23.00	2014-15
	उप योग (अ)	**3,976.87**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**		
1	जयपुर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट	25.00	2014-15
2	उदयपुर में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	14.30	2014-15
3	चाकसू, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	10.00	2014-15
4	ग्राम सिंधोली सांभारिया रोड़, अम्बेडकर नगर, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	9.68	2014-15
5	ग्राम भातेद वाटिका, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	19.36	2014-15
6	वाटिका, साँगानेर, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	14.27	2014-15
7	सालिगराम पुरा, साँगानेर, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	17.56	2014-15
8	खोरा श्यामदासजी, आमेर, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	17.74	2014-15
9	बद्री रामचन्द्र, फागी, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	12.34	2014-15
10	नारदपुरा, जमवारामगढ़, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	66.45	2014-15
11	कालवाड़, महापुरा, साँगानेर, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	11.57	2014-15
12	रामसिंहपुरा, कोटपुतली, जयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	30.38	2014-15
13	बालाकुआ, सूरपुरा, जोधपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	13.32	2014-15
14	रालावास, लोरड़ी पंड़ित जी, जाजीवाल, जोधपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	13.70	2014-15
15	डबोक, उदयपुर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	14.66	2014-15
16	भिवाडी, अलवर में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	17.01	2014-15
17	देवली, टोंक में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	13.15	2014-15
18	चित्तौड़गढ़ में अर्फोडेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट	17.31	2014-15
19	जालौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम- पेयजल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना	962.00	-
20	सीकर में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र	13.40	-
21	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी (सी बी डब्ल्यू टी एफ), उदयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, डुंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द	0.70	-
22	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी (सी बी डब्ल्यू टी एफ), जालौर, सिरोही, बाड़मेर	0.70	-
23	कनक वृंदावन से जयगढ़ - नाहरगढ़ रोड़ जंक्शन, जयपुर में एरियल रोपवे की स्थापना	20.50	-
24	जयपुर मैट्रो रेल परियोजना फेज -II	6,583.00	-
25	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार के लगभग 9 सार्वजनिक शौचालय जिन्हें सुलभ काम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	1.65	-
	उप योग (ब)	**7,919.75**	
(स)	**जल क्षेत्र**		
1	उदयपुर शहर की जलापूर्ति एवं सीवेरेज व्यवस्था	1,000.00	2014-15
2	अजमेर एवं पुष्कर शहर की जलापूर्ति एवं सीवेरेज व्यवस्था	700.00	2014-15
3	कोटा सिटी के कैथूनीपोल एवं लाडपुरा के जल वितरण जोन में चिन्हित पायलेट क्षेत्र में अराजस्व जल में कमी	15.00	2014-15
4	जयपुर शहर के मानसरोवर जल वितरण क्षेत्र में जलापूर्ति	25.00	2014-15
	उप योग (स)	**1,740.00**	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अँवार्ड का सम्भावित माह
(द)	**विद्युत क्षेत्र**		
1	400 केवी बीकानेर-सीकर डी/सी लाईन (दोहरा मूस)- 210 किमी	219.58	2014-15
	उप योग (द)	**219.58**	
(य)	**सामाजिक क्षेत्र**		
1	सीएसएस के अन्तर्गत भिवाड़ी, अलवर में प्रस्तावित पोलीटेक्नीक महाविद्यालय	13.00	2014-15
2	सीएसएस के अन्तर्गत ग्रामीण, देवली, टोंक में प्रस्तावित पोलीटेक्नीक महाविद्यालय	13.00	2014-15
	उप योग (य)	**26.00**	
(र)	**अन्य क्षेत्र**		
1	दौसा में 7500 एमटी वेयर हाऊस	2.25	2014-15
2	खैरथल में 2500 एमटी वेयर हाऊस	0.75	2014-15
3	फलौदी में 5000 एमटी वेयर हाऊस	1.50	2014-15
4	बांरा में 10000 एमटी वेयर हाऊस	3.00	2014-15
5	बीकानेर (एफएण्डवी) में वेयर हाऊस 2×5000 एमटी	3.00	2014-15
6	कुम्हेर जिला भरतपुर में 2500 एमटी वेयर हाऊस	0.75	2014-15
7	बाड़मेर में 4000 एमटी मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज	5.20	2014-15
8	केयूएमएस अजमेर (ग्रेन) में ग्रेडिंग, क्लीनिंग तथा पैकेजिग ईकाई का निर्माण	1.00	2014-15
9	अरबन एमनीटीज इन रुरल एरिया योजना के प्रावधान के अन्तर्गत खमनौर राजसमन्द में परियोजना	132.03	-
10	अरबन एमनीटीज इन रुरल एरिया योजना के प्रावधान के अन्तर्गत सांगानेर (जयपुर) में परियोजना	120.17	-
11	उद्यानिकी पार्क, अलवर	42.00	2014-15
	उप योग (र)	**311.65**	
	महा योग	**14,193.85**	

स्त्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.14 वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजना के अन्तर्गत व्यय नहीं किया गया (संदर्भ अनुच्छेद 1.2.3: पृष्ठ 7 एवं 8)

क्रम सं.	विभाग का नाम	योजना/परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना के उद्देश्य	मूल बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	शून्य व्यय के लिए विभाग द्वारा दिया गया संक्षिप्त कारण
1	आयुक्त, भूमि प्रबन्धन विभाग, राजस्थान, जयपुर	भूमि निस्तारण विभाग का आधुनिकीकरण	2029-03-04-02 2029-796-01-01 2029-789-01-01	भू-अभिलेखों का सर्वेक्षण/समीक्षा करना तथा अद्यतन करना	27.44 4.07 5.55	उत्तर प्रतिक्षित
2	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	उच्च माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई	2202-02-107-04	संस्कृत में मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति	0.87	उत्तर प्रतिक्षित
3	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	2210-06-101-01 2210-06-796-03	मलेरिया नियंत्रण हेतु	3.15 0.36	उत्तर प्रतिक्षित
4	आयुक्त, क्षेत्र विकास, आईजीएनपी, राजस्थान, बीकानेर	अनुकूल परीक्षण	2705 -102-1-04	आईजीएनपी सिंचित क्षेत्र में मृदा का उचित वर्गीकरण	0.10	उत्तर प्रतिक्षित
5		अनुकूल अनुसंधान तथा मृदा सर्वेक्षण, आईजीएनपी	2705-789-01-02		0.75	उत्तर प्रतिक्षित
6	मुख्य अभियंता तथा अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, बीकानेर	सीमा सड़क विकास मण्डल के द्वारा	5054-02-337-03	उचित फसलों तथा किस्मों, रोग तथा सिंचाई प्रणाली जैसे स्प्रींकलर के लिए अनुकूल अनुसंधान परीक्षण कार्यक्रम	54.51	उत्तर प्रतिक्षित
7	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्थान, उदयपुर	जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	2225-02-796-02-16	जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं सामाजिक-आर्थिक, शिक्षण, कला एवं संस्कृति पर अनुसंधान	0.25	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
8		सहरिया विकास हेतु सीसीडी योजना के अन्तर्गत नई आयोजना	2225-02-796-19-02	आय उत्पन्न करने के लिए कृषि तथा बारी कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध कराना	4.70	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
9		सहरिया विकास हेतु सीसीडी योजना के अन्तर्गत सोलर लाईट हेतु सहायतार्थ अनुदान	2225-02-796-19-03	सहरिया परिवार हेतु सोलर विद्युतीकरण उपलब्ध कराना	2.00	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
10		सहरिया विकास हेतु सीसीडी योजना के अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना	2225-02-796-19-04	सहरिया परिवार हेतु सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना	0.16	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
11		वन उत्पाद के अल्प एकत्रीकरण के लिए सहायतार्थ अनुदान	2225-02-796-19-07	अल्प वन उत्पाद के एकत्रीकरण तथा विपणन के लिए प्रशासनिक प्रभार	0.50	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना

क्रम सं.	विभाग का नाम	योजना/परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना के उद्देश्य	मूल बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	शून्य व्यय के लिए विभाग द्वारा दिया गया संक्षिप्त कारण
12		अनुश्रवण तथा प्रशासनिक व्यय	2225-02-796-19-09	अनुश्रवण तथा प्रशासनिक व्यय	0.04	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
13	आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	किशोरी शक्ति योजना	2235-02-196-02-08 2235-02-196-02-07	वर्ष 11-18 तक की किशोरी बालिकाओं का प्रबोधन तथा सशक्तीकरण जिन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी है।	0.40 2.74	भारत सरकार द्वारा देरी से (28 मार्च 2014) स्वीकृति जारी करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देरी से (22 अप्रैल 2014) जारी हुई।
14	निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	जल संवर्द्धन में मछलियों का विकास	2405-796-07 2405-101-06 2405-789-01	छोटे जल कुण्डों में मत्स्यपालन का तीव्र विकास तथा स्व-रोजगार उत्पन्न करना	0.05 0.06 0.02	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
15	आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	निदेशन तथा प्रशासन	2852-80-01	हथकरघा विकास	0.30	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
16	आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास, राजस्थान, जयपुर	सहरिया बंगलें का नवीनीकरण तथा निर्माण	4225-02-796-26-01		5.28	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
17		सहरिया भवन का नवीनीकरण तथा निर्माण	4225-2-796-26-02		16.50	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
18		सहरिया आश्रम छात्रावास का नवीनीकरण तथा निर्माण	4225-02-796-26-04	शैक्षणिक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना	5.03	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना
19	मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, बीकानेर	अमरसिंह जस्साना परियोजना	4705-103-03-02	कृषि क्षेत्र में कमवार जल के खालों के निर्माण द्वारा सिंचाई सुविधाऐं उपलब्ध कराना	4.11	एमओयू की स्वीकृति का अभाव तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होना
20		भूमि विकास कार्य	4705-108-01-01		23.29	
21		भाखड़ा नहर परियोजना	4705-108-01-02		0.26	
22		भूमि विकास कार्य	4705-789-04-01		1.10	
23		भूमि विकास कार्य	4705-789-05-01		1.10	
24		भूमि विकास कार्य	4705-789-08-01		6.31	
25	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	स्पीनफैड में निवेश	4425-195-03-03	कॉटन कॉम्पलेक्स गंगापुर, गुलाबपुरा तथा हनुमानगढ़ का पुनर्वास करना	3.66	राज्य सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं करना
26		कॉटन कॉम्पलेक्स में स्पीनफैड हेतु ऋण	6425-108-07		1.47	
27	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, राजस्थान, जयपुर	एसएमएस टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	2205-103-03	एसएमएस टाउन हॉल तथाा जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	3.50	निधियों के हस्तान्तरण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई।

क्रम सं.	विभाग का नाम	योजना/परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना के उद्देश्य	मूल बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	शून्य व्यय के लिए विभाग द्वारा दिया गया संक्षिप्त कारण
28	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	अध्यापकों के शिक्षण के लिए ब्लॉक संस्थान	2202-80-796-11-03		0.13	अध्यापकों के शिक्षण संस्थान के लिए एनसीटीई द्वारा अनुमोदन नहीं करना
			2202-80-789-03		0.13	
29	आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	एकीकृत हथकरघा विकास कार्यक्रम	2851-103-09	हथकरघा विकास	1.05	भारत सरकार से निधियों के लिए माँग नहीं करना
30	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) सेवायें, राजस्थान, जयपुर	स्वायत्त संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शहरी परिवार कल्याण केन्द्र का प्रबन्ध करना	2211-102-02		0.40	रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होना तथा संस्थाओं को निधियों का आवंटन नहीं होना, संस्थाओं द्वारा निधियों के लिए मांग नहीं करना
31	आयुक्त, समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	बुक बैंक	2225-02-796-06-08	उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकें निःशुल्क प्रदान करना	0.25	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बुक बैंक योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं से प्रस्तावों का प्राप्त न होना
			2225-01-789-03	उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पुस्तकें निःशुल्क प्रदान करना	0.25	
	योग				**181.84**	

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.1: पृष्ठ 75)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राजस्व-दत्तमत				
1.	9	वन	749.21	188.29	25.1
2.	20	आवास	84.54	24.01	28.4
3.	28	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	52.01	30.39	58.4
4.	48	विद्युत	9,390.63	2,177.50	23.2
5.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	375.81	127.12	33.8
	पूँजीगत-दत्तमत				
6	19	लोक निर्माण कार्य	796.83	277.74	34.9
7	22	क्षेत्र का विकास	395.91	102.24	25.8
8	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	79.21	47.97	60.6
9	25	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	300.00	300.00	100.0
10	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	185.97	42.80	23.0
11	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,460.01	414.99	28.4
12	38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	26.13	25.74	98.5
13	46	सिंचाई	1,108.51	279.18	25.2
		योग	**15,004.77**	**4,037.97**	**26.9**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.3: पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत							
1	20	आवास	2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रखरखाव और मरम्मत 01-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) 11-मुख्य शीर्ष 2059 सार्वजनिक निर्माण से संबंधित आनुपातिक व्यय	1.55	2.58	1.03	66.5
2	21	सड़कें एवं पुल	3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन 01-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय 01-स्थापना	7.49	34.95	27.46	366.6
3	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 28-बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय	0.40	1.91	1.51	377.5
4	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	26.51	29.41	2.90	10.9
पूँजीगत-दत्तमत							
5	19	लोक निर्माण कार्य	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 05-सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक सेवाऐं) 01-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	32.12	48.10	15.98	49.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
6	27	पेय जल योजना	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जल पूर्ति 102-ग्रामीण जल पूर्ति 45-नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-।। (ईएपी)	5.39	8.33	2.94	54.5
7	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज 03-छोटे तथा मध्यम वर्ग के कस्बों का समेकित विकास 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज 01-नगरपालिकाओं / नगर परिषदों को कर्ज -आरयूआईडीपी फेज-2 15-नगर पालिका/नगर परिषद, चूरू	15.99	23.89	7.90	49.4
8	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 01-खनिज अन्वेषण तथा विकास 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02-उपागमन सड़के	1.52	2.66	1.14	75.0
9	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 20-जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि) 11-राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण	1.00	2.25	1.25	125.0
10	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 06-नाबार्ड पोषित आरआईडीएफ की सड़कें 08-सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम)	49.59	55.60	6.01	12.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
11	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना 07-ग्रामीण सड़कें	15.24	17.44	2.20	14.4
12	46	सिंचाई	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 37-परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-निर्माण कार्य	4.97	6.56	1.59	32.0
13	46	सिंचाई	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 67-लहासी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय	2.94	8.34	5.40	183.7
14	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाऐं 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 01-औषधालय तथा सहायता चौकियाँ 90-निर्माण कार्य	0.81	3.26	2.45	302.5
योग				**165.52**	**245.28**	**79.76**	**48.2**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6: पृष्ठ 92)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1	1-राज्य विधान मंडल	46.68	43.15	3.53	1.68
2	13-आबकारी	88.85	87.15	1.70	2.70
3	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,850.16	7,801.25	48.91	77.87
4	19-लोक निर्माण कार्य	394.11	349.34	44.77	4.18
5	20-आवास	67.92	60.53	7.39	16.62
6	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	14,453.24	13,611.65	841.59	361.85
7	26-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और सफाई	4,102.26	3,999.51	102.75	214.70
8	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,352.45	2,175.57	176.88	34.50
9	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,372.27	3,253.43	118.84	187.44
10	46-सिंचाई	1,688.92	1,645.63	43.29	52.52
11	47-पर्यटन	22.43	21.03	1.40	1.39
12	48-विद्युत	9,380.63	7,213.13	2,167.50	10.00
पूंजीगत-दत्तमत					
13	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,396.01	1,045.02	350.99	64.00
14	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,648.59	1,599.82	48.77	174.07
15	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,861.40	1,817.94	43.46	231.62
योग		**48,725.92**	**44,724.15**	**4,001.77**	**1,435.14**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 93)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1	6	न्याय प्रशासन	2014-105-01 जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय	(-) 9.05	(-) 1.10
2	8	राजस्व	2029-103-02 जिला व्यय	(-) 16.29	(-) 1.02
3	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 70.00	(-) 17.49
4	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	(-) 55.00	(-) 6.26
5	21	सड़कें एवं पुल	5054-04-800-02-01 ग्रामीण सड़कें	(-) 83.58	(-) 3.94
6	21	सड़कें एवं पुल	5054-04-800-11-15 सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम)	(+) 156.10	(+) 4.29
7	27	पेय जल योजना	2215-01-101-12 अन्य नगरीय जल पूर्ति योजनाऐं	(-) 4.22	(-) 3.98
8	27	पेय जल योजना	2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाऐं	(-) 35.95	(-) 6.58
9	27	पेय जल योजना	2215-02-001-03 निष्पादन	(-) 11.06	(-) 3.28
10	27	पेय जल योजना	2215-01-101-08 जल पूर्ति योजना, जोधपुर	(-) 2.65	(-) 1.77
11	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (आर्थिक क्रिया योजना) निर्माण कार्य	(-) 68.07	(-) 6.50
12	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	6217-03-192-01-15 नगर पालिका/नगर परिषद, चुरू	(+) 15.99	(+) 7.90
13	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-19-15 सामाजिक सुरक्षा विभाग की नवाचार/नई योजनाऐं	(-) 236.20	(-) 8.76

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
14	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-02 विकलांग और दृष्टिहीन निराश्रितों को पेंशन	(-) 42.07	(-) 1.67
15	41	सामुदायिक विकास	2515-197-01-01 स्थापना	(+) 55.06	(+) 17.10
16	46	सिंचाई	4700-37-001-01 निर्माण कार्य	(+) 4.97	(+) 1.59
17	47	पर्यटन	5452-80-800-01 पर्यटक स्थलों का विकास	(-) 5.12	(-) 1.00
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
18	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ	(+) 15.00	(-) 15.04
19	27	पेय जल योजना	4215-01-102-45 नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फैज-।। (आर्थिक क्रिया योजना)	(-) 64.85	(+) 2.94
20	27	पेय जल योजना	4215-01-799-01 स्टॉक	(+) 11.38	(-) 46.83
21	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-01-796-01-03 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल पूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	(+) 1.88	(-) 2.06
22	46	सिंचाई	2701-68-800-01 अन्य व्यय	(+) 1.05	(-) 1.05
23	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	(-) 1.26	(+) 2.44
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
24	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-105 परिवार पेंशन	(+) 57.13	(-) 4.13
25	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-104-02 कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान	(+) 5.00	(-) 2.28
26	21	सड़कें एवं पुल	5054-04-800-16 हवाई पट्टियों का निर्माण	(+) 37.99	(-) 8.69
27	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-197-07-01 स्थापना व्यय	(+) 14.88	(-)2.53
28	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-01 वृद्धावस्था पेंशन	(+) 514.71	(-) 20.07
29	46	सिंचाई	4702-800-05-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय	(+) 10.64	(-) 3.03
30	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-01-02 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल पूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	(+) 3.10	(-) 2.35
योग					**(-) 171.41 (+) 36.26**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9: पृष्ठ 93)

31 मार्च 2014 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
1	ब्याज अदायगियाँ	2049	*9,241.12*	*178.17*
2	3-सचिवालय	2052, 2251, 3451	246.19	45.19
3	4-जिला प्रशासन	2053	360.14	36.30
4	6-न्याय प्रशासन	2014	512.04	43.31
5	8-राजस्व	2029, 2052	593.46	71.0
6	9-वन	2406	749.21	188.0
7	12-अन्य कर	2030, 2041, 2045, 3055	354.23	45.76
8	14-बिक्री कर	2040	437.68	20.54
9	15-पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	2071	7,928.03	61.37
10	16-पुलिस	2055, 2070	3,204.50	84.83
11	19-लोक निर्माण कार्य	2059	398.29	48.13
12		4055, 4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4405, 4515, 4700, 4853, 5475	796.83	293.39
13	20-आवास	2216	84.54	24.77
14	21-सड़कें एवं पुल	3054	1,532.11	52.45
15	22-क्षेत्र का विकास	4575, 4705	395.91	102.23
16	23-श्रम एवं रोजगार	2230, 3475	331.13	22.39
17	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2070, 2202, 2203, 2204, 2205	14,815.09	1200.14
18		4202, 6202	79.21	48.31
19	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211, 3606	4,316.95	310.64
20		4210, 6210	185.97	43.04
21	27-पेय जल योजना	2215	2,270.58	90.98
22		4215	2,257.46	136.40
23	28-ग्रामीण विकास के लिये कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	52.01	30.39
24	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2216, 2217, 3055	2,386.95	210.48
25		4217, 5055, 6217, 7055	1,460.01	398.32
26	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2055, 2056, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3435, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475	3,559.71	304.04

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
27	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4401, 4402, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4853, 4885, 5054, 5452, 5475, 6225, 6408, 6885	1,822.66	229.45
28	32-नागरिक आपूर्ति	3456	844.08	122.30
29	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2202, 2225, 2235, 2236	5,138.21	168.70
30	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	1,709.34	85.61
31	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	2047, 3454, 3475	113.33	22.41
32	36-सहकारिता	2408, 2425	404.23	44.91
33	37-कृषि	2401, 2415, 2435	1,351.66	86.80
34	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402, 2702	122.31	21.80
35		4402, 4702	26.13	25.74
36	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403, 2405, 2415	703.98	25.17
37	41-सामुदायिक विकास	2515	3,537.08	216.05
38	43-खनिज	2802, 2853	148.65	25.19
39	46-सिंचाई	2700, 2701, 2702	1,741.44	74.21
40		4700, 4701, 4702, 4711	1,108.51	266.44
41	48-विद्युत	2801, 2810	9,390.63	2,177.50
42		4801, 6801	3,782.90	644.27
43	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604	375.81	127.11
44	50-ग्रामीण विकास	2505, 2515	383.66	57.42
45	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2055, 2056, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2705, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475	2,955.13	261.06
46		4055, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4402, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4853, 5054, 5452, 5475,	2,093.02	272.43
	योग		**96,302.11**	**9,045.14**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9: पृष्ठ 93)

₹ 1 करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
	राजस्व-दत्तमत			
1	6-न्याय प्रशासन	46.02	43.31	2.71
2	8-राजस्व	72.08	71.00	1.08
3	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	126.78	61.37	65.41
4	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,203.44	1,200.14	3.30
5	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थय और सफाई	317.44	310.64	6.80
6	27-पेय जल योजना	112.13	90.98	21.15
7	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	306.28	304.04	2.24
8	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	200.06	168.70	31.36
9	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	87.47	85.61	1.86
10	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	26.45	25.17	1.28
11	46-सिंचाई	95.81	74.21	21.60
12	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	262.26	261.06	1.20
	पूंजीगत-दत्तमत			
13	21-सड़कें एवं पुल	6.80	0.00	6.80
14	25-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	300.00	0.00	300.00
15	27-पेय जल योजना	200.41	136.40	64.01
16	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	414.99	398.32	16.67
17	46-सिंचाई	279.18	266.44	12.74
18	47-पर्यटन	3.20	2.20	1.00
19	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	275.08	272.43	2.65
	योग	**4,335.88**	**3,772.02**	**563.86**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10: पृष्ठ 94)

₹ 5 करोड़ से अधिक तथा बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक के एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
1.	-	ब्याज अदायगियाँ	2049-01-101-04-11 9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	*46.20*	*23.10*	*50.0*
2.	3	सचिवालय	3451-090-13-01 आयोजना विभाग के माध्यम से	5.00	5.00	100.0
3.	6	न्याय प्रशासन	2014-105-18-01 सुबह-शाम की अदालतें	12.40	8.19	66.0
4.	8	राजस्व	2029-103-04-02 भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50 : 50)	53.52	36.82	68.8
5.	9	वन	2406-01-196-01-01 स्थापना	18.00	11.34	63.0
6.	11	विविध सामाजिक सेवाऐं	3435-03-102-03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	8.92	8.74	98.0
7.	12	अन्य कर	3055-800-09 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान	20.00	15.00	75.0
8.	19	लोक निर्माण कार्य	4055-211-02-90 निर्माण कार्य	10.00	6.00	60.0
9.			4059-80-051-07-01 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	5.24	5.24	100.0
10.			4059-80-051-29-01 भवनों तथा ड्राईविंग ट्रैक का निर्माण	17.24	10.85	62.9
11.			4059-80-051-36 कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	9.03	5.41	59.9
12.			4210-01-110-05-90 निर्माण कार्य	16.35	9.08	55.5
13.			4210-01-800-01-90 निर्माण कार्य	6.20	5.92	95.5
14.			4210-03-105-03-90 निर्माण कार्य	32.45	19.86	61.2
15.			4235-02-102-01-90 निर्माण कार्य	21.26	15.02	70.6
16.			4250-203-02-90 निर्माण कार्य	13.01	13.01	100.0

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
17.	19	लोक निर्माण कार्य	4250-203-09-90 निर्माण कार्य	29.18	15.56	53.3
18.			4403-101-01-90 निर्माण कार्य	12.06	11.39	94.4
19.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-001-01-01 स्थापना	18.49	11.00	59.5
20.	22	क्षेत्र का विकास	4705-106-01-02 भूमि विकास कार्य	17.38	11.00	63.3
21.			4705-108-01-01 भूमि विकास कार्य (भाकड़ा सिंचाई परियोजना)	46.59	46.59	100.0
22.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुर्नभरण-सामान्य व्यय	196.56	160.38	81.6
23.			2202-02-109-05 विकलांग एकीकृत शिक्षा	7.00	6.65	95.0
24.			2202-02-109-08-01 बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	65.53	58.76	89.7
25.			2202-02-800-22 माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा	21.40	21.40	100.0
26.			2203-105-02 केन्द्रीय सहायता के तहत पोलीटेक्नीक विद्यालय	14.40	12.34	85.7
27.			2205-103-03 सवाई मानसिंह टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	15.00	15.00	100.0
28.			4202-01-203-04-01 भवन (प्रतिशतता प्रभार सहित)	6.51	6.51	100.0
29.			4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	38.48	21.39	55.6
30.			4202-04-105-01-01 भवन	14.00	11.63	83.1
31.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-01-110-05-03 नये निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि	15.00	15.00	100.0
32.			4210-03-105-07-03 चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	6.87	6.10	88.8
33.			6210-03-105-01-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को ऋण	5.00	5.00	100.0
34.	27	पेय जल योजना	4215-01-101-01-12 बीसलपुर परियोजना से जयपुर को जल पूर्ति (अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता हेतु जापान बैंक)	7.02	6.49	92.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
35.			4215-01-102-59 निंवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना	10.54	6.66	63.2
36.	27	पेय जल योजना	4215-01-102-61 बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-।। भाग-ब (68 गाँवों की कलस्टर योजना)	7.02	7.02	100.0
37.			4215-01-102-62 बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-।। भाग-स (473 गाँवों की कलस्टर योजना)	7.02	7.02	100.0
38.	28	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-02-01 कार्यकलाप सम्बन्धी	31.63	22.93	72.5
39.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-02 जयपुर शहर परिवहन सेवायें लिमिटेड	42.19	31.79	75.3
40.			2217-80-191-05 जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान	12.49	12.49	100.0
41.			2217-80-191-31-01 सामान्य परिचालन गतिविधियाँ	6.42	6.42	100.0
42.			2217-80-192-33-02 राजस्थान शहरी विकास कोष को हस्तांतरण (आरयूडीएफ)	5.00	5.00	100.0
43.			2217-80-192-35-01 सामान्य परिचालन कार्य	19.05	19.05	100.0
44.			3055-800-07-04 परिवहन विभाग के माध्यम से	17.58	12.58	71.6
45.			4217-03-800-01-02 शहरी जन सहभागी योजना	11.66	11.39	97.7
46.			4217-03-800-01-04 अग्निशमन सेवाऐं	7.09	7.09	100.0
47.			6217-60-190-01-01 जयपुर मैट्रो रेल निगम लिमिटेड को ऋण	150.00	150.00	100.0
48.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2029-796-01-01 भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	8.13	8.13	100.0
49.			2401-796-63 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	5.20	5.10	98.1
50.			2501-05-196-02-02 कार्यकलाप सम्बन्धी	5.65	5.65	100.0
51.			4059-80-796-06 सामान्य भवन (आबकारी विभाग)	6.67	5.34	80.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
52.			4210-01-796-02-01 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के माध्यम से	8.72	6.74	77.3
53.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-01-796-01-46 नर्मदा परियोजना-एल एल और एल यू (आर डी 74 पर)	6.80	6.80	100.0
54.			4215-01-796-01-50 नोखा-बीकानेर परियोजना (जीएलसी)	5.95	5.95	100.0
55.			4215-01-796-02-21 देवास जल प्रदाय योजना फैज-।। (शहरी)	8.83	6.41	72.6
56.			4225-02-796-09-02 नहरो का सुदृढ़ीकरण	7.80	5.15	66.0
57.			4225-02-796-11-02 अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.00	5.00	100.0
58.			4225-02-796-11-04 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.00	5.00	100.0
59.			4225-02-796-11-08 जनजाति भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	5.50	55.0
60.			4225-02-796-26-01 सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया बंगला का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.28	5.28	100.0
61.			4225-02-796-26-04 आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.03	5.03	100.0
62.			4250-796-02-90 निर्माण कार्य	7.04	6.77	96.2
63.			5054-04-796-05 शहरी सड़कें	6.15	6.15	100.0
64.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-05-02 कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	11.00	5.58	50.7
65.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-101-11 वृद्ध, अशक्त एवं नि:सहाय्य बच्चों के लिए राहत	10.00	6.49	64.9
66.			2245-01-102-07 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	10.00	8.52	85.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
67.			2245-01-105-02 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	10.50	10.50	100.0
68.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-282-02 दवाइयों की आपूर्ति	6.00	6.00	100.0
69.			2245-02-105-02 टीकाकरण औषधियों एवं दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	7.65	7.65	100.0
70.	36	सहकारिता	4425-195-03-06 राजस्थान सहकारिता वित्त एवं विकास निगम	30.00	20.00	66.7
71.	37	कृषि	2401-119-27 कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु सहायता	10.00	7.68	76.8
72.			2401-196-06-06 कार्य योजना (10% राज्यांश : 90% केन्द्रीयांश)	6.18	6.18	100.0
73.			4401-800-03-01 कृषि विभाग के माध्यम से	7.00	6.42	91.7
74.	38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402-196-01-02 भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान (10:90)	9.94	9.94	100.0
75.			4402-102-02-12 बनास नदी पर कार्य योजना (10:90)	11.35	11.35	100.0
76.			4402-102-02-13 नदी घाटी पर कार्य योजना (10:90)	11.45	11.45	100.0
77.	41	सामुदायिक विकास	2515-196-21-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	11.59	11.59	100.0
78.	43	खनिज	2853-02-001-03 खनिज संरक्षण बल	8.39	6.92	82.5
79.	46	सिंचाई	4700-02-001-05-05 पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	24.00	19.04	79.3
80.			4700-04-800-01-01 विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	35.00	27.75	79.3
81.			4700-04-800-03-01 निर्माण कार्य	35.00	22.03	62.9
82.			4702-101-04-01 निर्माण कार्य	5.48	5.48	100.0
83.			4702-800-06-02 मुख्य शीर्ष '2701' से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय	44.42	24.41	55.0
84.	48	विद्युत	2801-80-190-08 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान	18.44	18.44	100.0

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
85.			2801-80-190-19 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जयपुर विद्युत वितरण निगम को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	565.63	565.63	100.0
86.	48	विद्युत	2801-80-190-20 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जोधपुर विद्युत वितरण निगम को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	584.25	584.25	100.0
87.			2801-80-190-21 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-अजमेर विद्युत वितरण निगम को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	679.25	679.25	100.0
88.			2801-80-190-31-01 जयपुर विद्युत वितरण निगम को अनुदान	40.00	34.15	85.4
89.			2801-80-190-31-02 जोधपुर विद्युत वितरण निगम को अनुदान	25.00	22.65	90.6
90.			2801-80-190-31-03 अजमेर विद्युत वितरण निगम को अनुदान	35.00	31.15	89.0
91.			2810-190-01-01 सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना	10.00	10.00	100.0
92.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-197-01-03 पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में से समनुदेशन	8.10	8.10	100.0
93.			3604-198-02-07 पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में से समनुदेशन	57.37	57.37	100.0
94.			3604-198-02-08 देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त राशि के हिस्से में से समनुदेशन	18.70	18.70	100.0
95.			3604-198-02-10 माल के प्रवेश कर के अंश में से समनुदेशन	23.56	12.06	51.2
96.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2029-789-01-01 भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50 : 50)	11.11	11.11	100.0
97.			2210-01-789-01 अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)	7.19	7.01	97.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
98.			2210-03-197-03-01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	7.47	5.97	79.9
99.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2210-03-789-01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	14.51	10.70	73.7
100.			2210-05-789-01-02 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर	7.08	5.84	82.5
101.			2401-789-01-21 तिलहन, दलहन, आइलपॉम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयांश)	8.80	5.68	64.5
102.			2401-789-01-28 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	7.10	7.00	98.6
103.			2501-05-196-02-03 कार्यकलाप सम्बंधी	7.72	7.72	100.0
104.			4055-789-02-01 आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से	18.88	9.97	52.8
105.			4202-03-789-01 जिला संकुल खेल विभाग के माध्यम से	6.70	6.70	100.0
106.			4215-01-789-01-50 नर्मदा परियोजना-एल एल और एल यू (आर डी 74 पर)	5.00	5.00	100.0
107.			4215-01-789-02-13 शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य	23.00	12.67	55.1
108.			4225-01-789-05 छात्रों हेतु छात्रावास भवन का निर्माण	7.22	5.26	72.9
109.			4225-01-789-10 नाबार्ड सहायता योजना अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण	12.03	8.88	73.8
110.			4250-789-02-90 निर्माण कार्य	13.20	10.11	76.6
111.			4401-789-04 किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	21.96	12.04	54.8
112.			4705-789-08-01 भूमि विकास कार्य	12.62	12.62	100.0
113.			5054-04-789-03 शहरी सड़कें	8.39	6.81	81.2
114.			5054-04-789-11 विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें	22.83	15.55	68.1
	योग			**3,859.29**	**3,477.58**	**90.1**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 94)

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	2	3	4	5
	राजस्व-दत्तमत			
1	21-सड़कें एवं पुल	26.23	52.45	26.22
2	41-सामुदायिक विकास	199.22	216.05	16.83
	पूँजीगत-दत्तमत			
3	19-लोक निर्माण कार्य	277.74	293.39	15.65
4	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	222.84	229.45	6.61
	योग	**726.03**	**791.34**	**65.31**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12: पृष्ठ 94)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम त्रिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1.	9-वन	4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य	62.70	35.12	91.00	68.9	38.6
2.	10-विविध सामान्य सेवाऐं	2075-797-01 शीर्ष '8235-117 गारंटी मोचन निधि' को हस्तांतरण	421.38	421.38	421.38	100.0	100.0
3.	14-बिक्री कर	2040-800-02 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति	117.14	74.09	270.18	43.4	27.4
4.	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-104-01 राज्य कर्मचारियों का उपदान	328.76	126.42	1076.12	30.6	11.7
5.		2071-01-117-01 निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	68.00	20.03	206.96	32.9	9.7
6.	21-सड़कें एवं पुल	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि से/को अन्तरण	105.79	55.00	275.00	38.5	20.0
7.		5054-03-337-05 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	101.80	52.49	199.22	51.1	26.3
8.		5054-03-337-07 राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें	51.71	42.77	121.39	42.6	35.2
9.		5054-04-800-11 नाबार्ड पोषित आर आई डी एफ की सड़कें	233.69	164.58	742.74	31.5	22.2
10.		5054-04-800-21 विश्व बैंक से पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना	78.66	71.38	89.97	87.4	79.3
11.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-01 सामान्य व्यय	75.13	35.53	87.73	85.6	40.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
12.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-01-110-01 अध्यापन अस्पताल	139.48	57.80	458.44	30.4	12.6
13.		2210-03-104-01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	104.25	38.78	315.04	33.1	12.3
14.		2210-03-197-01 ब्लॉक स्तरीय संस्थापन	134.44	56.82	429.35	31.3	13.2
15.	27-पेय जल योजना	4215-01-101-01 सामान्य शहरी जल पूर्ति योजनाऐं	230.50	114.01	505.00	45.6	22.6
16.		4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	294.72	194.92	530.59	55.6	36.7
17.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-29 सार्वजनिक रोशनी	83.86	83.86	83.86	100.0	100.0
18.		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	107.26	78.15	161.89	66.3	48.3
19.		2217-80-192-22 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)	54.41	54.28	55.09	98.8	98.5
20.		2217-80-192-29 तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	91.97	43.47	130.54	70.5	33.3
21.		2217-80-192-33 सार्वजनिक रोशनी	55.29	55.29	55.29	100.0	100.0
22.		4217-60-050-03 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (यूरोपीयन आर्थिक योजना) निर्माण कार्य	76.83	35.93	220.42	34.9	16.3
23.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06 अनुसूचित जन जाति के छात्रों की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	54.45	45.79	60.07	90.6	76.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
24.		2225-02-796-06 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	84.80	43.77	134.73	62.9	32.5
25.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान	60.42	60.42	112.51	53.7	53.7
26.		2515-198-06 मिड डे मील योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)	55.64	10.18	119.04	46.7	8.6
27.		2515-198-23 पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	55.65	55.65	111.29	50.0	50.0
28.		4215-01-796-01 ग्रामीण जल पूर्ति योजनाऐं	131.60	54.19	255.86	51.4	21.2
29.		4215-01-796-02 शहरी जल पूर्ति योजनाऐं	80.43	44.21	113.23	71.0	39.0
30.		4801-80-796-05 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	53.51	53.51	81.39	65.7	65.7
31.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-277-02 छात्रावासों का रखरखाव	142.21	117.28	142.69	99.7	82.2
32.		2235-60-196-01 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	865.97	381.56	2687.54	32.2	14.2
33.		2236-02-101-01 समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग के माध्यम से	208.00	118.93	560.39	37.1	21.2
34.		2236-02-197-01 समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग के माध्यम से	157.21	81.78	467.82	33.6	17.5
35.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01 राहत कार्यों पर व्यय	467.72	329.02	787.47	59.4	41.8
36.	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	116.13	116.13	116.13	100.0	100.0

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
37.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों को ब्याज अनुदान	146.84	146.84	146.84	100.0	100.0
38.	37-कृषि	2401-800-27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)	313.30	240.58	457.41	68.5	52.6
39.	41-सामुदायिक विकास	2515-196-25 ग्रामीण बी.पी.एल. आवास	64.30	26.61	191.88	33.5	13.9
40.		2515-197-01 तदर्थ सहायता	220.59	138.36	423.21	52.1	32.7
41.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान	279.44	279.44	572.55	48.8	48.8
42.		2515-198-06 मिड डे मील योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)	137.04	60.60	283.25	48.4	21.4
43.		2515-198-16 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान	250.47	250.47	512.02	48.9	48.9
44.		2515-198-17 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान	171.13	171.13	349.64	48.9	48.9
45.		2515-198-22 पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	198.88	198.88	397.76	50.0	50.0
46.		4700-04-001-02 द्वितीय चरण	69.32	40.18	149.47	46.4	26.9
47.	48-विद्युत	2801-80-190-16 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान	217.70	217.70	251.11	86.7	86.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
48.		2801-80-190-17 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान	117.91	117.91	155.61	75.8	75.8
49.	48-विद्युत	2801-80-190-18 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान	160.31	160.31	217.19	73.8	73.8
50.		2801-80-190-24 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान	1025.51	493.27	2391.16	42.9	20.6
51.		4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	88.55	88.55	229.10	38.7	38.7
52.		4801-80-190-04 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	472.89	472.89	738.27	64.1	64.1
53.		4801-80-190-05 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	506.06	506.06	804.80	62.9	62.9
54.		4801-80-190-06 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	543.41	543.41	771.39	70.4	70.4
55.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-198-02 ग्राम पंचायतों को समनुदेशन	220.38	219.83	220.38	100.0	99.8
56.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-789-01 छात्रवृत्तियाँ एवं वजीफे	125.97	89.14	198.46	63.5	44.9
57.		2401-789-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)	86.75	79.37	109.35	79.3	72.6
58.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान	76.84	76.84	148.35	51.8	51.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2014 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
59.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-06 मिड डे मील योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)	90.09	32.70	154.05	58.5	21.2
60.		2515-198-24 पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	75.93	75.93	151.86	50.0	50.0
61.		4215-01-789-01 अनुसूचित जाति (ग्रामीण) क्षेत्रों में जल आपूर्ति	137.93	57.52	323.46	42.6	17.8
62.		4215-01-789-02 अनुसूचित जाति (शहरी) क्षेत्रों में जल आपूर्ति	95.55	56.31	152.71	62.6	36.9
63.		4801-80-789-05 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	75.97	75.97	114.06	66.6	66.6
64.	ब्याज अदायगियाँ	2049-01-101-04 चालू ऋणों पर ब्याज-राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021-2025	*458.70*	*137.25*	*1451.28*	*31.6*	*9.5*
65.		2049-01-200-02 स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	*120.96*	*120.09*	*369.25*	*32.8*	*32.5*
66.		2049-03-104-02 अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज	*61.38*	*61.38*	*61.72*	*99.4*	*99.4*
67.		2049-03-117-01 सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	*56.62*	*56.62*	*60.00*	*94.4*	*94.4*
68.		2049-04-109 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित राज्य आयोजना ऋणों पर ब्याज	*103.24*	*25.81*	*258.09*	*40.0*	*10.0*
69.	लोक ऋण	6003-105-02 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार	*355.03*	*254.37*	*680.15*	*52.2*	*37.4*
70.	लोक ऋण	6004-02-105 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जे	*92.61*	*30.87*	*308.70*	*30.0*	*10.0*
योग			**12,769.11**	**9,027.71**	**26,081.89**	**49.0**	**34.6**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान ।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5: पृष्ठ 101)

निर्धारित शीर्षो के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ)	व्यय	गत वर्ष से व्यय में वृद्धि		व्यय में वृद्धि के विभाग द्वारा दिये गये कारण
					राशि	प्रतिशत	
आयोजना							
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गो का कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 05-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 04-देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन	2011-12	-[7]	0.49	-	-	-
		2012-13	5.33	2.18	(+) 1.69	344.89	छात्रसंख्या तथा छात्रावास कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि।
		2013-14	5.89	4.41	(+) 2.23	102.29	शीर्ष '2225-03-196-05-01' के 11 छात्रावासों का विलय इस शीर्ष में होने एवं खाद्य सामग्री की दरों में बढ़ोतरी के कारण व्यय में वृद्वि हुई।
2.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गो का कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 06-देवनारायण योजना (शिक्षा विभाग के माध्यम से) 07-देवनारायण गुरूकुल योजना	2011-12	-[8]	0.70	-	-	-
		2012-13	1.00	3.73	(+) 3.03	432.86	देवनारायण योजना के अन्तर्गत गुरूकुल योजना में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण वृद्वि हुई।
		2013-14	9.00	8.21	(+) 4.48	120.11	
3.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गो का कल्याण 277-शिक्षा 02-छात्रावासों का रखरखाव	2011-12	1.57	1.38	-	-	-
		2012-13	31.89	31.84	(+) 30.46	2207.25	अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रतिबद्व देयताओं में वृद्वि हुई।
		2013-14	20.00	95.10	(+) 63.26	198.68	बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार बजट में अधिक राशि प्राप्त होने के कारण वृद्वि हुई।

[7] मात्र ₹ 9000.

[8] मात्र ₹ 1000.

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ)	व्यय	गत वर्ष से व्यय में वृद्धि		व्यय में वृद्धि के विभाग द्वारा दिये गये कारण
					राशि	प्रतिशत	
4.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 40-संभाग मुख्यालयों पर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का निर्माण	2011-12	-[9]	0.10	-	-	-
		2012-13	4.26	0.71	(+) 0.61	610.00	स्वयं सहायता संगठनों की संख्या में वृद्धि एवं उन संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि हुई।
		2013-14	4.26	3.71	(+) 3.00	422.54	
5.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 15-नि:शक्त कल्याण 02-शारीरिक तथा मानसिक विमंदितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	2011-12	2.80	2.14	-	-	-
		2012-13	10.55	2.74	(+) 0.60	28.04	बजट भाषण में की गई घोषणा की क्रियान्विती पर विकलांगों एवं मानसिक विमंदितों हेतु आवास निर्माण से वृद्धि हुई।
		2013-14	10.55	6.35	(+) 3.61	131.75	
6.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 200-अन्य कार्यक्रम 04-जन चेतना शोध प्रकाशन एवं प्रचार, नशा मुक्ति तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम	2011-12	0.50	0.68	-	-	-
		2012-13	0.80	1.33	(+) 0.65	95.59	विभागीय योजनाओं के प्रचाार-प्रसार एवं विज्ञापन में अधिक व्यय करने के कारण वृद्धि हुई।
		2013-14	2.80	3.42	(+) 2.09	157.14	
आयोजना-भिन्न							
7.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 01-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 01-वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन	2011-12	310.00	330.13	-	-	-
		2012-13	350.00	366.50	(+) 36.37	11.02	योजना में पेंशनरों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई।
		2013-14	1476.05	1970.69	(+) 1604.19	437.71	

स्रोत: विनियोग लेखे

[9] मात्र ₹ 10000.

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5: पृष्ठ 101)

प्रावधान के विरूद्ध व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	आभि/ आ./ केप्रयो[10]	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
	2011-12					
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 10-देवनारायण योजना के अन्तर्गत गोपाल योजना (पशुपालन विभाग के माध्यम से) 01-गोपाल योजना	आ.	1.00	1.00	-	उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
2.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 05-महिला विकास कार्यक्रम 10-महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान	आ.	10.00	-	10.00	एजेण्डा बिन्दुओं, पंजीकरण एवं स्कीम की कार्य योजना का विलम्ब से अनुमोदन (फरवरी 2013) तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मार्गदर्शन में उक्त कार्य प्रक्रियाधीन थे।
3.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 05-महिला विकास कार्यक्रम 11-महिला स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी	आ.	10.00	-	10.00	एजेण्डा बिन्दुओं, पंजीकरण एवं स्कीम की कार्य योजना का विलम्ब से अनुमोदन (फरवरी 2013) तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मार्गदर्शन में उक्त कार्य प्रक्रियाधीन थे।
4.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 12-नारी निकेतन भवन का निर्माण	आ.	1.00	1.00	-	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना।
5.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 04-वृद्धाश्रम का निर्माण	आ.	1.80	1.80	-	भूमि की अनुपलब्धता।

[10] आ.भि.: आयोजना भिन्न, आ.: आयोजना, के.प्र.यो.: केन्द्र प्रवर्तित योजना।

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	आभि/ आ./ केप्रयो[10]	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
6.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 01-सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से 01-राजस्थान पूर्व सैनिक निगम को अंश पूँजी	आ.	5.00	5.00	-	निगम का विलम्ब से पंजीकरण (मार्च 2012) होने के कारण पीडी खाता नहीं खोला गया।
	2012-13					
7.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 05-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 06-देवनारायण कोचिंग योजना	आ.	1.00	1.00	-	राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन नहीं करना।
8.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 05-महिला विकास कार्यक्रम 10-महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान	आ.	5.30	5.30	-	एजेण्डा बिन्दुओं, पंजीकरण एवं स्कीम की कार्य योजना का विलम्ब से अनुमोदन (फरवरी 2013) तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मार्गदर्शन में उक्त कार्य प्रक्रियाधीन थे।
9.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 05-महिला विकास कार्यक्रम 11-महिला स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी	आ.	5.30	5.30	-	एजेण्डा बिन्दुओं, पंजीकरण एवं स्कीम की कार्य योजना का विलम्ब से अनुमोदन (फरवरी 2013) तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मार्गदर्शन में उक्त कार्य प्रक्रियाधीन थे।
10.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 02-राज्य मानवाधिकार आयोग	आ.	1.00	1.00	-	राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन में विलम्ब।
11.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 02-जिला महिला विकास अभिकरणों हेतु 07-किशोरी शक्ति योजना	केप्रयो	1.83	1.83	-	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	आभि/ आ./ केप्रयो[10]	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
12.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 14-संभाग मुख्यालयों पर मानसिक पुनर्वास गृह भवन का निर्माण	आ.	2.50	2.50	-	नक्शों का अनुमोदन नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हुआ।
13.	4236-पोषण पर पूंजीगत व्यय 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 800-अन्य व्यय 08-नाबार्ड वित्त पोषित आंगनबाड़ी भवन निर्माण	आ.	18.67	18.67	-	दिनाँक 31.03.2013 तक नाबार्ड द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी नहीं करना।
	2013-14					
14.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 102-आर्थिक विकास 01-निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से 03-अल्पसंख्यक विकास निधि	आ.	25.00	-	25.00	अल्पसंख्यक विकास निधि में वास्तविक व्यय नहीं होना।
15.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 20-मिशन ग्राम्य शक्ति 01-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	आ.	10.60	-	10.60	एजेण्डा बिन्दुओं, पंजीकरण एवं स्कीम की कार्य योजना का विलम्ब से अनुमोदन (फरवरी 2013) तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के मार्गदर्शन में उक्त कार्य प्रक्रियाधीन थे।
16.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 02-महिला अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु 07-किशोरी शक्ति योजना	केप्रयो	2.74	2.74	-	भारत सरकार से स्वीकृति विलम्ब (अप्रैल 2014) से प्राप्त होना।
17.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 02-महिला अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु 11-धनलक्ष्मी महिला समृद्धि योजना	आ.	1.05	1.05	-	किसी भी ब्लॉक (पंचायत समितियों) में केन्द्रों का निर्माण पूर्ण नही होने के कारण।

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	आभि/ आ./ केप्रयो[10]	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
18.	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 01-राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अंश पूँजी	आ.	1.00	1.00	-	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से अग्रिम ऋण प्राप्त नहीं होने से अंश पूंजी स्वीकृत नही की जा सकी।
19.	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण 800-अन्य व्यय 09-देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से) 01-छात्राओं के लिए छात्रावास सह महाविद्यालय भवन का निर्माण	आ.	4.00	-	4.00	भूमि आवंटन नही करने के कारण।
20.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 14-संभाग मुख्यालयों पर मानसिक पुनर्वास गृह भवन का निर्माण	आ.	3.90	-	3.90	नक्शों का अनुमोदन नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हुआ।
21.	6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण 800-अन्य कर्जे 01-राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को कर्ज	आ.	1.03	1.03	-	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से अग्रिम ऋण प्राप्त नहीं होने से मार्जिन राशि स्वीकृत नही की जा सकी।
22.	6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 800-अन्य कर्जे 01-राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को कर्ज	आ.	3.00	3.00	-	चुनाव आचार संहिता के कारण पीडी खातों में राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी।
	योग		**116.72**	**53.22**	**63.50**	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.7: पृष्ठ 104)

वर्ष 2013-14 तक बकाया विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1.	2014	2013-14	3	4.45
		योग	**3**	**4.45**
2.	2015	2012-13	5	14.42
		2013-14	193	1,609.73
		योग	**198**	**1,624.15**
3.	2029	2007-08	1	292.18
		2010-11	1	26.60
		2011-12	5	326.30
		2013-14	12	474.63
		योग	**19**	**1,119.71**
4.	2030	2013-14	2	35.29
		योग	**2**	**35.29**
5.	2039	2013-14	1	48.62
		योग	**1**	**48.62**
6.	2051	2013-14	92	425.00
		योग	**92**	**425.00**
7.	2052	2010-11	1	6.20
		2011-12	3	12.80
		2012-13	4	6.00
		2013-14	6	32.97
		योग	**14**	**57.97**
8.	2054	2013-14	1	1.26
		योग	**1**	**1.26**
9.	2055	2012-13	6	218.40
		2013-14	152	293.98
		योग	**158**	**512.38**
10.	2059	2008-09	1	0.68
		2009-10	1	0.30
		2010-11	1	1.43
		2011-12	6	7.46
		2012-13	17	108.80
		योग	**26**	**118.67**
11.	2070	2013-14	8	61.72
		योग	**8**	**61.72**
12.	2202	1989-90	3	0.75
		1990-91	4	0.46
		1991-92	3	0.96
		1992-93	6	1.06
		1995-96	1	0.12
		1996-97	1	0.09
		1997-98	2	0.88
		2013-14	12	2,120.63
		योग	**32**	**2,124.95**

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
13.	2204	2013-14	9	5.42
		योग	**9**	**5.42**
14.	2205	2012-13	2	11.70
		2013-14	2	2.00
		योग	**4**	**13.70**
15.	2210	2011-12	4	73.44
		2012-13	7	190.75
		2013-14	137	901.54
		योग	**148**	**1,165.73**
16.	2215	2010-11	2	0.38
		2013-14	2	0.28
		योग	**4**	**0.66**
17.	2217	2013-14	1	0.08
		योग	**1**	**0.08**
18.	2225	2012-13	1	5.00
		2013-14	3	7.12
		योग	**4**	**12.12**
19.	2235	2013-14	1	1.50
		योग	**1**	**1.50**
20.	2245	2002-03	8	29.67
		2006-07	2	80.14
		2008-09	3	28.18
		2009-10	4	62.28
		2010-11	25	457.30
		2011-12	19	202.56
		2012-13	21	327.26
		2013-14	73	21515.86
		योग	**155**	**22,703.25**
21.	2401	2013-14	73	318.57
		योग	**73**	**318.57**
22.	2403	2013-14	27	18.94
		योग	**27**	**18.94**
23.	2406	2012-13	4	3.30
		2013-14	2	16.98
		योग	**6**	**20.28**
24.	2515	2008-09	1	11.29
		2013-14	11	6.86
		योग	**12**	**18.15**
25.	2701	2012-13	1	0.22
		2013-14	1	0.20
		योग	**2**	**0.42**
26.	2851	2013-14	7	8.04
		योग	**7**	**8.04**
27.	2853	2012-13	1	150.00
		2013-14	4	66.06
		योग	**5**	**216.06**
28.	3425	2010-11	1	0.50
		2013-14	15	11.04
		योग	**16**	**11.54**

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
29.	3452	2013-14	4	33.50
		योग	**4**	**33.50**
30.	3454	2000-01	2	4.57
		योग	**2**	**4.57**
31.	3456	2012-13	6	15.29
		2013-14	1	1.40
		योग	**7**	16.69
32.	4059	2011-12	11	38.00
		योग	**11**	**38.00**
33.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
		2005-06	1	4.20
		योग	**3**	**4.74**
34.	4210	2011-12	1	2.25
		2012-13	8	575.32
		2013-14	10	559.34
		योग	**19**	**1,136.91**
35.	4225	2012-13	1	5.00
		योग	**1**	**5.00**
36.	4250	2013-14	1	370.00
		योग	**1**	**370.00**
37.	4702	2007-08	1	0.66
		योग	**1**	**0.66**
38.	4853	2012-13	1	30.00
		योग	**1**	**30.00**
39.	5054	2000-01	2	34.50
		2005-06	1	10.40
		2011-12	1	23.31
		योग	**4**	**68.21**
	कुल योग		**1,082**	**32,356.91**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान ।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1: पृष्ठ 109)

31 जुलाई 2014 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	अनुदान के भुगतान का वर्ष	दिया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	चिकित्सा (2210)	2012-13	2	35.00	-	-	2	35.00
	योग		**2**	**35.00**	**-**	**-**	**2**	**35.00**
2	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	-	337.35	1	148.65
		2008-09	1	489.00	-	277.45	1	211.55
		2009-10	5	508.97	4	293.58	1	215.39
	योग		**7**	**1,483.97**	**4**	**908.38**	**3**	**575.59**
3	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.74	1	11.73
	योग		**308**	**235.47**	**307**	**223.74**	**1**	**11.73**
4	समाज कल्याण (2235)	2011-12	32	1,464.71	12	220.49	20	1,244.22
		2012-13	4	11.00	-	-	4	11.00
	योग		**36**	**1,475.71**	**12**	**220.49**	**24**	**1,255.22**
5	पोषण (2236)	2012-13	9	68.64	-	-	9	68.64
	योग		**9**	**68.64**	**-**	**-**	**9**	**68.64**
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2008-09	67	16.08	59	14.23	8	1.85
		2009-10	55	84.65	38	39.87	17	44.78
		2010-11	35	176.76	13	66.19	22	110.57
		2011-12	38	752.67	1	1.51	37	751.16
		2012-13	43	1,038.54	-	-	43	1,038.54
	योग		**238**	**2,068.70**	**111**	**121.80**	**127**	**1,946.90**
7	पर्यावरण (3435)	1997-98	30	27.56	29	27.46	1	0.10
		1998-99	25	26.20	22	25.94	3	0.26
	योग		**55**	**53.76**	**51**	**53.40**	**4**	**0.36**
	कुल योग		**655**	**5,421.25**	**485**	**1,527.81**	**170**	**3,893.44**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान ।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2: पृष्ठ 110)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये, के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षो के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षो के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
उच्च शिक्षा					
1	अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर	3	2010-13	116.81	300.64
2	लाछू मेमोरियल विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर	7	2006-13	38.00	125.65
3	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	5	2008-13	271.87	1,711.31
4	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2012-13	67.50	980.62
5	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2012-13	175.13	646.23
6	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2011-13	4,900.00	17,987.42
7	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	1	2012-13	150.00	उपलब्ध नहीं
8	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	1	2012-13	87.50	1,700.87
9	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2012-13	3,206.90	4,784.83
	योग	**22**		**9,013.71**	**28,237.57**
माध्यमिक शिक्षा					
1	श्री जमनादास महावीरजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, खादगडा, डूंगरपुर	3	2010-13	41.94	52.23
2	एसपीआर सहरिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा, जयपुर	3	2010-13	60.28	104.73
	योग	**6**		**102.22**	**156.96**
तकनीकी शिक्षा					
1	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	4	2009-13	103.00	310.92
	योग	**4**		**103.00**	**310.92**
प्रौढ़ शिक्षा					
1	जिला साक्षरता समिति, बीकानेर	5	2008-13	84.22	76.97
2	जिला साक्षरता समिति, सिरोही	3	2010-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	जिला साक्षरता समिति, भरतपुर	1	2012-13	शून्य	95.87
4	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा, बीकानेर	1	2012-13	0.59	18.88
	योग	**10**		**84.81**	**191.72**
श्रम					
1	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाडमेर	10	2003-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	1	2012-13	4.15	उपलब्ध नहीं
3	बाल श्रम परियोजना संस्था, भरतपुर	9	2004 -13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	बाल श्रम परियोजना संस्था, बून्दी	3	2010-13	118.37	उपलब्ध नहीं
5	बाल श्रम परियोजना संस्था, चूरू	9	2004 -13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	बाल श्रम परियोजना संस्था, डूंगरपुर	1	2012-13	2.52	उपलब्ध नहीं

क्रम संख्या	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षो के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षो के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
7	बाल श्रम परियोजना संस्था, हनुमानगढ़	1	2012-13	21.52	उपलब्ध नहीं
8	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	2	2011-13	16.56	उपलब्ध नहीं
9	बाल श्रम परियोजना संस्था, जोधपुर	9	2004 -13	34.98	45.15
10	बाल श्रम परियोजना संस्था, करौली	6	2007 -13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	बाल श्रम परियोजना संस्था, पाली	1	2012-13	12.45	3.10
12	बाल श्रम परियोजना संस्था, सवाईमाधोपुर	6	2007 -13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	बाल श्रम परियोजना संस्था, श्रीगंगानगर	2	2011-13	0.01	1.24
14	बाल श्रम परियोजना संस्था, टोंक	1	2012-13	97.71	4.28
15	बाल श्रम परियोजना संस्था, उदयपुर	1	2012-13	78.83	2.63
	योग	**62**		**387.10**	**56.40**
पशुपालन					
1	ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण, जयपुर	3	2010-13	176.37	180.84
	योग	**3**		**176.37**	**180.84**
उद्योग					
1	किशनगढ़ मार्बल उद्योग विकास समिति, मदनगंज, अजमेर	2	2011-13	शून्य	360.92
2	विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर	2	2011-13	380.46	335.64
3	निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर	2	2011-13	350.00	468.00
4	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	1	2012-13	शून्य	29.41
5	उद्यम एवं प्रबन्धन विकास संस्थान, जयपुर	3	2010-13	770.60	857.70
	योग	**10**		**1,501.06**	**2,051.67**
पर्यटन					
1	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	2	2011-13	10.00	उपलब्ध नहीं
2	फूड क्राफ्ट संस्थान, अजमेर	1	2012-13	58.68	53.93
3	फूड क्राफ्ट संस्थान, उदयपुर	2	2011-13	223.45	63.35
	योग	**5**		**292.13**	**117.28**
कला एवं संस्कृति					
1	भारतीय क्राॅफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	6	2007-13	100.00	104.09
2	राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर	2	2011-13	21.64	22.75
3	राजस्थान संगीत अकादमी, पावटा, जोधपुर	1	2012-13	154.68	144.78
4	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	1	2012-13	80.66	80.70
	योग	**10**		**356.98**	**352.32**
आयुर्वेद					
1	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	1	2012-13	980.00	501.93
	योग	**1**		**980.00**	**501.93**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1	तरूण भारत संघ, अलवर	3	2010-13	शून्य	शून्य
2	राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	1	2012-13	28.46	57.86
3	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2012-13	16.21	1,033.93
	योग	**5**		**44.67**	**1,091.79**

क्रम संख्या	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	5	2008-13	428.34	46.53
2	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2012-13	उपलब्ध नहीं	65.83
3	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	1	2012-13	86.04	86.02
4	राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2012-13	143.69	577.59
5	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	1	2012-13	540.85	1,310.61
6	अफीम नशामुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर	2	2011-13	36.09	28.25
7	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर	1	2012-13	321.20	5,702.36
	योग	**12**		**1,556.21**	**7,817.19**
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर	2	2011-13	435.95	370.76
2	स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	7	2006-13	393.81	688.02
3	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर	4	2009-13	शून्य	शून्य
	योग	**13**		**829.76**	**1,058.78**
महिला एवं बाल विकास					
1	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	1	2012-13	218.02	557.90
2	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	1	2012-13	82.71	76.75
	योग	**2**		**300.73**	**634.65**
सामान्य प्रशासन					
1	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर हवाईअड्डा, जयपुर	1	2012-13	57.50	27.95
	योग	**1**		**57.50**	**27.95**
	कुल योग	**166**		**15,786.25**	**42,787.97**
				या ₹ 157.86 करोड़	**₹ 427.88 करोड़**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3: पृष्ठ 111)

स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जहाँ तक के लेखे प्राप्त हुये	अवधि जहाँ तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विधानमण्डल में उपस्थापन	लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	31.08.2014 तक विलम्ब की अवधि (माह में)
1	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	22 फरवरी 2013 (2001-02 से 2009-10)	2012-13 2013-14	14 02
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2012-13	2012-13	उपलब्ध नहीं	2013-14	02
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2012-13	2012-13	उपलब्ध नहीं	2013-14	02
4	राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2011-12	2011-12	उपलब्ध नहीं	2012-13 2013-14	14 02

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4: पृष्ठ 112)

विभागीय उपक्रमों (वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक) में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखाओं का अंतिमीकरण किया गया	वित्त अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश[11]	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2012-13	2.01	1.83
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.63	0.63
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2012-13	1.51	1.37
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2012-13	1.10	2.71
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2012-13	2.01	1.81
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	0.01	0.48
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2012-13	1.73	1.32
8	वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2012-13	शून्य[12]	
9	तेंदू पत्ता योजना	2012-13	शून्य[12]	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2012-13	12,360.23	9,867.23
	योग		**12369.23**	**9,877.38**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

[11] निवेश वित्तीय वर्ष जब तक कि लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के अंतिम दिन सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखे के शेष को दर्शाता है।

[12] सरकार का पूँजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5: पृष्ठ 112)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2014 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	26	24	15	8	1	2	**76**
2.	शिक्षा	81	50	22	16	7	11	**187**
3.	चिकित्सा	38	15	13	9	1	4	**80**
4.	लोक निर्माण	1	0	5	20	4	7	**37**
5.	जल संसाधन	2	5	4	1	0	2	**14**
6.	भू-जल	4	9	4	3	3	0	**23**
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना	2	1	3	4	2	0	**12**
8.	इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना	4	8	4	3	0	1	**20**
9.	वन	3	0	2	3	1	0	**9**
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	35	70	77	53	34	19	**288**
11.	अन्य	58	61	28	19	10	10	**186**
	योग	**254**	**243**	**177**	**139**	**63**	**56**	**932**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5: पृष्ठ 112)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	37	179.79	39	833.74	76	1013.53
2.	शिक्षा	118	118.67	69	388.04	187	506.71
3.	चिकित्सा	35	58.22	45	443.95	80	502.17
4.	लोक निर्माण	9	5.51	28	471.76	37	477.27
5.	जल संसाधन	7	1.34	7	80.95	14	82.29
6.	भू-जल	20	33.20	3	5.09	23	38.29
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना	11	24.81	1	0.80	12	25.61
8.	इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना	15	80.33	5	69.73	20	150.06
9.	वन	6	30.85	3	78.23	9	109.08
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	266	232.03	22	171.47	288	403.50
11	अन्य	77	303.77	109	1343.07	186	1646.84
	योग	**601**	**1068.52**	**331**	**3886.83**	**932**	**4955.35**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.6: पृष्ठ 114)

वर्ष 2009-14 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2009 को शेष	2009-14 के दौरान		31.3.14 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1.	मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा	5.85	शून्य	शून्य	5.85
2.	परियोजना अधिकारी, पी.एम. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम एवं वित्तीय निगम, बारां	1.35	शून्य	शून्य	1.35
3.	जिला कलक्टर, बरसिंहसर लिग्नाईट परियोजना, बीकानेर	3.60	शून्य	शून्य	3.60
4.	बागवानी, दौसा	2.44	शून्य	शून्य	2.44
5.	अधीक्षण अभियंता, मृदा एवं जल संरक्षण संसाधन, जिला परिषद, दौसा	0.14	शून्य	शून्य	0.14
6.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	0.48	शून्य	शून्य	0.48
7.	मण्डल वन अधिकारी (पश्चिम), जयपुर (शहर)	10.11	शून्य	शून्य	10.11
8.	निदेशक, राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा, रिटमैन, जयपुर (शहर)	8.44	शून्य	शून्य	8.44
9.	निदेशक, राज्य ओपन स्कूल, जयपुर (सचिवालय)	0.01	शून्य	शून्य	0.01
10.	शोध प्रशिक्षण हेतु उच्च शिक्षा अकादमी, जयपुर (सचिवालय)	3.17	शून्य	शून्य	3.17
11.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	21.74	शून्य	शून्य	21.74
12.	उप निदेशक, कृषि विस्तार, झुंझनूं	0.01	शून्य	शून्य	0.01
13.	सहायक कृषि अभियंता, जल ग्रहण विकास, करौली	(-) 0.18	शून्य	शून्य	(-) 0.18
14.	उप निदेशक, समेकन, कोटा	1.00	शून्य	शून्य	1.00
15.	जिला पुनर्वास अधिकारी, जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा	20.40	शून्य	शून्य	20.40
16.	प्रबन्धक, राजकीय नमक स्रोत, डीडवाना, नागौर	9.28	शून्य	शून्य	9.28
17.	उप वन संरक्षक, पाली	0.20	शून्य	शून्य	0.20
18.	उप निदेशक, भू-संरक्षण एवं जल संसाधन, राजसमन्द	3.41	शून्य	शून्य	3.41
19.	प्रधानाचार्य, राजकीय एस एस महाविद्यालय, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर	2.65	शून्य	शून्य	2.65
20.	उप वन संरक्षक, मरू विकास कार्यक्रम, सीकर	6.02	शून्य	शून्य	6.02
	योग	**100.12**			**100.12**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.6: पृष्ठ 114)

निजी निक्षेप खातों में दर्शाये गये ऋणात्मक शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कोषालय का नाम	राशि	आहरण वितरण अधिकारी/निजी निक्षेप खाता संख्या
1.	बारां	0.94	1
2.	बाड़मेर	0.07	1
3.	चित्तौड़गढ़	84.04	1
4.	चुरू	40.69	1
5.	जयपुर (शहर)	1,340.05	10
6.	जालौर	7.76	1
7.	झुन्झुनू	21.18	1
8.	करौली	221.76	2
9.	नागौर	10.91	1
10.	प्रतापगढ़	239.04	1
11.	टोक	1.58	1
	योग	**1,968.02**	**21**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ अनुच्छेद 3.10: पृष्ठ 117)

मुख्य शीर्ष ''8658-उचन्त लेखे'' के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	10.46	0.88	10.43	0.57	26.62	0.91
निवल	**(नामे) 9.58**		**(नामे) 9.86**		**(नामे) 25.71**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	4.00	0.01	3.82	(-) 0.01	2.00	(-) 0.03
निवल	**(नामे) 3.99**		**(नामे) 3.83**		**(नामे) 2.03**	
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उचन्त	-	25.69	-	25.89	-	52.03
निवल	**(जमा) 25.69**		**(जमा) 25.89**		**(जमा) 52.03**	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	0.16	-	0.16	-	0.16
निवल	**(जमा) 0.16**		**(जमा) 0.16**		**(जमा) 0.16**	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.58	-	(-) 2.09	-	2.23
निवल	**(जमा) (-) 3.58**		**(जमा) (-) 2.09**		**(जमा) 2.23**	
निवल योग	**(जमा) 8.70**		**(जमा) 10.27**		**(जमा) 26.68**	

स्रोत: वित लेखे

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]* 100
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जो तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	**विवरण**
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशाषी निकाय	स्वायत्तशाषी निकाय (सामान्यत: पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढ़ाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढ़ाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों

	की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जे इत्यादि)।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्त्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं है।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत् हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उचंत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मदें जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उचन्त एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लेंवें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उचन्त शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट 4.2

संक्षिप्त एवं परिवर्णी शब्द

एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एई	समेकित व्यय
बीई	बजट अनुमान
सीआर	पूँजीगत प्राप्तियाँ
सीएफ	आकस्मिकता निधि
सीई	पूँजीगत व्यय
डीसी बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
डीई	विकासात्मक व्यय
ईएस	आर्थिक क्षेत्र
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एफआरबीएम एक्ट	राज वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम
एफआरपी	वित्तीय स्रोत आयोजना
एमटीएफपीएस	मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
एनटीआर	कर-भिन्न राजस्व
एनपीआरई	आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
पीडी खाता	निजी निक्षेप खाता
पीईआरसी	लोक व्यय समीक्षा समिति
पीआरई	आयोजनागत राजस्व व्यय
पीपीपी	निजी जन सहभागिता
आरई	राजस्व व्यय
आरआर	राजस्व प्राप्तियाँ
एसबीएम	राज्य बजट नियमावली
एससीए	विशेष केन्द्रीय सहायता
एसडीआरएफ	राज्य आपदा मोचन निधि
एसएसई	सामाजिक क्षेत्र व्यय
टीएफसी	बारहवाँ वित्त आयोग
टीएचएफसी	तेरहवां वित्त आयोग